

# जैन बुकडिपो, सोलापूर येथे मिळणारी पुस्तके.

मराठी पुस्तके. कि. रु. भा.	कि. रु. भा.
श्री महापुराणामृत ... १ ०	जैनकल्पविधी ... ० ४
सागारधर्मामृत.... २ ०	रत्नकरंड मराठी कविता ० ४
अमितगति श्रावकाचार १ १२	बालबोध जैनधर्म भाग १-२० १॥
आत्मानुशासन ... २ ०	” ” भाग ३-४ ० ४
जिनसेन व गुणभद्राचार्य	पार्श्वनाथ चरित्र .... ० २
यांचे चरित्र .... ० ८	महावीर चरित्र .... ० २
उपदेशरत्नमाला मराठी प्रो. ० ८	सामायिक पाठावली .... ० २
छहदाका मराठी .... ० ३	देशभूषण कुरुभूषण चरितसु ० ४
पुण्याखुव पुराण ओवीबद्ध २ ८	गजकुमार चरित्र .... ० ३
उपदेश रत्नमाला ओवीबद्ध १ ०	दशलाक्षणिक धर्म .... ० २
त्रिवर्णाचार ... ३ ०	महतीसागर चरित्र ... ० २
पद्मनदी पंचविंशति .... ३ ०	शुतावतार कथा .... ० ३
जंबूस्वामीचरित्र पुराण.... १ ०	नेमिदूतकाव्य .... ० २
जैनधर्मादर्श .... १ ०	नेमिदूतकाव्य कविता ० ३
पंचारितकायसमयसार .... १ ४	भजन सदबोधमालिका ०
देवागम स्तोत्र .... १ ८	श्रावक प्रतिक्रमण .... ०
जिवंधरचरित्र ओवीबद्ध ० १२	श्रावक प्रतिक्रमण कविता ०
जैनकथा सुमनावली .... ० १२	बुद्धधर्माचे अमोक्ष्य नियम ० १
अठरा तीर्थंकर चरित्रे... ० १२	द्वादश अनुपेक्षा .... ० ८
सम्पत्त कौमुदी .... ० १०	भक्तामर अर्थ .... ० ३
तत्त्वार्थाचा मराठी अर्थ ० १२	हिंसानिषेध .... ० २
वसुनदी श्रावकाचार ... ० १०	स्मृतिपटल ... ० २
क्रियामजरी .... ० १२	रविवारव्रत कथा .... ० ४
यशोधरचरित्र .... ० ८	कदकुदाचार्य चरित्र .... ० ३
प्रश्नात्तर माणिक्यमाला ० ४	जैन मेळ्याची पदे ... ० १
जैनसिद्धांत प्रवेशिका .... ० ६	पद्यावली .... ० १
षाडशकारण भावना .... ० ४	विद्योन्नती संवाद .... ० १
जैनव्रत कथा .... ० ४	ईश्वर कांहीं करतो काय? ० ४
जैनएतिहासिक स्त्रिया ० ४	जैन पुरोहित .... ० ६
रूपिणी .... ० ६	निर्माल्यद्रव्य चर्चा मराठी ० ४

## प्रस्तावना.

आगे 'निर्मास्यद्रव्य-चर्चा' नामक एक पुस्तक और उसका एक परिशिष्ट ऐसे प्रसिद्ध हो चुके हैं जिसके बाद न्यायतीर्थ पंडित बनसीधरजीने 'जैनसिद्धांत' नामक मासिकपत्रमें 'निर्मास्यद्रव्य विनियोग' शीर्षक एक लेख दिया. जिसका उत्तर हमने 'जैनमित्र' साप्ताहिकमें दियाथा. उसके प्रत्युत्तर जैनसिद्धांतमें आयेथे उसके उत्तर सहित सभी लेख इस पुस्तकमें एकत्रित किये हैं. पं० बनसीधरजी देवसेवा करनेवालेको निर्मास्यग्रहण करनेमें दोष नहीं है ऐसा बताते हैं बाकी सभीको निर्मास्यद्रव्य ग्रहण करनेमें पाप बताते हैं. भगवानका पूज्य करनेवाला हरएक श्रावक देवसेवा करनेवाला कहा जा सकता है उसके निर्मास्यद्रव्य ग्रहण किया तो उसको दोष नहीं ऐसा कहना परस्पर विरोधी है. और ऐसा प्रतिपादन करनेमें कोई आगम प्रमाण दिया नहीं है. सो वाचस्पत्युद विचारेंगे.

सोलापूर.  
ता. ३१३।१९२२

द्विराचंद नेमचंद दोशी





# निर्माल्य-विनियोग

( जैनसिद्धान्त-भाद्रमास वीरसंवत् २४४६, इ. सन १९२५ )

लेखक-पं० न्यायतीर्थ वंशीधरजी.

देवशास्त्रगुरुणां भो निर्माल्यं स्वीकरोति यः ।  
वंशच्छेदं परिप्राप्य स पश्चाद् दुर्गतिं व्रजेत् ॥

[ सकलकीर्ति-सुभाषि० ]

अर्थ—देव शास्त्र गुरुओंके निर्माल्यको जो स्वीकार करता है उसके वंशका उच्छेद होता है और वह दुर्गतिगामी होता है.

निर्माल्य ग्रहणका इतना बड़ा दोष है, तब इसका क्या किया जाय ? यह प्रश्न लोग आगे लाते हैं हम आगे चलकर यह दिखावेंगे कि इस प्रश्नमें कुछ भी सार नहीं है और जो विनियोग इसका आजकल हो रहा है वही होना चाहिये; तोभी यह प्रश्न जो समाजमें जोके साथ फैलाया जा रहा है उसका कारण कहीं तो अज्ञान है और कहीं कषाय है. कषायमें तो लोभ मुख्य है और अज्ञान शास्त्रोंके अर्थका न समझना है आज भी जो उपलब्ध आगम हैं उनका पूर्वपर विचार करनेमें अकांठ ताडव करनेका प्रसंग नहीं आसकता है परंतु इतना श्रम करे कोन !

अब हम विषयमें जो लोगोंके आक्षेप हाते हैं उनपर विचार करते हैं उनमेंसे एक आक्षेप यह है कि अमृतचंद्र तत्त्वार्थसारमें इसका निषेध करते हैं. देखो.

प्रमादाद्देवतादत्तनेयेद्यग्रहणं तथा ।

इत्यंघर्षतरायस्य भवन्त्यास्तग्रहतयः ॥

यह श्लोक आक्षेप प्रकरणका है. इसका अर्थ है कि देवको घर्षण किये हुए नैवेद्यका ग्रहण करने आदिक कार्य अंतराय कर्मका

आश्रय करते हैं. राजवार्तिककार अकलंक देव भी ऐसा ही कहते हैं. और इन सर्व आचार्योंमें प्राचीन श्री कुंदकुंदाचार्यका यह वचन है कि.

पुत्तकलत्ताविहीणो दारिद्रो पंगुमूकबहिरंधो ।

चांडालाङ्कुजादो पूजादानाद्दन्वहरो ॥ ३२ ॥

अर्थ:—पूजादानादिके द्रव्यको जो हरता है वह पुत्रकलत्रविहीन, दरिद्री, पंगु, मूक, बधिर, अंध इत्यादि दुःख पीडित होता है; परभवमें चांडालादि कुलोंमें जन्म लेता है. यहापर हरण करनेका यह फल बताया है. हरणका अर्थ चोरी करना है अमृतचन्द्रादि आचार्योंने जो अंतरायका कारण इसे बताया है उससे भी ग्रहण करनेका अर्थ चोरी करना हो सकता है. क्योंकि, चोरी करना विघ्नकरण है जो कि अंतरायका मुख्य कारण है.

विघ्न करना इसलिये चोरी करनेपर सिद्ध होता है कि जिसके अधिकारमें जो है वह उसका उपयोग कर सकता है और करता है. परंतु उसके पाससे निकल जानेपर वह उस उपयोगसे वंचित हो जाता है. इसलिये चोरी करनेवाला पूर्वस्वामीके भोगमें विघ्न करता है.

भगवत्कुंदकुंदके उक्त वचनसे यह मतलब नहीं निकलता कि अर्पण हुई चीजको हरनेमें उक्त दोष लगते हैं. तब? पूजादानादिके लिये जो द्रव्य आगे काममें आनेवाला है उसे हरनेमें उक्त फल प्राप्त होता है दरिद्री नौकर चाकर ऐसा प्रायः करते हैं कि जो पूजा या दानके लिये सामान रक्खा हो उसमेंसे चुगलेते हैं अर्पण हुए द्रव्यमें भी चुग लेना संभव है परंतु वह तब जब कि चुगाये बिना मिल न सकता हो अर्थात् उसका कोई दूसरा ही नियोगपूर्वक लेनेवाला सिद्ध होता जिसे मिलना नियोग प्राप्त नहीं है वह कदाचित् चुगाना चाहेगा चुरानेमें मनुष्यकी तभी प्रवृत्ति होती है जब कि दूसरे मार्गसे मिलना कठिन दीखता है इससे यह भी मालूम होता है कि अर्पित द्रव्यको ग्रहण करनेके नियोगी मनुष्य प्राचीन समयमें भी थे जैसे कि आजकल है. अर्थात्

उस द्रव्यको लेनेका चाहे जिसे अधिकार नहीं है, यही बात निर्मास्थि ग्रहणके निषेधसे दिखाई गई है.

इसका यह कारण है कि निर्मास्थिपना द्रव्यमें अर्पणके संकल्पसे उत्पन्न होता है. अर्थात् जो अर्पण करता है वह उसे निर्मास्थि समझता है. उसका ग्रहण यदि वह स्वयं करे तो लोभकपायकी निवृत्ति होना जो पूजादानका फल है वह फल प्राप्त नहीं हो सकता है. क्योंकि अर्पण करके स्वयं ग्रहण जो करता है उसके परिणामोंमें स्वत्वनिवृत्तिरूप भाव उत्पन्न नहीं होपाता है. एवं, जो दृमरा कोई उसे ग्रहण करना चाहता है उसके परिणामोंमें न्यायोपार्जनकी बुद्धि नहीं रहती क्योंकि, किसी कामके बदलेमें जो किसी एक चीजका ग्रहण करना है उसका नाम न्यायोपार्जन है.

इसका मतलब यह है कि यदि अर्पण करनेवाला स्वयं उस द्रव्यको ग्रहण करले तो वह भी उसका अन्यायी है और जो कुछ भी उससे संबंध न रखनेवाला ग्रहण करले तो वह भी अन्यायी है. अर्थात् उसे जो मनुष्य किसी कामके बदलेमें लेता है वही केवल उस द्रव्यका न्यायोपार्जयिता है. शेष दोनो ही अन्याय्य वृत्तिके मनुष्य ठहरते हैं. यही कारण है कि उनको अंतरायका बंध होता है क्योंकि, जो नियोगी मनुष्यको प्राप्त होनेवाली थी उसे दृमरे हरण करके उस नियोगीके लाभमें विघ्न डालते हैं. यदि ऐसा अर्थ न माना जाय तो अंतरायके कारण बतानेका दूसरा क्या मतलब होगा ?

इस सबका तात्पर्य यह है कि अंतराय कर्मके बांधनेका कारण उस अवस्थामें कहा जासकता है जब कि किसी दूसरे का नियोग रहते हुए उसे आप के अर्थात् उसके लाभमें विघ्न करनेका कारण होनेसे अंतरायका बंध होता है. यह बात उस अवस्थामें है जब कि द्रव्यका अर्पण होचुका हो और जबतक अर्पण न हो तबतक हरण करलेनेवाला दातांतरायका बंध करता है क्योंकि, दान होनेमें विघ्न किया है. इससे

प्रश्न कर्ताओंका मुख्य आक्षेप निर्मात्य होनेके बाद—समर्पण किये हुए द्रव्यके विषयमें रहता है कि उसका क्या किया जाय ? सो उत्तरमें हमारा यह कहना है कि यदि उस द्रव्यका नियोगी कोई भी मनुष्य न रहता हो तो उसका ग्रहण करनेसे अंतराय या विघ्न किसका किया गया जिससे कि अनरायका वह कारण हुआ ? क्योंकि, अंतरायका मुख्य अर्थ विघ्न है इसलिये यह मानना आवश्यकीय व न्याय प्राप्त होजाता है कि निर्मात्यके ग्रहण करनेवालेने किसी ऐसे लाभमें विघ्न किया है जो कि उस द्रव्यका अधिकारी बननेवाला है.

अब रही यह बात कि जो नियोगी मनुष्य है उसके लिये क्या वह द्रव्य निर्मात्य नहीं है ? यदि है तो उस निर्मात्यके ग्रहणका दोष उसे भी माना जायगा या क्या ?

इसका थोड़ेसेमें उत्तर यो है कि निर्मात्यपना प्रतिषेधका हेतु नहीं है किंतु दूसरेके विघ्नका कारण होना प्रतिषेधका हेतु है. प्रत्येक विधान कुछ अपेक्षा रखता है इसी प्रकार यहापर भी जो दूसरे कर्मका कारण न बताकर अंतरायका कारण माना है उसका हेतु विघ्नकरणता ही होसकती है. इस हेतुकी सिद्धि, जिसके ग्रहण करते समय, होसकती है उसीकेलिये निर्मात्य है और नियोगीके लिये वह निर्मात्य नहीं है. जिस प्रकार सभीकेलिये सर्प सर्प होसकता है परंतु गरुडकेलिये वह सर्प नहीं होसकता. यहापर सर्प शब्द बोलते ही जिस प्रकार भीतिप्रद अर्थ भासने लगता है उसी प्रकार ' निर्मात्य ' कहते ही ' अग्राह्य ' अर्थ भासने लगता है; और यह उत्सर्ग वाक्य उसी प्रकारका बोला भी जाता है. तो भी जिस प्रकार उस उत्सर्ग वाक्यका तात्पर्यार्थ करते समय ' गरुडको छोडकर शेष सबकेलिये भीतिप्रदपना ' ऐसा मानना युक्त है उसी प्रकार ' निर्मात्य ' शब्दका भी उत्सर्ग अर्थ ' अग्राह्यता ' ऐसा किया जासकता है परंतु तात्पर्यार्थके समय अपवादस्मक नियोगी मनुष्यकेलिये ' ग्राह्यता ' मानकर ' शेष सबकेलिये वह अग्राह्य है '

ऐसा मानना युक्तिमंगत होता है. जैसे गरुडको अपवाद माननेका कारण उसकी विशिष्ट शक्ति है वैसे इस नियोगीको अपवाद ठहरानेका कारण देवस्थानकी सेवा है

कुछ लोगोकी कल्पना यह रहती है कि निर्माल्य हुआ द्रव्य दे-  
वके स्वामित्वका होता है. उसके स्वत्वमें विघ्न डालनेसे अंतरायका वंश  
होता है. परंतु यह समझ ठीक नहीं है.

उपभोग्य वस्तुका स्वामित्व उपभोग लेनेसे पहिले पहिलेतक ठह-  
रता है बादमें वह वस्तु जिस प्रकार उपभोग्य न रहकर उपभुक्त हो  
जाती है उसी प्रकार उस भोक्ताका उसपरसे स्वामित्व भी हट जाता है  
और उस उपभोग्य वस्तुका उपभोगके बादका पर्याय त्याज्य हो जाता  
है. अर्थात् उपभोग्यता जाकर त्याज्यता उत्पन्न हो जाती है. यह उस  
विषयकी बात हुई. अब देखिये विषयकी तरफ:—

हम ऊपर कहचुके हैं कि भोक्ताका उस द्रव्यपर स्वामित्व तभी-  
तक रहता है जबतक कि उसे भोगकर खतम नहीं किया है. अर्थात्  
भोगनेकी क्रिया समाप्त होनेसे पहिलेतक उस वस्तुका वह मनुष्य स्वामी  
रहता है जो कि उस द्रव्यको संचित करनेवाला है या जिसके लिये उस-  
का संचय हुआ है; बादमें वह वस्तु जिसके उपभोगमें आनेवाली है वह  
उसका स्वामी होता है और पहिलेका स्वामित्व हट जाता है, यह अधि-  
कार सृष्टिक्रमप्राप्त है, न कि किसीसे मिलनेपर यह प्राप्त होता है परंतु  
कृत्रिम अधिकार भी देखना हो तो इसी प्रकारसे दीख पड़ेगा.

उदाहरणार्थ:—भोजनकी वस्तुका स्वामित्व, जबतक भोजन  
नहीं किया हो तबतक, घरके मनुष्यको प्राप्त रहता है पर बादमें,  
जहा देहात है वहां, कुदरती स्वामित्व सूअर वगैरे विघ्नाभोजी जना-  
वरोंको प्राप्त हो जाता है. यदि वह विघ्ना स्वातंत्र्यके रूपमें माना गया हो  
तो उत्तर प्रांतमें जमींदार लंबवदार वगैरह और दक्षिणके पाटील उसके  
स्वामी बन जाते हैं. एवं, जिन बड़े शहरोंमें सुधारकी सीमा बढ़ चली



हैं वहां शंभुदेव व न्युनिसिपालटियां उसकी स्वामिनी बनती हैं जहां और भी अधिक सुधार हो रहा है वहां उसके स्वामित्व प्राप्त करनेके लिये आपसमें कलह तक होउठता है. एक कहता है कि इस विष्टाके भोगनेका मुझे अधिकार न्यायप्राप्त है, दूसरा कहता है, मुझे प्राप्त है ऐसे कलह कभी कभी यहा तक बढ़ जाते हैं कि सबके स्वामी उदार गवर्नमेंटको बीचमें पडकर फैसला करना पडता है. यह बात हुई एक व्यवहारसंबंधी उदाहरणकी; पर ठीक यही दशा निर्मात्यकी है.

स्थापनाके प्रारंभसे विसर्जन हुएतक पूजनकी क्रिया समझी जाती है. यदि उस पूजाद्रव्यके साथ भोग्यभोजन संबध देरका माना जाय तो वह संबध और वह स्वामित्व विसर्जनके बादमें खतम हो जाता है. और भंडारमें जो वस्तु अर्पण हो चुकी है उसका स्वामित्व उसके विनियोगतक तथा फलभोग तक रहता है.

कुछ लोगोंको बहापर शका होगी कि भंडारकी वस्तुओंके समान ही पूजनके द्रव्यका स्वामित्व पूजन होनेके बादमें भी पूर्ववत् कायम रहना चाहिये परंतु इसका उत्तर यह है कि पूजन व भंडारक्रियामें एक विशेष अंतर है. वह यह कि जिस प्रकार पूजनकी अंत्यक्रिया विसर्जन है उस प्रकार भंडारमें अर्पण करनेकी क्रिया अंतमें विसर्जनको नहीं दिखाती है इसीलिये पूजनका अर्थ एकवार भोग होना है और भंडार करनेका अर्थ अनेकवार भोगकेलिये रखना है. भोजन व वस्त्रमें जिस प्रकार उपभोग्यता व परिभोग्यताका अंतर है उसी प्रकार ठीक पूजन व भंडारके सामानमें सकृद्भोग्यता व असकृद्भोग्यताका अंतर है. यही बात, पूजनके बाद विसर्जन करने व भंडार करनेके बाद विसर्जन न करनेसे, सिद्ध होती है. इसपर लोग कहेंगे कि विसर्जनका मतलब नहीं है कि अर्पित द्रव्यके साथ का संबध छूट जाता हो; किंतु पूर्व स्थान पर देवको बैठा देना है. परंतु इस बैठा देनेका ही यह मतलब ठहरता है कि पूजन समाप्त हुआ. अर्थात्, पूजनकी क्रियाका प्रारंभ

आहान है और विसर्जन समाप्ति है. पुजनक्रियाका अर्थ जलगंधादिका उपभोग करना है. जिस प्रकार लाभांतरायके क्षयसे केवलीको जो अंत-तभोग होता है उसका साधन कुमुभवृष्टि आदि समझी जाती है; उसी प्रकार जलगंधादि भी उस भोगकी सामग्री है. वह भोग सकृतभोग है इसलिये विसर्जनके बादमें वह भोग्यभोजकक्रिया समाप्त हो जाती है. इसी मतलबके लिये अकलकदेवने देवद्रव्यके दो भेद किये हैं; एक नि-वेद्य, दूसरा अनिवेद्य. यह वचन इस प्रकार है:—

‘तद्विस्तारस्तु देवतानिवेद्यग्रहण-प्राणिवधादिः’

इसका अर्थ है कि देवताको निवेदित किया हुआ और निवेदित न किया हुआ ऐसा दो प्रकारका द्रव्य ग्रहण करनेसे दूसरेके दान लाभ भोगोपभोग वीर्यमें विघ्न उपस्थित होता है इसलिये उस द्रव्यको लेनेवाला अंतराय कर्म बांधता है.

जो लोग विघ्नकरण-हेतुकी अपेक्षा न करके ग्रहण करनेमालसे अंतरायका बंध हो जाना मानते हैं उनको तत्त्वार्थसारमें स्पष्ट करके खास बताया है कि.

‘प्रमादाद्देवतादत्तनैवेद्यग्रहणं तथा’ अर्थात्, प्रमादाचरणपूर्वक-दूसरेको विघ्न उपस्थित हो ऐसी तरहसे देवतादत्त नैवेद्यादिका ग्रहण करे तो अंतरायका कारण हो. अकलक देवने भी शका दिवाकर यही उत्तर दिया है:—

‘अनपदिष्टहेतुरुत्थादास्रवानियम इति चेन्न, स्वभावाधि-व्यञ्जकत्वात्’. अर्थात्, आस्रवके जो कारण लिखे उनकेलिये ऐसा कोई हेतु नहीं बताया कि ‘इसलिये’ अमुक आस्रवमें ये उपर्युक्त नै-वेद्य ग्रहणादिक कारण होने हैं; इसलिये इन वचनोंको कैसे माना जाय? इस शंकाका उत्तर देते हैं कि जो हेतु जिस कर्मास्रवकेलिये बताया है उन हेतुओंका उन उन बंधनेवाले कर्मोंके साथ समान-स्वभाव मित्ता है इसीलिये वे उन आस्रवोंके हेतु होते हैं. भावार्थ, निर्माल्य ग्रह-

णसे किसीको विघ्न उपस्थित हो तभी वह अंतरायका कारण हो सकता है. अर्थात् ही नियोगी मनुष्यके सिवा यदि कोई दूसरा उस द्रव्यको ले तो नियोगीके लाभमें विघ्न हुआ माना जायगा; न कि, नियोगीको उसका दोष हो सकता है.

हम ऊपर लिख चुके हैं कि निर्माह्य वस्तु स्वतः अपवित्र चीज नहीं है. इसलिये यह समझ भी दूर होनी चाहिये कि जहांपर उस द्रव्यका स्पर्श हो जायगा वही पदार्थ दूषित हो जायगा. परंतु आज-कल समाजमें ऐसी ही समझ निर्माह्यके विषयमें बहुधा हो रही है. इसे खानेवाला मनुष्य अभक्ष्यभोजी समझा जाता है. अत एव प्रायः लोग निर्माह्य खानेवालेके हाथका पानी तक नहीं पीते हैं. जब कि निर्माह्यके स्पर्श होनेका भी महा पाप समझते हैं, तो उसका भोजन करना तो अत्यंत अपवित्रताका कारण मानना ही चाहिये. यही कारण है कि, ग्रंथकारोंने इसके भक्षणके विषयमें एक शब्द भी निषेध या विवर्नका नहीं लिखा, तो भी लोग इसके भक्षणका महापाप समझते हैं और वैसी ही समझमें सिद्धांत-समझ उत्पन्न करनेकी या ऐसी समझ कायम करनेकी कोशिस करते हैं. ऐसी समझ कुछ साधारण लोगोंकी ही नहीं है किंतु अच्छे समझदार कहानेवालोंकी भी यही समझ हो रही है.

सोलापुरके श्रीमान् शेठ हिराचंद नेमचंद तो इन्का ऐसा पीछा कर रहे हैं कि जब ग्रंथोंमें भक्षणके निषेधका कोई एक शब्द भी कहीं-पर न मिला तब सच्चित्त्याग प्रतिमाके निदयमें कार्तिकेयानुप्रक्षाओंके एक भक्षणनिषेध करनेवाले श्लोकको निर्माह्य भक्षणके निषेध करनेमें जोड़कर उसके भक्षणक निषेधको पुष्ट कर दिया. वह इस प्रकार कि, प्रथम तो अमृतचंद्रादि आचार्योंके वचन ग्रहण करनेके निषेधपरके उद्धृत किये और बादमें ग्रहणका निषेध करते करते भक्षण-संबंधी का० अ० की गाथा उठाकर रख दी. और उसका अर्थ ऐसा सर्वनामके सामान्य शब्दोंका प्रयोग करके लिखा कि वाचनेवाला यदि

मूल ग्रंथको न देखे तो जरूर ही मानने लगे. वह इस प्रकार है:—

“ जो णय भवखेदि सयं तस्स ण अण्णस्स जुज्जदे दादुं ।

भुत्तस्स भोजितस्स हि णत्थि विसेसो सदो कोवि ॥७९॥

सेठजी इसका अर्थ करते हैं कि “ जो जिसका स्वतः भक्षण नहीं करता वह उसे दूसरेको भी न दे. क्योंकि स्वतः खाना व दुसरेको खानेके लिये देना इसमें कुछ फाक नहीं है. कृतकारित एकसेही होते हैं. ” यह हुआ सेठजीका अर्थ. अब इसकी असली संस्कृत टीका देखिये:—

च पुनः स्वयं आत्मना यः सचित्तं जलफलदलमूलकिसलयवीजादिकं न भक्षयति न अत्ति । यतः यस्मात्कारणात् स्वयं भुक्तस्य स्वयं सचित्तादिकं भोजनं कुर्वतः सचित्तादिकं भोजयिष्यतः परान् भोजनं कारयिष्यतः सतः अन्यान् हि स्फुटं कोपि विशेषो न उभयत्र सदोपत्वात् ॥

अर्थ:—जो स्वयं सचित्त—जल फल दल मूल किसलय बीज आदि भक्षण नहीं करता उसे चाहिये कि दूसरेको भी सचित्त न दे. क्योंकि स्वयं सचित्ताका खाना क्या और दुसरेको खिलाना क्या, दोनोंमें कुछ फाक नहीं है.

इस प्रकार टीकाकार इतने विस्तारसे सचित्तके अभिप्रायको खुलासा अनेक शब्द देकर कर रहे हैं और हिंदी भाषामें जो अर्थ प्रसिद्ध हुआ है उसमें भी सचित्ताका ही उल्लेख है. सेठजीने भी यह सब देखा न होगा यह बात नामुमकिन है. परंतु सचित्तके कुछ शब्दोंको उठाकर ‘ जो खावे नहीं वह दे भी नहीं ’ इस प्रकार ‘ जिस उस ’ शब्दोंका प्रयोग करके प्रकरणके रहस्यको छिपा दिया और लोगोंके मनपर निर्मास्यकी अपक्षयताकी छाप बैठाल दी.

अब हम यह दिखाते हैं कि भक्षण व ग्रहणमें क्या मतलबका फर्क है. जहां जहां भक्षणका निषेव आता है वहां वहां या तो प्राण

संयमकी रक्षाका हेतु रहता है, नहीं तो इंद्रियसंयमकी अपेक्षा होती है. और इन दोनोंका फल एक ही है. वह यह कि चाहे प्राणसंयमकी मुख्यतासे भक्षणको छोड़ा हो और चाहे इंद्रियसंयमकी इच्छासे, परंतु उन दोनोंका फल चारित्र्यमोहकी निर्जरा या संवर होना है. यहांपर जो ग्रंथकार निर्माल्य ग्रहणका फल दिखाते हैं वह अंतरायकर्मका आखंड होना है और उसका हेतु विघ्न करना है. भक्षणका हेतु असंयमरूप परिणाम है. इस प्रकार भक्षण व ग्रहणके अर्थमें स्वरूपसे भी भेद है, फलसे भी भेद है और हेतुसे भी भेद है. तो भी न मालूम, सच्चिदाके भक्षणनिषेधकी एक अप्रकृत गाथाको निर्माल्यके अप्रकृत विषयमें सेठजीने क्यों जोड़दिया ? कूछभी हो, उनका वे ही जानें, परंतु लोगोंकी ऐसी समझ होनेका तात्पर्य इतना ही है कि सर्व सामान्य इस निर्माल्यको अपवित्र समझ रहे हैं और समझदार लोग इसी अभिप्रायके फेरानेमें अपने प्रयत्नकी सीमा देखा करते हैं.

वास्तविक 'निर्माल्य' शब्दका अर्थ निर्मल है. यद्यपि 'निर्मलस्य भावो नैर्मल्यं' ऐसा निर्मल अर्थमें शब्द बनता है परंतु इस विशिष्ट प्रकारके निर्मलपनेके अर्थमें निर्माल्य शब्द बन जाता है. विशिष्ट प्रकारकी निर्मलता यहां इसलिये है कि देवाधिदेवको वह द्रव्य अर्पित हो चुका है. इस विशेष दशाका अभिप्राय प्रगट करनेकेलिये इस अर्थमें निर्माल्य-शब्दका प्रयोग लोगरूढ हो रहा है.

जो लोगोंकी ऐसी समझ होरही है कि निर्माल्य ग्रहण करना महापाप है, इसकेलिये एक दुसरा भी प्रमाण बोला करते हैं. वह यह कि पद्मपुराण ग्रंथमें सीताको जब वनमें छोड़नेकेलिये कृतांतवक्त्र नामकी सेनापति रामचंद्रने भेजा है तब सीताको छोड़नेका कार्य अनुचित समझते हुए भी उसे छोड़ना तो पढा परंतु भृत्यकर्मकी निंदा उसके मुखसे कहलाई है; उस समय निर्माल्यकूटकी उपमा देकर भृत्यकी निंदा की गई है.

संस्कारकूटकस्येव पश्चान्निवृत्ततेजसः ।

निर्मात्यवाहिनो धिग् धिग् भृत्यनाम्नोसुधारणम् ॥

श्लोक ४४ पर्व २७

अर्थात्, जिसमेंसे तेज नष्ट होगया है ऐसे निर्मात्यकूटके समान भृत्यका जीवन धिकारके योग्य है इससे लोग ऐसा तात्पर्य निकालकेते हैं कि जब निर्मात्यके संबंधसे कूट निन्दित होगया तो जो मनुष्य ग्रहण करेगा वह निश्चय क्यो न होगा ! भावार्थ, निर्मात्यका स्पर्श भी न करना चाहिये. इस प्रकार लोग एक मतलबको कहाँतक वादरायण संबंध बोधकर उसे खींचते है और ग्रंथके अर्थका विपर्यास करते हैं यह बात हम आगे दिखाते हैं.

निर्मात्यकूटकी जहां भृत्यको उपमा दी है वहां कूटका विशेषण 'पश्चान्निवृत्ततेजसः' ऐसा कहा है. इसका अर्थ होता है कि जिसमेंसे कुछ देरीके बाद तेज अर्थात् उष्णता निकल गई है. इसका तात्पर्य यह है कि पूजनके अंतमें जिन अनेक द्रव्योंसे अग्निकुंडोंमें हवन किया जाता है वे द्रव्य शांतिधारा छोडनेके कारण अंतमें अर्धदग्ध रहजाते हैं और धीरे धीरे उष्णता भी वहांकी कम हो जाती है. उसीका नाम यहांपर निर्मात्यकूट है. वह कूट बादमें अति असुहावना दिखने लगता है क्योंकि, भस्म तथा अर्धदग्ध तेजःशून्य द्रव्य अव्यवस्थित पडे दिखते हैं इसलिये उस दृश्यमें मनोमोहकता कहासे रहसकती है ? दूसरे उस निर्मात्यका स्वरूप चाहे पूर्ववत् कायम भी हो परंतु वह निरुपयोगी चीज बन जाती है. जिस प्रकार भृत्यके जीवनमें परावलंबन के कारण निस्सारता रहती है उसी प्रकार निर्मात्य निस्सार वस्तु बनजाता है. यही निर्मात्यमें निंदाका कारण है.

इस क्लृप्तपरसे, जो निर्मात्यद्रव्यका विनियोग दूसरेको लेने देनेसे रोककर जलाना पसंत कर है वे, यह नजीजा निकाल लेंगे कि अग्निकुंडोंमें निर्मात्य द्रव्य पहिले भी जलाया जाता था. परंतु हम प्रथम अंकमें

पूजनके विषयमें अग्निकुंडोंका तात्पर्यार्थ व उपयोग लिखचुके है. उस-परसे मतलब यह सिद्ध होता है कि अर्हत्पूजन करने के बाद हवन-क्रिया जुदी की जाती है. उस समयकी अपेक्षासे उसका नाम निर्माल्य कूट कहा है.

पद्मपुराणमें जिस निर्माल्यकूटका जिक्र आया है उसका नाम वहां संस्कारकूट लिखा है और निर्माल्य धारण करना उसका विशेषण लिखा है. उसका तात्पर्य यह है कि संस्कारकर्म करनेकेलिये एक ऊंची वेदी बनाई जाती है और उसी जगह कुडत्रय किये जाते हैं; जिनमें कि अर्हत्पूजनके बाद हव्य सामग्रीकी आहुति दे देकर गर्भजन्मादि संबंधी संस्कार किये जाते हैं. उसी स्थानपर हव्यादि द्रव्य फैल जानेसे और हवनका भस्मादिसमूह पिंडके रूपमें दीख पडनेसे उस सर्व समूहका नाम संस्कारकूट है. जिसमेंसे धीरे धीरे तेजःप्रकाश निकल गया है और जिस उपभोगकेलिये वह सामग्री लाई गईथी वह सब उपभोग जिसका होचुका है, उत्सवकर्ता समाजकी दृष्टिमें निरूपयोगी हुए उस निर्माल्य द्रव्यके धारक कूटकी तरफ समाजकी न्यक्कारकी भावना उत्पन्न होना ग्रंथकारने दिखाया है. सो ठीक ही है, नाच तमासा उठ जानेपर उस जगहका दृश्य फीका दीखने लगता है सर्व-सामान्य समाजको वह यद्यपि फीका दीखने लागता है परंतु वहांकी मालिकी रखनेवालेको वह बादमें भी रौनकदार और उपयोगी जान-पडता है.

उदाहरणार्थ, मेला उत्सव उठ जानेपर जगहमें कूडेके ढेर उगते हैं; दूटे फूटे सामान पडे रह जाते हैं. ये सब जीवें, सर्व सामान्य लोगोंको तथा खुद उन चीजोंके मालिकोंको निरूपयोगी व असहावनी दीखने लगती हैं. परंतु म्युनिसिपल कमेटी या जो कोई उसका हकदार है उसे वह सर्व बहुमूल्य व सार्थक दीखता है और उससे हजारों लाखों ६० का लाभ होता है. यदि कोई उसके हकदारकेलिये भी उसे

निरूपयोगी कहे तो वह प्राकृतिक ज्ञानसे शून्य समझा जाता है.

सेठजी म्युनिसिपल कमिटीके बहुत दिनतक चेअरमेन रहे हैं और ऑ० मॉजिस्ट्रेट अब भी हैं. इधर जैन शास्त्रोंके रहस्यको अच्छा जानते हैं; जैन स्यादादके दृढ विश्वासी है; परंतु न मालूम. निर्मात्यकी ही अग्राह्यतामें क्यों स्यादादकी योजना नहीं करते और क्यों सर्वथा उसे अग्राह्य मान रहे हैं? कुछ भी हो, परंतु प्राकृतिक हेयादेयकी ही भांत ठीक निर्मात्यकी व्यवस्था रहनी चाहिये; वह हमारी समझ वस्तुस्थितिके अनुसार है.

राजवार्तिकमें जो 'देवतानिवेद्यानिवेद्य' ऐसा शब्द लिखा है उसका यह तात्पर्य है कि देवसंबंधी द्रव्य दो प्रकारका होसकता है; एक वह जो कि पूजन करनेमें अर्पण किया जाता है; दुसरा वह कि जिसका पूजन करनेमें समर्पण नहीं किया जाता परंतु देवस्थानकी रक्षा करनेकेलिये दिया जाता है और उसके लक्ष्से पूजनीय द्रव्यकी व्यवस्था हुआ करती है उदाहरणार्थ—

खेतका देवके नाम पट्टा करादेना, गांव घर देदेना, जिसकी कि आमदनीमेंसे देवस्थानकी व्यवस्था व पूजनकी व्यवस्था निर्वाह चलती रहे. इसी बातको जिनसेन स्वामीने अपने आदि पुराणके ३८ वें पर्वमें लिखा है कि—

शासनीकृत्यदानं च ग्रामादीनां सदाचनं ॥२८॥

अर्थात्, गांव खेत वगैरह देवस्थानके लिये देदेना, एक प्रकारकी नित्यपूजा है; क्योंकि, पूजनका प्रबंध ऐसा करनेसे, चिरकालतक पूजन व देवस्थानकी व्यवस्था चलती रहसकती है. इस प्रकार कार्यकारण या निमित्तनैमित्तिक संबंधका अर्थ मनमें रखनेसे उन खेत वगैरह द्रव्योंको पूजादानादिद्रव्य कह सकते हैं. और यही अभिप्राय भगवत्कुंदकुंदके उपर्युक्त वचनका होता है जो कि 'पूजादानाद्दन्वहरो' ऐसा कहा है.

अज्ञान व कषायवश आजकल सामाजिक व्यवस्था उलटी होरही



है. जो पंचोंके स्वाधीन देवद्रव्य रहता है; जिसकी कि रक्षा करना व वृद्धि करते रहना पंचोंका कर्तव्य होना चाहिये; जिसकी व्यवस्थाके लिये कि भगवत्कुंदकुंद व अकलंक देव सरीखे आचार्य यों कहते है कि जो इस द्रव्यमें गडबड करता है वह अंतराय महा पापकर्मका भागी होता है और दुर्गति भोगता है; उस द्रव्यकी आजकल इतनी दुर्व्यवस्था होरही है कि जहा देखो वहां यह शिकायत है ही.

देवके सामने मत्पूर्वक थोड़ेसे फल नैवेद्य आदि जो लाग दिये जाते है फिर वे कभी वैसे उपयोगमें नहीं आसकते. इसलिये उन द्रव्यसे फिर आगाभी देवस्थानकी किसी प्रकारकी रक्षा होनेकी संभावना भी नहीं रहती; प्रत्युतः उस स्थानसे हटाकर कहीं डालना ही पडता है. और वहांसे वह हटाना जरूरी भी होता है; क्योंकि, वह द्रव्य कूड़े कचड़ेके तुल्य समझा जाता है; जैसी कि पद्मपुराणमें उस निर्मास्यकूटकी निंदा की है. उस तुच्छ द्रव्यके पीछे तो लोग हाथ धोकर पडे हैं कि उसकी व्यवस्था नई तरहसे करें; परंतु जो पूजाद्रव्य महत्वका है, और जिसकी रक्षा करना समाजका कर्तव्य है उसकी तरफ दुर्लक्ष्यही होरहा है

जो मनुष्य निर्मास्य ग्रहण करता है उसके हाथका तो समाजमें पानी पीना भी अनुचित समघते हैं. परंतु जिन पंचोंके यहां हजारों लाखोंकी संख्यामें देवद्रव्य बेहिसाब पडा रहता है उन पंच मुखियोंके घर भोजन करनेमें लोगोंको संकोच नहीं होता समाजके न्हासका कारण निर्मास्यस्पर्श नहीं है किंतु उक्त संपत्तिका हजम करना है क्योंकि, एकके यहां हजम हुई संपत्तिका अपराध रोटी बेटीके नातेसे समाजमें भ्रम फैल जाता है.

कुछ लोग निर्मास्य ग्रहण करनेवालोंकी दरिद्रताको निर्मास्यके कारण बताते हैं उन्हें सोचना चाहिये कि निर्मास्यका इतना मिलना ही असंभव होरहा है कि जिससे उदरपूर्ति भी होसके, तो भी जो वर्ग देवसेवाके नियोगमें पूर्वागत अभी कायम है. उससे जैनधर्मकी रक्षाका

एक अंग कुछ अंशोंमें निरवच्छिन्न है और उस वर्गके लिये इस वृत्तिका न छोड़ना भूषणावह है. परंतु लोग, उस वर्गकी श्रेष्ठताका विचार तो बाजूमें रख देते हैं और उसकी दरिद्रता-दोषके कारण निंदा करते हैं तथा निर्माल्यके संबंधसे अस्पृश्य बताकर समाजमेंसे जुदा करना चाहते हैं समाजके उन सुधारकोकी और हिताचिंतकोंकी बुद्धिपर यह बलिहारी है.

क्या ऐसी निंदा और दूर दूर करते रहनेसे वह वर्ग-चिरकाल-तक इस देवसेवा वृत्तिमें कायम रहेगा ? यदि न रहा तो शेष समाजके हाथसे आज क्या देवसेवाकी क्रिया होरही है जो कि आगे-आशा की जाय ? यदि नियत वर्गसे ही काम नहीं होसका तो उस कर्मकेलिये अनियत समाज क्या उसकी क्षतिको पूरा करेगा ? निर्माल्यके निषेधक लोगोंकी कल्पना यहांतक बढी है कि यदि निर्माल्य चढेगा ही नहीं तो खाकर पातकी बननेकी वारी ही न आवेगी इसीलिये.

‘मेवा मिष्टान्न ताहि मक्खी हू जुठारि जात,’ वगैरह वगैरह ‘ताते महाराज मेरी सूखी नमस्कार,’ यह दशा होचली है. इसका परिणाम यह होगा कि नियोगी वर्ग कुछ न मिलनेपर नष्ट हो जायगा और देवपुजाका कर्म दुर्दशामें आपहुंचेगा. भंडारोंमें दिये हुए धनकी इधर पंच गडबड करेगे उधर-समाजहिताचिंतक लोग-इसका दुरुपयोग दिखावेंगे. अंततो गत्वा समाज इस कर्मसे-उपेक्षित हो बैडेगा.

अब हम यह देखना चाहते हैं कि निर्माल्योपजीवी वर्गकी-हम कहांतक योग्यता समझें. एक हिंदी भाषामें कहावत है कि ‘जिसके हाथ कोई, उसके हाथ सब कोई’ अर्थात् प्राकृतिक-लोगोंमें यह व्यवहार देखनेमें आता है कि जो किसीके उदरभरणका कारण होता है वह अपनेको उदर भरनेवालेके-श्रेष्ठ समझता है. वह मानता है कि मेरे-सहारें इसका उदरनिर्वाह होता है. यों तो ऐसी वमंड तुच्छके प्रति भी न करनी चाहिये; क्योंकि, किसीके भी हाथ वास्तविक है क्या ? परंतु श्रेष्ठके प्रति-तो यह व्यवहार सर्वथा वर्ज्य रहना चाहिये.

उदाहरणार्थ, साधु, त्यागी, तपस्वी भी गृहस्थके यहासे ही भोजन करते हैं; परंतु एतावता गृहस्थ श्रेष्ठ नहीं होजाता किंतु श्रेष्ठ वे ही रहते हैं। इसी प्रकार गृहस्थोंमें भी तरतम भाव रहता ही है। विद्यार्थी रुका उपजीवन शिष्य करते हैं परंतु पुज्यपाद गुरु ही रहता है; शिष्य नहीं हो जाते।

एक श्रमंत साधुमेंके अपने उपाध्यायकी परवाह न करके, जहां जाना था वहांके लिये, आप तो गाड़ीमें बैठकर निकला और उसका अध्यापक गुरु पांव पांव चलने लगा। उस समय एक समंजस सञ्चरित्र मनुष्यने उस श्रीमंतको उलाहना दिया कि 'स्वयं हि रथेन गच्छति, उपाध्यायं पदाति गमयति.' अर्थात्, रे, तू आप तो रथमें चढकर चल रहा है और अपने उपाध्यायको पांवों चला रहा है। ऐसा व्यवहार करनेवालोंका पहिला भी अभाव नहीं था परंतु आज उसकी सीमा बहुत ही बढ़रही है। यदि दूसरा उपाध्याय उससे अच्छा न मिलता दीखा तो उस पहिलेकी तनरन्वाह दशकी जगह चारह करदी जाता है; परंतु उपाध्याय ऊपर वह, बडाभारी अहसान दिखाकर.

इधर उपाध्यय भी अहसान कबूल करता है। अर्थात्, उसे भी यही मान हो चला है कि मेरे अन्नदाता श्रेष्ठजी ही है। इस प्रकार किसी एककी तरफही चूक नहीं है किंतु दोनो ही अपने कर्तव्यसे पराङ्मुख होते जा रहे हैं यदि उपाध्याय पराधीन निष्कर्मा न बने तो शिष्य या श्रेष्ठजीकी क्षया विसाद है कि उसे तुच्छ देखें। एवं, यदि श्रेष्ठजी अपने कर्तव्यके मदमें चूर न हुए हों तो क्यों संभव है कि उस माष्टरका दर्जा हीन सिद्ध हो। पहिले भी 'द्रव्येषु सर्वे वशाः' यह कहावत प्रचलित थी परंतु जो पहिले मूर्खताकी थी वह आज बुद्धिमत्ता समझी जाती है। यही कारण है कि द्रव्यके भरभराटमें गुण छिपते जा रहे हैं।

हिंदीकी एक कहावत है कि 'गुण' ना हिरानो, गुणगाहक;

हिरानो है.' हिंदुस्थान देशभरमें धर्मकी नावत क्या और राष्ट्रीय नावत क्या, सर्वत्र यही दशा होरही है. और यही दशा देशके राष्ट्रीय धार्मिक अभ्युदयकी घातक है ठीक ही है, जब कि द्रव्यके कारण ही कीमत ठहरेगी तो गुणोंका विकास होगा कैसे ?

इसके विरोधी लोक यहां यह सवाल करेंगे कि यदि कोई मनुष्य नामसे उपाध्याय होगया हो परंतु अपनेसे श्रेष्ठ अपनेको न जंचता हो तो उसका सीमासे अधिक आदर ही क्यों किया जाय ? इसके उत्तरमें हम पूछते हैं कि जिसमें वास्तविक योग्यता है वह तो शिष्योंको बलात्कार नमा लेगा, परंतु अपने स्थितीकरण धर्मका उपयोग कहांपर होगा ? स्थितीकरणका यही मतलब है कि कर्तव्यके नियोगी मनुष्य व्यक्तिको अथवा वर्ग-समूहको कर्तव्यके योग्य न रहते हुए भी उसको उसके कर्तव्यकी प्रशंसा करके उसे कर्तव्यमें दृढ किया जाय. इसके लिये प्रोत्साहन देनेका सर्व सामान्य मार्ग यही होसकता है कि उसका उस कर्तव्यकेलिये आदर किया जाय. धर्मके अनेक क्षयोन्मुखी अंगोंमेंसे ही एक अंग उपाध्याय वर्ग है. गृहस्थीके धर्मोंके साधक नियोगी वर्गोंमेंसे अनेकोंका नाश होगया परंतु यह उपाध्याय वर्ग जीवित है.

उसकी लोग निर्माल्यजीवी कहकर अवहेलना करते है उत्तर प्रांतसे यह अवहेलना सुरू हुई और सर्व सामान्य लोग इसी विचारके चनजानेसे निर्माल्यजीवी वर्ग रहा ही नहीं. दक्षिणमें यह उत्तरकी देखादेखी अवहेलना सुरू हुई है. उसका भी परिणाम यह होचक है कि उपाध्याय वर्गके कुछ लोग देवपूजन करनेसे घृणा करने लग हैं और अपनी उन्नतिके लिये आनुवंशिक कर्मको छोडकर वैधक व्यापार आदिके व्यवसायोंमें लग रहे हैं. और समाजमें उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाकर श्रेय वर्गको भी देवसेवाके कर्मसे पराङ्मुख करडालनेके लिये कुछ इन्गे गिमे लोगोसे लोग ऐसी प्रतिष्ठाएं करकराकर पत्रोंमें प्रसिद्ध कर रहे है कि 'हमने निर्माल्य खाना छोडी. हमें नहीं समझते कि ऐसी प्रतिष्ठा

करने करानेवाले क्या दूसरा लाभ समझते हैं. हाँ इस परसे, उपाध्याय बर्ग कुछ कालमें सर्वथा अपने कर्मसे पराङ्मुख हो जायगा जिससे कि देवपूजा कर्म नियोगशून्य होकर दुर्दशामें पहुंच जायगा, यह दीखता है.

इसी प्रकार ' धर्माश्रित आजीविका करे वह पापी ' इत्यादि अभिप्रायके उपदेशोंको ठसा ठसा कर धर्मके व्यवहारका अज्ञ मनुष्योंने कंठगत प्राण कर दिया. हमारा यह कहना नहीं है कि ये सिद्धांत असत्य हैं. परंतु नय योजनाके विना एकांत का प्रकोप वदजानेसे धार्मिक व्यवहार लुप्तपाय हो चला है इस समर्थनमें हम एक ही बातकी याद दिला देते हैं कि

निश्चयमनुध्पमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते ।

नाश्रयति चरणकणं स वहिःकरणाकसो बालः ॥ (अमृतचंद्र)

यहां यह विचारणीय है कि कदाचित् धर्मके किसी साधकको स्वोचित न भी समझा हो तो भी उसके कर्मका या उसका उच्छेद करनेकी तजवीज सोचना भी तो महापाप है. क्योंकि, ऐसा करनेसे धर्मोंका न्हास होता है. इसके बावत समाधानकारक आशाधरका एक वचन है:—

उच्चावचजनप्रायः समयोयं जिनेश्विनाम् ।

नैकस्मिन् पुरुषे तिष्ठेदेकस्तम्भ इवालयः ॥

अर्थात्, ऊंचे नीचे सभी प्रकारके मनुष्य मिलनेसे जिनेश भगवान्का यह शासन जीवित अवस्थामें मौजूद है. ऊंचेसे ऊंचे सर्वथा निर्दोष किसी एकाध मनुष्यको ही यदि जैनधर्म माना जाय तो क्या जैन शासनकी जीवित दशा ठहरसकती है? क्या किसी मकानकी रचना या स्थिति एक ही खंभ या दीवारपर होसकती है?

भावार्थः—धर्मको जीवित रखना है तो समेट करनेकी बुद्धि रखनी. नास्तिकता पूर्ण विधर्मियों परदेशियोंके आक्रमणोंसे ही एक तो

धर्ममें फूट बढरही है; दूसरें, हम खुद भी यदि धर्मांगोंके सुधारक बनकर उच्छेद करेंगे तो धर्म कहाँपर टिकेगा ?

इसके सिवा एक यह बात भी विचारणीय है कि निर्मात्यके ग्रहणका भयंकर पाप समझकर जो लोग उसकी सत्तातक इसलिये शेष करनेके प्रयत्नमें लग रहे हैं कि न निर्मात्य बचेगा और न लोग उसे लेकर पापी बनेंगे—‘ न रहेगा वांस, न बजेगी वांसरी । ’ उन्हें यह भी सोचना चाहिये कि ‘ वृत्तिलोप ’ या वृत्तिच्छेद नामका भी एक भयंकर पाप है. जहाँपर निर्मात्य ग्रहणका निषेध किया है वहाँपर चार्तिककारने वृत्तिलोप करनेका भयंकर पाप वर्णन किया है. जो निर्मात्यजीवी वर्ग हैं उसका, क्या निर्मात्य जलाकर भस्मरूप कर देनेसे, आजीविका संबंधी बड़ा साधन नष्ट न होगा जिससे कि वृत्तिलोपका पाप लगता है.

यहाँपर प्रश्न यह उपस्थित होगा कि वृत्तिलोप व निर्मात्य ग्रहण इन दोनोंमेंसे अधिक पापकर्म कौनसा है ? इसका उत्तर हमारे ऊपरके विवेचनसे होजाता है. लोग यह समझेंगे कि वृत्तिलोपका पाप बचावे तो निर्मात्य ग्रहणका पाप बच नहीं पाता. यदि निर्मात्य छुड़ावे तो वृत्तिलोपका पाप सिरपर आजाता है. अर्थात्, दोनो पाप बचानेका प्रयत्न एकदम नहीं होसकता है. परंतु यह समझ ही भूलकी है कैसे ?

हम ऊपर बता चुके हैं कि जो वर्ग देवसेवाका काम करके उसके बदले निर्मात्य ग्रहण कर रहा है और उसीपर उसकी वृत्ति निर्भर है उसके सिवा जो शेष बहुभाग पूजक वर्ग है उसीको निर्मात्य ग्रहण करनेका दोष लगसकता है. यदि यह प्रसंगोपात अर्थ ठीक हो तो वृत्तिलोप तथा निर्मात्य ग्रहण ये दोनो पापकर्म गृहस्थके हाथसे बचसकते हैं और दोनो पापोंका टाकना परस्पर अधिरोधी होजाता है.

यहाँपर, वस्तुपरिस्थिति व वाक्यार्थ निर्णयके लिये एक और भी उपयोगी उदाहरण देखिये:—

यह सिद्धांतसंमत है कि कालद्रव्यके निमित्त बिना कोई भी पर्याय नहीं होता. परंतु कालके पर्याय होनेमें क्या दूसरा कोई काल कल्पित करना चाहिये ? यदि कल्पना करें तो अनवस्था दोष आता है और यदि न करें तो काल निमित्तके बिना पर्याय न होनेका वचन दूषित होता है अथवा काल कूटस्थ नित्य ठहरता है; जो कि द्रव्यस्वभावके विरुद्ध है. इस आक्षेपका निरसन इस प्रकार क्रिया है कि इतर प्रत्येक द्रव्यके परिणामानेमें जो उससे इतर द्रव्यकी अपेक्षा पडती है वह अपेक्षा अपनेको परिणामते समय नहीं पडती; क्योंकि, जिस शक्तिका उपयोग इतरके परिणामनेमें निमित्त रूप होता है वह जब अपनेमें साक्षात् विष-मान हो तो दूसरी जगहसे वह पूर्ण क्योंकी जाय ? निर्माल्यका निषेध देखते समय इस दृष्टांतका उपयोग, इतना मात्र करना चाहिये कि निषेध या विधान सार्वदेशिक नहीं होता. 'शुद्धे वस्तुनि संकल्पः कन्याजन इचोचितः' इस सोमदेवके वचनका अर्थ यह है कि कन्या ब्राह्मण है. पर क्या, जिसकी वह कन्या है उसको भी ? इसका उत्तर 'नहीं' ही होगा. इसी प्रकार निषेध सर्वत्र निषेध ही नहीं होता. प्रत्येक उपदेशकेलिये पात्रका भेद करना आवश्यकीय है. अत एव, लोग जो यहांतक मान रहे हैं कि कीडातक यदि निर्माल्य खाले तो वह भी नरकादिके पाप संचित करे, यह समझ वस्तुस्थितिके विरुद्ध है. इसलिये उसका निषेध केवल पूजककेलिये ही सार्थक है.



# निर्माल्य द्रव्य-चर्चा ।

जैन सिद्धांत मासिक पुस्तक चर सं० २४४६ के माद्रपद्र मासके अंकमें (ई० सन् १९२०) 'निर्माल्य विनियोग' इस शीर्षकका एक लेख न्यायतीर्थ पंडित वनसीधरजीने दिया है । उसमें निर्माल्य द्रव्य ग्रहण करनेके दोष भगवत् मट्टाकलंक और अमृतचंद्र सूरि और सकल-कीर्ति आचार्यने जो बताये हैं सो सब मान्य किये हैं । लेकिन जो मतुष्य किसी कामके बदलेमें निर्माल्य लेता है उसको दोष नहीं है यह ही केवल उस द्रव्यकी न्यायोपार्जयिता है । अर्थात् पुजारी-उपाध्याय इन लोगोंको निर्माल्य ग्रहण करनेका हक है । और उस हकको जो कोई बाधा करते हैं उनको अंतरायकर्मका आस्त्र होता है ऐसा लिखा है ।

पंडितजी ऐसा भी सिद्ध करना चाहते हैं कि पूजन करनेवालेने अपने पूजनकी समाप्ति किये बाद उनका उस निर्माल्य द्रव्यपर कोई हक नहीं ।

पत्र दोमें पंडितजीने लिखा है—“अर्पण करके स्वयं जो ग्रहण करता है उसके परिणाममें स्वत्व निवृत्तिरूप भाव उत्पन्न नहीं हो पाता है । एवं जो दूसरा कोई ग्रहण करना चाहता है उसके परिणामोंमें न्यायोपार्जनकी बुद्धि नहीं रहती है, क्योंकि—किसी कामके बदलेमें जो किसी एक चीजका ग्रहण करना है उसका नाम न्यायोपार्जन है ।”

इससे यह सिद्ध हुआ कि—उस निर्माल्य द्रव्यपर अर्पण करने-वालेका कुछ हक नहीं रहा । अब निर्माल्य हुआ द्रव्य देवके स्वामित्वका होता है या नहीं इस प्रश्नके ऊपर पंडितजी लिखते हैं कि—“स्थापनाके प्रारम्भसे विसर्जन हुवे तक पूजाकी क्रिया समझी जाती है । यदि उस पूजा द्रव्यके साथ भोग्य भोजक संबन्ध देवका मांग जाय तो वह संबन्ध और वह स्वामित्व विसर्जनके बादमें खतम हो जाता है ।”



इस परसे पंडितजीने ऐसा सिद्ध किया कि उस निर्माल्य द्रव्यका स्वामित्व अरिहंतादि देवोंका भी नहीं रहा । सिर्फ उसका स्वामित्व पुजारी-उपाध्यायका रहा । उस निर्माल्य द्रव्यको पुजारी-उपाध्याय सिवाय दूसरा कोई ग्रहण करेगा तो उसने उपाध्यायकी वृत्तिमें विघ्न डालनेसे उसको अंतराय कर्मके अश्रव होने चाहिये ।

अब विचार करनेकी बात यहांपर ऐसी है कि-जिस निर्माल्यके ऊपर देव गुरु इत्यादिकोंका स्वामित्व नहीं है और सिर्फ पुजारी-उपाध्यायका ही स्वामित्व है । और उन पुजारी-उपाध्यायके सिवाय अन्य कोई उसका ग्रहण काले तो उसको अंतराय कर्मके अश्रव अथवा दुर्गति का फल जो आचार्योंने बताया है, वे आचार्य अपने वाच्यमें-देवताओंका नैवेद्यादि निर्माल्य ऐसा क्यों लिखते हैं ?

देवताओंके एवजमें-“ उपाध्याय-पुजारी-निवेद्यानिवेद्य ग्रहणम् ” और “ प्रमादाहुपाध्याय ( पुजारी ) दत्त नैवेद्यग्रहणं तथा ” अथवा “ पुजारी-उपाध्यायानां निर्माल्यं स्वीकरोति यः । वंशच्छेद परिप्राप्य स पश्चाद्दुर्गतिं व्रजेत् । ” ऐसा लिख देते थे । लेकिन कोई भी आचार्यने ऐसा लिखा नहीं है । यदि लिखा हुआ पंडितजीके जाननेमें आता था तो पण्डितजी उन वाक्योंको अपने लेखमें जरूर उद्धृत कर देते थे ।

लेकिन-“ दान्मोगोपमोगादि प्रत्युह्वरणं तथा ” इस श्लोकसे पुजारी उपाध्याय ही क्या लेकिन सारी दुनियाभरके प्राणिमात्रके मोगोपमोगापामादिकमें विघ्न करनेसे अंतराय कर्मके अश्रव होते हैं । ऐसा सिद्ध होता है तो फिर केवल उपाध्याय-पुजारीके निर्माल्य ग्रहणमें विघ्न करनेवालेके वास्ते तत्त्वार्थसारमें-“ प्रमादाद्देवतदत्त-नैवेद्यग्रहणं तथा ” ऐसे अलग वाक्य डालनेकी क्या जरूरत थी ? इन वाक्योंका संबंध उपाध्यायकी आजीविकासे पण्डितजीने जोड़ा है सो स्पष्ट ब दरायण संबंध दीखता है ।

इस परसे निर्माल्य—द्रव्य ऊपर पूजारी—उपाध्यायका स्वामित्व है ऐसा आगमप्रमाणसे पण्डितजीसे सिद्ध होने नहीं पाया । अब युक्ति प्रमाणसे कैसा सिद्ध होता है सो देखेंगे ।

पण्डितजी कहते हैं कि— “ अर्पित द्रव्यको ग्रहण करनेके नियोगी मनुष्य प्राचीन समयमें भी थे जैसे कि आज। छ हैं । अर्थात् उस द्रव्यको लेनेका वह जिसे अधिकार नहीं है । यही बात निर्माल्य द्रव्यके ग्रहणके निषेधसे दिखाई गई है । ”

प्राचीन समय, भगवान् वृषभदेवसे लगाकर अंतिम तीर्थंकर महावीर तकका गिना जाता है । तो इस प्राचीन समयमें निर्माल्य ग्रहण करनेवाले कौन कौन थे उनका वर्णन किस पुराणमें है वह पण्डितजीको बतलाना चाहिये या । यदि उस प्राचीन समयके पुराणोंमें नहीं मिलता होगा तो किस प्राचीन समयमें—वहासे कहाँतक—ऐसे नियोगी मनुष्यका वर्णन पाया जाता है सो लिखना चाहिये या ।

नियोगी मनुष्यका अर्थ पण्डितजीके अभिप्रायसे—जो देवकी सेवा करता है सो नियोगी मनुष्य ऐसा होता है ।

देवकी सेवा अनेक मनुष्य अनेक प्रकारसे करते हैं जैसे—कोई मंदिरमें जाकर बुहारी देता है, कोई प्रक्षाल करता है, कोई पूजन करता है, कोई अभिषेक करता है, कोई दीवावृत्ती करता है; कोई भक्त। मर सुनाता है, कोई सूत्रजीका पाठ सुनाता है, कोई शास्त्र सुनाता है, भोजक ऋषि मन्त्र गाते हैं, कोई चौघडा मनाता है; जैसा कि भूपाल स्तोत्रमें लिखा है—

“ देवेंद्रास्तव मज्जनानि विदधुर्देवांगना मंगला-  
न्या पेटुः शरदिदुनिर्मलयशो गंधर्वदेवा जगुः ॥  
शेषाश्चापि यथा नियोगमाखिलाः सेवां सुराश्चक्रिरे  
तत्किं देव वयं विदधम इति नश्चितं तु दोलायते ॥२५॥ ”

अर्थात्—भगवान्का देवेंद्रोंने अभिषेक किया ( जन्म कल्याणिक

अभिषेक किया), देवांगनाओंने कल्याणकारक गीत गाये, गंधर्वोंने शशद ऋतुमेंसे चंद्रके माफक निर्मल-शुद्ध ऐसे तुम्हारे यशोंका वर्णन किया, और शेष सब देवोंने अपने अपने अधिकारके माफक सेवा की। हे भगवान् ! अब हम क्या करें ऐसे विचारसे हमारा चित्त आंदोलन पाता है।

ऐसे कई प्रकारकी सेवा कई मनुष्य करते हुये देखनेमें आते हैं उसमेंसे पण्डितजी किसको नियोगी ठहराना चाहते हैं ? यदि फक्त पुजारी-उपाध्यायको ही नियोगी कहेंगे तो उसको आगम प्रमाण क्या है और वह कबसे नियोगी बना ? और उसको किसने नियोगी नियत किया इसका भी कुछ सबूत चाहिये ।

क्या श्री ऋषभदेव महाराजने अथवा श्री वर्धमान तीर्थकरने अपने केवळज्ञानके समय यह दिया था कि-हमारी पूजन फलाना फलाना पुजारी या उपाध्याय करेगा उसको हमने नियोगी ठहराया है । ऐसा कोई पट्टा या सनद इन उपाध्यायोंके पास मौजूद है ऐसा पण्डितजी बता सकते हैं ?

अब कोई गांवमें नया मंदिर बनता है और उसकी प्रतिष्ठा होती है उस समय उसके मालिक उस गांवमेंसे अथवा बाहरगावमेंसे कोई उपाध्याय-पुजारीको बुलवा लेते हैं और उससे करार करते हैं कि,—इस मंदिरकी पूजा प्रक्षाल करनेका तु कबूल करता है क्या ? उसके बदलेमें निर्माल्य द्रव्य-चावल, बादाम तेरेको मिलेंगे । नारियल और पैसा टका जो षडेगा सो हम रख लेंगे उसको बेचकर उन रुपयोंमेंसे तनखा दूसरे सेवा करनेवालेको देंगे तेरेको नहीं देंगे ।

फक्त चावल बादामकी निपज उसकी आजीविका पूर्ति हो तो वह कबूल भी कर लेता है । यदि पूर्ति न हो तो दो चार दस रुपया माह्वारी अविक्र मांगता है । करार कुछ मुदत तकका होता है, फिर बदला जाता है । कुछ दिन बाद उसका काम पसंद नहीं पडा तो उसको बदलके

दूसरा भी लाया जाता है । उसके साथ अलग शर्ती बनती है । जैसा पंडितजी पत्र १२ में लिखते हैं दूसरा उपाध्याय भी रखा जाता है । नारियल पैसा टक़ा जो रखा लिया जाता है वो बेचकर दूसरे सेवा करनेवाले नियोगियोंको दिया जाता है ।

कोई कोई गांवमें दो चार घर जैनियोंके रहते हैं सो एक एक दिन बारीसे भगवान्की पूजा, प्रक्षाल, दीवावत्ती, ब्राह्म बुहारी, कर लेते हैं; किसी पुजारी उपाध्यायको नियत करते भी नहीं । तो फिर वहांका नियोगी कौन और निर्माल्य किसके हक्कका समझना चाहिये? ?

देवकी सेवा करने वाला नियोगी होता है ऐसा पंडितजी कहते हैं । अब वह दो चार घरवाले जो देवकी सेवा करते हैं तो उन्होंने अपनी सेवाके बदलेमें निर्माल्य द्रव्य ले लेना ऐसा पंडितजीके अभिप्रायसे न्यायोपार्जित हो सक्ता है ।

पण्डितजीके घर चैत्यालय है, उसकी पूजा प्रक्षाल, दीवावत्ती, ब्राह्मबुहारी इत्यादि देवसेवा पंडितजी अपने हाथसे करते हैं । दूसरा कोई नियोगी नहीं है । जिससे देवसेवा करनेके बदलेमें पंडितजीको ही अपने चैत्यालयका निर्माल्य-द्रव्य ग्रहण करना न्यायोपार्जित समझना पड़ेगा । क्योंकि पण्डितजीने अपने चैत्यालयमें पूजन विसर्जन किये बाद उनका स्वत्व उस निर्माल्य द्रव्य पर कुछ भी नहीं रहा । और भगवान्का मोक्ष मोक्षक संवत्सरा कार्य विसर्जन हुये बाद खतम हुवा तो फिर उस निर्माल्य द्रव्यके ऊपर देवसेवाके बदलेमें पण्डितजीका ही स्वामित्व सिद्ध हो चुका ।

यदि वह निर्माल्य द्रव्य आप न ग्रहण करें और अपने चैत्यालयके देवकी सेवा न करनेवालेको दें तो वह भी पंडितजीके अभिप्रायसे अन्याय है ।

इसपरसे मालूम होगा कि—कोई स्वयंसिद्ध हक्कदार नियोगी आदमी नहीं होता है । मंदिरके मालिककी इच्छानुकूल

अन्य नौकर आदमियोंकी माफक यह भी एक नौकर रहता है उसकी निर्माल्य-द्रव्य ग्रहण करनेके बारेमें बराबर शर्तें बढ़ी जाती हैं । तो फिर निर्माल्यका विनियोग करनेका अधिकार मंदिरके मालिकके हाथमें रहा या पुजारी-उपाध्यायके हाथमें रहा ?

यदि मंदिरके मालिकके हाथमें रहा तो फिर उपाध्यायका हक कुछ नहीं और अंतराय कर्मके आश्रवोंका सम्बंध जैसे पंडितजी मान रहे हैं वैसा बनता ही नहीं ।

इस परसे ऐसा सिद्ध हुआ कि-युक्ति प्रमाणसे भी उपाध्यायका निर्माल्य ग्रहणका हक कुछ भी नहीं ।

इस मुजब मंदिरके मालिक और उपाध्याय-पुजारीके दरम्यान निर्माल्य-द्रव्यका विनियोग हो रहा है तो अब शास्त्रानुक्त अंतराय कर्मके आश्रवका भागी कौन होता है ? और सकलकार्तिके वाक्यानुसार दुर्गतिको कौन जायगा ? इस पर विचार करनेसे मालूम होता है कि दोनों ही इस पापके अधिकारी हो सके हैं ।

मंदिरका मालिक जिसने पूजन करके द्रव्य भगवान्को चढ़ाया वह उस निर्माल्य-द्रव्यको ग्रहण कर नहीं सकता है, यह बात पंडितजीको मान्य है । अब वो दूसरेको देनेसे कारित नामका पापका भागीदार होता है ऐसा हमने स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाके-“ जो णय मवखेदि सयं० ” इस गाथासे सिद्ध किया था वह गाथा निर्माल्यके सम्बन्धमें नहीं लग सकती ऐसा पण्डितजी बताते हैं ।

लेकिन जो आप ग्रहण करनेमें पाप लिखा है वही पाप अन्यको ग्रहण करानेमें है यह कृतकारितानुमोदनका सम्बन्ध जैन सिद्धांतमें बराबर चला आता है । देखिये, आश्रवके प्रकरणमें एक सूत्र ऐसा है-  
“ आद्यंसंभसमारंमारंभयोगकृतकारितानुमतकषायविशेषैस्त्रिद्विश्चतुश्चैक-  
शः” इस सूत्रकी अनुवृत्ति आगे आनेवाले सभी सूत्रोंपर चली जाती है तो फिर फक्त-“ विघ्नकरणमंतरायस्य ” इस सूत्र पर और इस सूत्रके

वार्तिक—“ देवता निवेद्यानिवेद्य ग्रहणम् ” इस पर क्यों नहीं चङ्गी चाहिये ? ” संकल्पात्कृत कारितमननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् “ और ” स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति ” इत्यादि जगह जगह कृत कारितके समान दोषके प्रमाण मिलते हैं ।

यदि इस सूत्र या वार्तिक ऊपर उस सूत्रकी अनुवृत्ति नहीं लेनी चाहिये ऐसा सूत्रकार अथवा वार्तिककारका अभिप्राय होता था तो वैसा अपवाद वह लिख देते थे ।

निर्माल्य द्रव्य आप न ग्रहण करके दूसरेको देनेमें पातक नहीं ऐसा दृष्टांत सिद्ध करनेके लिये एक सोमदेवसुरिका वाक्य दृष्टांतमें दिया है कि—अपनी कन्या स्वयं भोगते नहीं हैं लेकिन दूसरेको भोगनेको देनी पडती है । यह दृष्टांत विषम है । क्योंकि—एक वक्त अष्टद्रव्य रूपी अपनी कन्या भगवान्को अर्पण कर चुके हैं, और भगवान् भोग्य भोजक संबंधसे उसको भोग चुके हैं, तो फिर वह कन्याका दान दूसरो इत्त कैसा किया जायगा ? और यदि पूजन करनेवालेका निर्माल्य द्रव्य पर हक ही नहीं तो वह दूसरेको कैसा दे सकेगा ।

यदि नियोगी मनुष्य फठाना ऐसा निश्चिन न हो सक्ता है तो निर्माल्य द्रव्य ग्रहण करनेमें कोई भी मनुष्य न्यायोपार्जित ठहर नहीं सक्ता और निर्माल्य-द्रव्य सर्भके वास्ते अग्राह्य है यही सिद्धान्त कबूल करना पड़ेगा । अर उन अग्र ह्य पदार्थको निर्माल्यकूटमें डालकर मरुम करना पड़ेगा ।

पण्डितजी करते हैं कि—इवन क्रियामें जो द्रव्य निर्माल्यकूटमें डाला जाता है वह द्रव्य पूजन किये बाद जो बचता है उसको डालना पडता है यह अभिप्राय “ तेष्वर्हदीज्या शेषांशैराहुतिर्मंत्रपूर्विका ” इस वाक्यमें जो “शेषा” शब्द पडा है उस परसे निजावते हैं । लेकिन “शेषा” शब्दका अर्थ ‘पूजन समग्रीसे बचा हुआ द्रव्य’ ऐसा महापुराण कर्ताने

और कोशकारने किया नहीं है। धरसेन मुनिकृत ' विश्वलोचन ' कोशमें "शेषा" शब्दका अर्थ इस मुजब है—“ शेषा निर्माल्य भिद्यपि ” माने निर्माल्य द्रव्यको “ शेषा ” ऐसा कहा है। महा पुराणकर्तानि पर्व ४२ में कहा है कि—

“ स्वयं महान्वयत्वेन महिम्नि क्षत्रियाः स्थिताः ।  
धर्मास्थया न शेषादि ग्राह्यन्तैः परलिंगिनाम् ॥ १८ ॥  
तच्छेषादि ग्रहे दोषः कथ्येनाहात्म्यविच्युति ।  
अपाया वहवश्चास्मिन् न तस्तत्परिवर्जनम् ॥ १९ ॥  
माहात्म्यप्रच्युतिस्तावत्कृत्वाऽन्यस्य शिरोनतिम् ।  
ततः शेषाद्युपादाने स्यान्निकृष्टत्वमात्मनः ॥ २० ॥

× × × ×

तच्छेषाशर्विचः शांति वचनाद्यन्यलिंगिनाम् ।  
पार्थिवैः परिहर्तव्य भवेन्न्यकुलताऽन्यथा ॥ २३ ॥  
जैनास्तु पार्थिवास्तेषामर्हत्पादोपसेविनाम् ।  
तच्छेषानुमतिर्न्याय्या ततः पापः क्षयो भवेत् ॥ २४ ॥  
रत्नत्रितयमूर्तित्वादादि क्षत्रियवंशजाः ॥  
जिनाः सनाभयोऽभीषा मतस्तच्छेषधारणम् ॥ २५ ॥  
अथाहिकुलपुत्राणां माल्यं गुरुशिरोधृतम् ॥  
मान्यमेव जिनेन्द्रांग्रिस्पर्शान्माल्यादि भूषितम् ॥ २६ ॥  
कथंमुनिजनादेषां शेषोपादानमित्यापि ॥  
नाशंक्यं तत्सजातीयास्ते राजपरमर्षयः ॥ २७ ॥

× × × ×

ततः स्थिरमिदं जैनान्मतादन्यमतास्थिताः ॥

क्षत्रियाणां न शेषादि प्रदानेऽधिकृता इति ॥ २९ ॥

अर्थात्—बड़े बड़े वंशोंमें उत्पन्न हुये क्षत्रिय लोग अपने आप ही महत्त्वके—बड़प्पनके स्थानपर विद्यमान हैं इस लिये उन्हें अन्यमतियोंके धर्ममें श्रद्धा रख कर उनके दिये हुये शेषा ( चढाहुवा अक्षत स्नानोदक

वगैरह ) कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये । कदाचित् कोई यह कहे कि उनके शेषा—अक्षतादि—ग्रहण करनेमें क्या दोष है ? उसके लिये कहते हैं कि, उनके शेषादि लेनेमें अपने महत्वका नाश होता है । और अनेक अनिष्ट वा विघ्न आ उपस्थित होते हैं । इस लिये उनके ग्रहण करनेका त्याग कर देना ही चाहिये । अन्य मतवालोंको नमस्कार करनेसे अपने महत्वका नाश होता है, इस लिये अन्यमतके शेषा—स्नानोदक आदि ग्रहण करनेसे अपनी निकृष्टता वा हीनता होती है । + + +

इसलिये राजा लोगोंको अन्य मतवालोंके शेषा, आशीर्वाद, शांतिवचन, शांतिमंत्र और पृथ्वाहवाचन आदि सबका त्याग कर देना चाहिये, यदि वह इन सबके ग्रहण करनेका त्याग नहीं करेगा तो फिर वह नीच कुलवाला हो जायगा । राजा लोग जैनी होते हैं इसलिये अरहंतदेवके चरण कमलोंकी सेवा करनेवाले उनके अरहंत देवकी शेषा आदिका ग्रहण करना तो न्याय ही है क्योंकि अरहंत देवकी शेषा ग्रहण करनेसे उनके पापका नाश होता है ।

श्री जिनेन्द्र देव स्तम्भकी मूर्तिरूप होनेसे आदि क्षत्रिय ऐसे श्री वृषभदेवके वंशज हैं । अतएव वे सब ( क्षत्रिय अर जिनेन्द्र ) एक ही गोत्रके भाई बंधु हैं । इस लिये क्षत्रियोंको जिनेन्द्र देवकी शेषा आदि ग्रहण करना ही चाहिये । जिस प्रकार कुल पुत्रोंको गुरुके मस्तक पर धारण की हुई माला मान्य है उभी प्रकार उन्हें जिनेन्द्र देवके चरण कमलोंके स्पर्शसे पवित्र हुई माला आदि भी मान्य सम्झनी चाहिये । कदाचित् कोई यह कहे कि इन राजाओंको मुनि लोगोंसे शेषा आदिका ग्रहण किस प्रकार करना चाहिये ? परन्तु उनकी यह शंका भी ठीक नहीं है । क्योंकि मुनिराज भी राजाकापि हैं इस लिये वे भी राजाओंके सजातीय हैं । इस लिये यह बात निश्चिन्त हो चुकी कि जो जैनमतसे भिन्न मतवाले लोग हैं उन्हें राजा लोगोंको वा क्षत्रियोंको शेषा आदि देनेका कुछ भी अधिकार नहीं है । ”



शेष शब्दका अर्थ अंग्रेजी कोशकारने इस मुजब दिया है—  
The remains of offerings made by an idol.

और त्रैवर्णिकाचार पृ० १७७में ग्रंथकारने 'शेषा' धारण करनेका श्लोक लिखा है सो इस मुजब है—

“ त्रिः परित्य जिनाधीशं भक्त्या नत्वा पुनः पुनः ।

जिन श्रीपादपीठस्थां शेषां शिरसि धारयेत् ॥

“ अर्थात्—जिनेन्द्रको तीन प्रदक्षणा देकर और मक्तिसे बारबार नमस्कार करके जिनेन्द्रके श्रीपादपीठस्थ शेषा (गंध, अक्षत, पुष्प आदि पदार्थ) अपने मस्तकपर धारण करें । यदि शेषा शब्दका अर्थ पूजन करके बचा हुआ द्रव्य ऐसा करेंगे तो पूजन पंच परमेष्ठीका करते हैं, फिर निर्गम क्षेत्रोंका करते हैं । अकृत्रिम चेत्यालयोंका करते हैं, ऐसे कोई पूजन करते करते द्रव्य नहीं बचा तो फिर हवन क्रिया बंद करनी पड़ेगी । क्योंकि नया द्रव्यसे हवन क्रिया करना कहा नहीं ।

पण्डितजी कहते हैं पूजन अर हवन दो अलग हैं ।

ऐसा—“ संध्यास्वग्नित्रये देवपूजने नित्य कर्मणि ।

भवन्त्याहुतिमंत्राश्च त एते विधिसाधिताः ॥७९॥ पर्व ४०

इस श्लोक परसे बतते हैं और इसका अर्थ—“तीनों संध्याओंमें जो जो देव पूजनरूप नित्य कर्मके अंतमें अग्नित्रयमें हवन करना होता है।” ऐसा करते हैं सो 'अन्तमे' यह अर्थ किस शब्दका पंडितजीने किया है सो मालूम नहीं होता है ।

पण्डित ठालारामजी इस श्लोकका अर्थ इस मुजब करते हैं—  
“विधि पूर्वक सिद्ध विधे हुये ये ही मंत्र प्रातःकाल मध्याह्नकाल और सायंकाल इन तीनों समय तीनों प्रकारकी अग्निमें देव पूजन करते समय और नित्य कर्म करते समय आहुतिमंत्र बड़े जाते हैं ।”

और पण्डित दौलतरामजीकी बचनिकामें अर्थ इस मुजब है—

“ ए मंत्र विधि करि साधे संतै तीनुं संध्या देवपूजा विखै तथा नित्य कर्म विधै तीनुं अगनिविधै होमके मंत्र हैं । ”

अर पंडित बल्लुप्पा निटवे लिखते हैं—“ विधि पूर्वक साधिलेले ते हे मंत्र, तिन्ही संध्याच्या समर्थी अग्नित्रयाचे ठिकाणीं नित्य कर्म स्वरूप देव पूजनाच्या निमित्ताने आहुति देण्याचे मंत्र हि होतात । ”

सो ये तीनों भी विद्वान् पण्डित हैं । इन तीनोंमेंसे किसीने भी इस श्लोकका अर्थ वरनेमें ' अंतमें ' यह शब्द नहीं डाला तो फिर पंडित बल्लुप्पाजीने किस हेतुसे डाला है सो मालूम नहीं होता है । वदाचित देव पूजन और नित्य कर्म ये एक नहीं हैं अलग अलग हैं ऐसे बतलानेके लिये डाला हो तो मालूम नहीं लेकिन देव पूजन और नित्य कर्म एक ही है ।

ऐसा—“ देवपूजा गुरुपास्ति स्वाध्यायः संयमस्तपः ॥  
दानं चेति गृहस्थानां षट् कर्माणि दिने दिने ॥ ”

इस श्लोकसे देवपूजा और नित्य कर्म एक ही हैं अलग नहीं हैं ऐसा सिद्ध होता है ।

यहां पर एक दृष्टांत कथारूपमें देते हैं—

एक राजा अपनी कचहरीमें बैठा था उस वक्त एक साहुकार बर्फी, लड्डू, आम, दाडिम, द्राक्ष, संत्रा, केला इत्यादि बहुत बढिया मेवा मिठाई अपने घरसे लेकर राजाको भेट करनेको लाया । राजाके सामने भेट घर दी । और बड़ी नम्रतासे राजाको स्वीकार करनेके वास्ते प्रार्थना की । राजाने बहुत संतुष्ट हो कर स्वीकार करली । साहुकार अपने घर चला गया । राजा भी थोड़ी देर कचहरीमें बैठके जनार्णखानेमें चला गया । भेटकी थालियां वहां ही रहीं । राजाके नौकर जो राजाको कपड़े पहिनाना, कपड़े उतारना इत्यादि खिदमतगारी करनेवाले वहां खड़े थे, वहां एक बकील साहब भी बैठे थे उनको एक खिदमतगारनं पूछा—पंडितजी साहब इस भेटको अब क्या करना चाहिये ? राजा

साहब तो बिना कहे चले गये । वकील साहबने कहा कि—साहुकार तो भेट रखकर अपने घर चले गये, जिससे उनका इस भेट पर स्वत्व कुछ नहीं । राजा साहब भी भेटको स्वीकार करके चले गये । तू राजा साहबका सेवा करनेवाला खिदमतदार है । तेरी सेवाके बदलेमें इस भेटके उपर तेरा ही हक है । तू इसको उठा कर अपने घरको ले जा सकता है, ऐसा कानून कहता है । उस मुजब वकील साहबकी सलाह सुन कर वह खिदमतदार भेटकी सब थालि ां उठा कर अपने घर ले चला । रास्तेमें जाते पहरेवालोंने उसको पकड़ लिया, और न्यायाधीश के पास भेज दिया । न्यायाधीशने उसको पूछा कि—यह राजा साहबको दी हुई भेट राजा साहबको बिना पूछे उनके बिना हुकुमसे कैसे ले जा सकता है ? खिदमतदारने कहा—मेरेको यह भेट ले जानेके बास्ते राजा साहबने तो हुकम नहीं दिया है, राजा साहब तो बिना कुछ बहे कचहरीसे चले गये, वकील साहब वहां पर बैठे थे उनके कहनेपर मैं ले चला हूं । यदि वही तो वकील साहबको यहां लेके आता हूं । न्यायाधीशने कहा अच्छा ले आओ उसपर खिदमतदार वकीलको ले आया । न्यायाधीशने वकीलको पूछा—इस खिदमतदारको राजाकी भेट अपने घर ले जानेके बास्ते तुमने कैसी सलाह दी ? वकीलने कहा कि—भेट रख जानेवाले रखकर चले गये और राजा साहबने भेट स्वीकार ली और अपनी कचहरीमेंसे निरल गये । जिससे उनका विसर्जन हो चुका । खिदमतदार राजाकी सेवा करनेवाला है उसका ही उस भेट पर स्वामित्व रहा यह बात कानूनसे सिद्ध होती है तो फिर खिदमतदारको ले जानेमें क्या हर्ज है ?

न्यायाधीशने कहा—राजाकी चीज राजाके हुकम बिना खिदमतदार लेसका है ऐसा कानून बताते हो तो तुम्हारी भी कोई चीज तुमको बिना पूछे तुम्हारा कोई नौकर घर ले जायगा तो तुम चुप बैठोगे ? वकीलने

उत्तर दिया—मैं चुप कैसा बैठूंगा ? मैं उसी वक़्त उसको जेलखानेमें भेज दूंगा ।

न्यायाधीशने कहा—रानाकी चीज भी राजाके हुक़म बिना कोई ले जायगा तो उसको बड़ी भारी सजा होनी चाहिये । ऐसा सुनकर वकील साहब बोले । खिदमतगार पर मारी आई हुई भेटसे राजी रहता है और अपनी नौकरीके बदलेमें राजा साहबसे तनखा नहीं मांगता है इससे राजा साहबका दस बीस रुखा माहवारीका फायदा हुआ सो राजासाहब भी ऐसा करनेसे राजी होंगे इस बातका भी आपको विचार करना चाहिये ।

इस पर न्यायाधीश बोले—हां ठीक है । लेकिन भेट देनेवाले साहुकारकी इच्छा भेट देनेमें क्या थी सो उसको पूछेंगे ऐसा कहकर साहुकारको वहां बुला लिया और उसको पृछा कि—तुमने राजासाहबको जो भेट दी है उसका योग खुद राजा साहबको लेना चाहिये ऐसा आप चाहते हैं अथवा राजा साहबकी सेवा करनेवाला उसको ले जायगा तो चलेगा ?

साहुकारने जवाब दिया कि—मैंने बड़ा मारी खर्च करके मिठाइयां बनाई हैं और दूरदूरसे फलफलावल मंगाये हैं, सो खुद राजा साहबके मोगमें खाना चाहिये ऐसी मेरी खास इच्छा है—नौकरके वास्ते इतना परिश्रम मैंने नहीं उठाया है । इतना सुनकर न्यायाधीशने साहुकारको लौटा दिया और वह भेटकी घालिटां राजा साहबकी भोजनशालामें भेज दीं ।

इस कथाका सारांश इतना है कि—रानाके हुक़म बिगर कोई भी नौकर राजाको दिई हुई भेट अपने घर ले जा सकता नहीं और भेट देनेवाला उस भेटका योग राजाको ही लेना चाहिये ऐसा चाहता है । नौकरोंको देना नहीं चाहता है ।

अब भगवानको बुझाया हुआ द्रव्य भगवान तो खाते नहीं तो भगवानको उस द्रव्यको भोगना चाहिये यह चढानेवालेकी इच्छा कैसे

पूरी हो सकती है ? ऐसा प्रश्न यहां खड़ा होता है । उसका समाधान 'जैन सिद्धान्त' सन् १९२० प्रथम अंक 'मूर्ति पूजा' शिरो लेख पत्र १९में पंडित बनसीधरजी ने भावार्थ दिया है उससे होता है । उसमें पंडितजी कहते हैं—“प्रथम अक्षतादिरूपा द्रव्यको जो देवना है उसका यह तात्पर्य है कि ये अक्षनादि द्रव्य हैं । बादमें, अक्षतादि शब्दोंका जो क्षयाभाव विशिष्ट ऐसा अर्थ होता है उस अर्थको केवल विशेषण रूपसे ग्रहण करता हुआ पूजक, उन विशेषणोंका आधार जो अर्हत भगवान् उसे विशेष्यरूपसे देखता हुआ विशेषण विशेष्यका संबन्ध हुआ मानता है । अर्थात् ऐसा मानता है कि जो अक्षतादि पदोंका अर्थ है वही अर्हत भगवान्का स्वरूप है । इस प्रकार व्यवहारनयकी भावनासे भेद करता हुआ विशिष्टपदके अनुभव उसे अर्हन्तमें होता है । बादमें जिस प्रकार भेदरूप रत्नत्रयके स्वरूपसे अभेदरूप उहराया जाता है उसी प्रकार, वह होता तेजपुंजरूप अग्निपिंडमें अक्षतादि श्लेषण करता हुआ उस अग्नि पुंजको अर्हतकी भावनासे माने लगता है ।”

इस परसे सिद्ध होता है कि अग्निपिंडमें डाला हुआ द्रव्य भगवान्कूँ पहुँच जाता है । ऐसी पूजन करनेवालेकी भावना हो जाती है ।

इस पर पंडितजी कहेंगे यह तो हमने हवनकर्मका भावार्थ दिया है पूजन कर्म अलग है और वह हवनसे पहले होता है । इसका जबाब ऐसा है । महापुराणके ३९।४०।४१ पर्वोंमें जहाँपर ईज्या वातां च दत्ति च इत्यादि षट् कर्मोंका वर्णन विस्तारसे किया है वहाँपर ईज्या, महेज्या, पूजा इत्यादि जो शब्द हैं सो पूजन वाचक ही हैं हवन शब्द ही नहीं है । ऐसा—“अस्मिन्नग्नित्रये पूजां” “नित्येज्या यस्य सन्ननि” “तेष्वर्हदी-ज्याशेषांशैः” इत्यादि वाक्योंसे अग्निपिंडोंमें पूजन करना ऐसा तो शब्द मिलता है लेकिन 'हवन' शब्द मिलता नहीं है ।

मूर्तिपूजा शीर्षक लेखमें पण्डितजीने महापुराणके २९ श्लोक दिये हैं । जिसमें 'हवन' शब्द नहीं है तो भी वादी संतोपार्थ अग्निकुण्डोंमें हवन भी किया जाता है ऐसा मानलें तो भी कुण्डको निर्माल्यकूट यह नाम दिया हुआ हम लेखके पत्र ८ में पण्डितजी वचूँ करते हैं । यदि उसको निर्माल्य कूट कहोगे और उसका विशेषण—'निर्माल्यवाहिनः' ऐसा पद्मपुराणमें दिया हुआ आप वचूँ करते हैं, तो उसमें निर्माल्य द्रव्य डालना ही पड़ेगा । निर्माल्य द्रव्य डाले विगर उसको 'निर्माल्यकूट' यह नाम और 'निर्माल्य वाहिनः' यह विशेषण कैसे प्राप्त हो सकेगा ?

हवन क्रियामें पण्डितजीके अभिप्रायसे निर्माल्य कुण्ड भी डाला जाता नहीं, अरु पूजनका निर्माल्य द्रव्य देवसेवा करनेवाला अपने घर ले जायगा तो फिर निर्माल्यकूटमें कौनसा निर्माल्य-द्रव्य डाला जायगा ?

इस शंकाका पण्डितजीके लेखमें कहीं पर भी उत्तर नहीं है । यदि निर्माल्य कूटमें हवन क्रियासे निर्माल्य द्रव्य डाला जाता नहीं है तो पूजन क्रियाका निर्माल्य-द्रव्य अंश डालना ही पड़ेगा ।

इस पर पण्डितजीका तर्क ऐसा है कि, यदि अग्निकुण्डोंमें पूजन कर दिया तो निर्माल्य वचता ही नहीं और उसको कोई ग्रहण कर सक्ता ही नहीं तो फिर उसके ग्रहण करनेवालोंको इतना पाप आचर्योंको बतानेकी जरूरत नहीं थी यह तर्क स्फुटदर्शनी योग्य देखता है । लेकिन थोड़ा विचार करनेसे उसका जवाब मिल सक्ता है ।

कई लोग ऐसा विचार करते हैं कि हजारों हाथोंके निर्माल्य-द्रव्यसे सैकड़ों आइमियोंकी आजीविका होनेवाली थी उसको अग्निमें मत्सकर देते हैं यह अर्थशास्त्रके नियमनुसार दुनियाका बड़ा धर्मनुकमान करते हैं । शास्त्रमें लिखनेवालेकी नयविवक्षा कुछ और होगी । अपन तो इस द्रव्यको जलायगे नहीं किसीको देंगे और उसके बदलेमें मंदिरकी सेवा करालेंगे, जिसमें अपना स्वर्ग बचेगा ।

ऐसे हेतुवाले अभी बहुतसे अदमी हैं वैसे पहिले भी होंगे इसका नमूना देखना ही तो अभिषेकके समय नजर पडता है । उपाध्याय-पूजारी लोग जब प्रतिमाका अभिषेक करते हैं उस वखत दूध, दही प्रतिमाके मस्तकके ऊपर डाल कर तजबीजसे अलग पात्रमें निकाल लेते हैं । और जब शर्करा अभिषेक करते हैं उस वखत शर्कराको मस्तक पर नहीं डालते हैं । प्रतिमाके मुखसे अलग रिखावीमेंसे दूसरी एक रिखावीमें गिराते हैं जिससे वह साबित उनको भिलनी है । यदि मस्तक ऊपर डालेंगे तो वह शर्करा जलमें मिल जायगी उनके हाथ कुछ नहीं आयगा यह उनका लोम कषाय सब कोई जानते हैं । सो ऐसे लोम कषायी अर्थशास्त्री जैसे अभी हैं वैसे पहिले भी थे । वे अग्निमें न डाल कर ले जाते थे उनको पापसे बचानेके लिये निर्माल्य-द्रव्य ग्रहण करनेका पाप आचार्योंको लिखना पडा ।

अग्निकुण्डमें पूजन करते समय जब तक अग्ने रिखावीमें द्रव्य है और जब तक 'अर्घ्यं निर्वपामि' ऐसा नहीं कहा गया तब तक वह निर्माल्य नहीं है । 'अर्घ्यं निर्वपामि' इतना कह दिये बाद वह निर्माल्य हो चुका और 'इति स्वाहा' ऐ-1 कह कर निर्माल्यकूटमें डाल दिया । पूजन विधि समाप्त हो चुकी । कदाचित् कोई ऐसा अग्निकुण्डमें पूजन न करके चौकी पर या टेबल पर करेगा तो वह निर्माल्य-द्रव्य हवन क्रिया करके निर्माल्य कूटमें तो डालना ही पडेगा ।

यदि देवसेवा करनेवाले उसको ले जावेंगे तो निर्माल्यकूटमें अब क्या डालेंगे ? और उसका सार्थक नाम निर्माल्यकूट कैसा रख सकोगे ?

पत्र ३ में पंडितजी लिखते हैं "जिस प्रकार सभीके लिये सर्प सर्प हो सकता है, परन्तु गरुडके लिये वह सर्प नहीं हो सकता है वैसे औरोंके लिये निर्माल्यका दोष लगता है लेकिन नियोगीके ( देवसेवा करनेवालेके) लिये वह निर्माल्य ग्रहणमें दोष नहीं है" । यहां सर्प और

गरुडका दृष्टांत भी प्रतिकूल है। सर्पका पूंछ गरुड अपने चोंचमें पकड़कर उसको आकाशमें लेजाता है वहां उसको खून घुमाकर ऊंचेसे जमीन पर पटक देता है जिससे सर्प मर-जाता है। इस वजहसे सर्पको गरुड मार डालता है यह बात सत्य है। लेकिन गरुड नीचे जमीनपर बैठा हो, और उसकी नजर चुराके यदि सर्प उसके पांवको काट ले तो गरुड मर जाता है। ऐसा जानवरोंकी दवा करनेवाले विहारेनरी सर्जन कहते हैं जैसा गरुड सर्पको मार डालता है वैसा मोर भी सर्पके शिरपर चांच मार कर उसको मार डालता है और विह्ली भी उसको मार डालती है। लेकिन मोर या विह्लीको सर्पने डश किया तो वे भी मर जाते हैं। सो इस गरुडके दृष्टांतसे पंडितजीने निर्माल्य ग्रहण करनेवाले पुजारी उपाध्यायको निर्माल्यके पापसे बचानेको सिद्ध करना चाहा सो सिद्ध हो नहीं पाया। यदि भगवान्की सेवा करनेवाला निर्माल्य ग्रहणके पापसे बचता है तो इतर हिंसा, चोरी, झूठ, व्यभिचार इत्यादि पापोंसे भी बचना चाहिए ! !

पण्डितजी इस लेखके पत्र ४ में लिखते हैं—“ भोजनके बाद उस भोजनकी जो विष्ठा बनती है उठा विष्ठाके ऊपर विष्ठा करनेवालेका स्वामित्व नष्ट होकर म्यूनिसिपालिटियोंका स्वामित्व स्थापन हो जाता है। ”

लेकिन वास्तवमें ऐसा नहीं है। यदि विष्ठाका मालिक अपनी विष्ठा उठा करके अपने खेतमें डाल दे तो उसको म्यूनिसिपालिटी हरकत नहीं कर सकती। विष्ठाके मालिकको अपनी विष्ठा उठा ले जानेके वारते म्यूनिसिपालिटीको अर्जी देनी पडती है और म्यूनिसिपालिटीको इस कामके वास्ते साठेचार रुपये दरसाठ देने पडते हैं तब म्यूनिसिपालिटी विष्ठा उठाती है। अस्पतालमेंके आदमियोंकी विष्ठा वहांकी भट्टीमें जला देते हैं ऐसा दादरकी मिलिटरी अस्पतालमें देखनेमें आया। सोलापुरमें मिल्वालोंके दोसरे पाथखानेकी विष्ठा म्यूनिसिपालिटी



उठाती नहीं । उसको मिलवाले आप वेच देते हैं । म्यूनिसिपालिटी उस पर अपना कुछ हक्क बताती नहीं । और कोई गवर्नमेंटको बीचमें पडनेकी जरूरत पडती नहीं । अब आगे होनेवाले इलेक्शनमें पंडितजी यदि म्यूनिसिपालिटीमें मेंबर चुने जायेंगे तो म्यूनिसिपालिटीका शहरके विष्टाके ऊपर कितना हक्क है सो उनको बराबर मालूम हो जायगा । यदि विष्टाके ऊपर म्यूनिसिपालिटीका स्वामित्व नहीं है ऐसा पण्डितजीके जाननेमें आवेगा तो निर्माल्य द्रव्यके ऊपर उपाध्याय पृजारीका कुछ स्वामित्व नहीं है ऐसा उनकी समझमें आजायगा ।

पण्डितजीने पत्र १३में पुरुषार्थसिद्धचुपायका एक श्लोक दिया वह इस मुजब है—

निश्चयमबुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव सश्रयते ।

नाशयति करणचरणं स वहिः करणालसो बालः ॥ ५०॥

अर्थात्—जो जीव निश्चय न्यके स्वरूपको न जानकर व्यवहाररूप बाह्य परिग्रहके त्यगको निश्चयसे मोक्षमार्ग जान अंगीकार करता है, वह मूर्ख शुद्धे पयोगरूप आत्माकी दयाको नष्ट करता है ।

यह श्लोक पुरुषार्थसिद्धचुपायमें अहिंसाके विषयके है । इसका संबंध निर्माल्यके विषयसे कुछ भी नहीं है । कदाचित् निर्माल्य ग्रहण करनेवालेके हाथसे भगवान्का पूजा प्रक्षाल नहीं कराना चाहिये ऐसा कहनेवाले ऐ० पन्नालाल महाराज, क्षुल्लक मुन्नालाल महाराज, ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी, पं० श्रीलालजी, पं० गुलनारीलालजी इत्यादि मूर्ख हैं ऐसा बतलानेके लिये यह श्लोक दिया हो तो मालूम नहीं लेकिन इस श्लोकके ऊपर पण्डितजीने ही यह श्लोक देनेका सबब दिया है सो ऐसा है—“ इस प्रकार धर्माश्रित आजीविका करे वह पापी इत्यादि अभिप्रायके उपदेशोंको ठसा ठसाकर धर्मके व्यवहारका अज्ञ मनुष्योंने कण्ठगत प्राण कर दिया । हमारा यह कहना नहीं है कि—ये सिद्धांत अस्त्य है ”

इसमें पंडितजी कबूठ करते हैं कि—‘ ये सिद्धान्त सत्य हैं ’ तो फिर उन सिद्धान्तोंका उपदेश करने वालोंको मूर्ख कहना यह बड़ी भारी भूल है । धर्माश्रित आजीविका करना निंद्य है ऐसा पंडितजीके गुरुजी पं० गोपालदासजी और उनके गुरुजी पं० बलदेवदासजी कहते थे । प्रतिष्ठापाठमें लिखा है—

नैव पाखंडि पुत्रो वा देव द्रव्योपजीविक ।

+++ एवं समासतः प्रोक्तं प्रतिष्ठाचार्यलक्षणं ॥

अर्थात्—देवद्रव्यसे आजीविका करनेवाला प्रतिष्ठाचार्य न होना चाहिये ।

इस ही श्लोकके नीचे पण्डितजीने एक श्लोक दिया सो इस मुजन है—

उच्चावचजनप्रायः समयोऽयं जिनेशिनाम ।

नैकारिभन् पुह्ये तिष्ठेदेकमन्म इवाल्यः ॥

अर्थात्—उंचे नीचे सभी प्रकारके मनुष्य मिलनेसे जिनेश मगधानका यह शासन जीवित अवस्थामें मौजूद हौ । उंचेसे उंचे सर्वथा निर्दोष किसी एकाध मनुष्यको ही यदि जैन धर्मी मानानाय तो क्या जैन शासनकी जीवित दशा ठहर सकती है ? क्या किसी प्रकारकी रचना या स्थिति एक ही खंभ या दीवारपर हो सकती है ?

यह श्लोक आशाधरका है ऐसा पण्डितजी लिखते हैं लेकिन सागारधर्माभूत देखनेसे यह श्लोक आशाधरका नहीं है लेकिन आशाधरका एक श्लोक—

“ विन्यस्यैदं युगिनेषु मतिमासु जिनानिव ॥

भक्त्यापूर्वमुनीनर्चत कुतः श्रेयोति चर्चिनाम् ॥ ६४ ॥

“ अर्थात्—जैसे रत्न पापाणकी मूर्ति करके उसको ऋषभ, अजित इत्यादि नाम देकर उसकी स्थापना करके पूजा करते हैं उस ही प्रकार

इस पंचम कालके मुनियोंमें पूर्वकालके मुनियोंकी कल्पना करके भक्तिसे उनका सत्कार करना चाहिये । कारण बहुत चिकित्सा करनेसे क्या फायदा है ? ”

इस श्लोकके नीचे सोम देवसुरीके श्लोक नोटमें दिये हैं उसमेंका यह एक है । इसका संबंध निर्माल्य विनियोगके विषयसे कुछ भी नहीं है ।

इसका जो असली अभिप्राय है कि—जैन धर्ममें उच्च चारित्रिके और नीचे चारित्रिके आदमी होना चाहिये सो सभीको मान्य है, कई पाक्षिक हैं, कई दर्शनिक है; कई दूसरी प्रतिमाधारी, कई तीसरी, चौथी, पांचमी, छठी, सातवीं ऐसे ग्यारहवीं प्रतिमातक श्रावक, और छठे गुण स्थान, सप्तम गुणस्थानके मुनि भी पाये जाते हैं ऐसे सभी किसमके मनुष्य देखनेमें आते हैं उनको उनकी योग्यतानुसार सभी मानते हैं । लेकिन पं० बनसीधरजी और पं० ब्रह्मप्या अनंत उपाध्याय आदिका यह श्लोक बतलानेका आशय ऐसा है कि—ऊचे मालमें हलका माल सामिल हो जाना चाहिये । ब्रह्मधारी भट्टारकोंको पंचम कालके मुनि मानकर उनकी मुनिके माफक नवधा भक्तिपूर्वक पाद-पूजा सत्कार होना चाहिये । यह बात जैन सिद्धान्तके तारतम्यताके विरुद्ध है । यदि वे ब्रह्मधारी अपनेको मुनि अथवा भट्टारक न कहला कर श्रावकके दर्जेमें अपने पद-वीके अनुकूल माननेको कहेंगे तो चल सक्ता है । वह अपने चारित्रिके माफक नाम धारण काके वर्तेंगे तो उनका कोई तिरस्कार नहीं करेगा । यदि पंडितजी इस सोमदेवसुरीके श्लोकका अभिप्राय ऐसा निकालेंगे कि ऊंचे नीचे सभीको समान मानना चाहिये तो “ टक्के सेर मानी टक्के सेर खाना ” ऐसा हो जायगा । सो यह बात सोमदेवसुरीको भी पसंद नहीं है । वे अगेके अपने श्लोकमें कहते हैं—

सत्कारादि विधावेषां दर्शनं दूषितं भवेत् ।

यथा विशुद्धमप्यम्बु विपभाजनसंगमात् ॥ ३ ॥

अर्थात्—इनका अन्कार अंगरह करनेसे उदका सम्यक्त्व विषयात्रमें रखे हुये जल माफक दूषित होगा ।

पंडितजी कहते हैं—“ निर्माल्य ग्रहणका इतना बड़ा दोष है यह प्रश्न जो समाजमें जोरके साथ फेराया जा रहा है, उसका कारण कहीं तो अज्ञान है और कहीं कृपाय है । कृपायमें तो लोभ मुख्य है और अज्ञान ज्ञान्त्रिके अर्थका न समझा है । ”

अब लोभ कृपाय निर्माल्य द्रव्य त्याग करनेमें होगा या ग्रहण करनेमें होगा, इसका उत्तर कोई भी यही देगा कि—ग्रहण करनेमें लोभ कृपाय है न कि त्यागनेमें ।

अब द्रव्य कारण अज्ञान ज्ञान्त्रिके अर्थका न समझना है, ऐसा बताते हैं तो अब—“ प्रमादाद्देवतादत्त नैवेद्यग्रहण तथा । ” इसका अर्थ देवताओंको अर्पण किया हुआ नैवेद्य लोभ कृपायसे ग्रहण करना यह अर्थ सीधा है । पंडितजीने भी तत्त्वार्थसारका जो अर्थ लिखा है वहांपर इस मुन्त्र अर्थ लिखा है—

“ नैवेद्य देवको समर्पण करनेपर फिर वह छोपवडा होकर उठा लेना ” ऐसा किया है । और निर्माल्य विनियोग छेखमें इस मुन्त्र अर्थ किया है कि “प्रमादाच्चरण पूर्वक दूसरेको विघ्न उपस्थित हो ऐसी तरहसे देवता दत्त नैवेद्यादिका ग्रहण करे तो अंतरायका कारण हो” इसमें “दूसरेको विघ्न उपस्थित हो ऐसी तरहसे” इतने शब्द श्लोकमेंसे किस शब्दसे निकाले सो मालूम नहीं । उन्हींके तत्त्वार्थसार ग्रंथके अर्थमें ये शब्द नहीं हैं लेकिन इस छेखमें पंडितजीने डाल दिये और लिखते हैं । तत्त्वार्थसारमें स्पष्ट करके खाम बताया है ।

वैसा ही—“देवता निवेद्या निवेद्यग्रहणम्” इसका अर्थ देवताको निवेदित किया हुआ और निवेदित न किया हुआ ऐसा दो प्रकारका द्रव्य ग्रहण करनेसे दूसरेके दान लाभ भोगोपभोग वीर्यमें विघ्न उपस्थित होता है ।

इस लिये उस द्रव्यको लेनेवाला अंतराय कर्म बांधता है । ” ऐसे इस लेखमें पंडितजी अर्थ करते हैं । और इस ही वार्तिकका, तत्त्वार्थसारका अर्थ लिखते समय नोटमें अर्थ इस मुजब लिखते हैं कि—“राजवार्तिकमें अर्पित अनर्पित दोनोंको लेनेवाला अंतराय कर्मका भागी लिखा है । ” इस अर्थमें और लेखके अर्थमें बड़ीभारी तफावत है ।

देखिये “दूसरेको विघ्न उपस्थित हो ऐसी तरहसे” ये शब्द इस अर्थमें नहीं हैं ।

पंडित भूषरदासजीने अपने चर्चा समाधान ग्रंथमें तत्त्वार्थसारके श्लोकका और राजवार्तिकके वार्तिकका अर्थ पृ० ९७में दिया है सो इस मुजब है । “निर्मात्यके दो भेद हैं । एक देव द्रव्य, दूसरा देवधन । जो देवज आदि वस्तु देवता निमित्त निवेदन करिये, समर्पण करिये, चढाइये, तिसे निर्मात्य द्रव्य कहिये है । अर पूजा चैत्याख्यादिका द्रव्य होई तिसे देवधन कहिये । तिनमें जो देवचढी वस्तु खाई तिसे अंतराय कर्मका बंध होई । अर जो देव धनको अंगीकार करें सो नरक जाड । ”

अर पं० जयचंद्रजी अपने सर्वार्थसिद्धि वचनिकामें लिखते हैं कि—  
“निर्मात्य द्रव्य लेना इससे अंतराय कर्मके आस्त्र होते हैं । ”

अर पं० सदासुखजी अपने अर्थ प्रकाशिका पृ० २९२में लिखते हैं—देवताको चढी वस्तुके ग्रहण करनेसे अंतराय कर्मके आस्त्र होते हैं । ” फिर आगे पत्र २९३में लिखते हैं—“ यहां कोई ऐसी आशंका करै—जो कोई पुरुष अमक्ष्य भक्षण करे ताको वर्जन करे, तो ताके अंतराय कर्मका आस्त्र कैसे नहीं कहा ? ताका समाधान—जो कोई अमक्ष्य भक्षण करता देख ऐसा विचार करै जो अमक्ष्य भक्षणतै नरक जायगा । अर हिसातैं महान पापना बन्ध होगा । किसी तरह याके घातना नहीं होइ ऐसी करुणा भावना करि वर्जन करै ताके तो अंतराय कर्मका बन्ध नहीं होय । अर जाका केवल भोग विगाडनेका अभिगथतै ही वर्जन करै ताके अंतरायका आस्त्र होयगा । ”

इस मुजब पं० भूषरदासजी, पं० जयचंदजी, पं० सदासुखजी ऐसे तीनों पंडितोंने जो अर्थ दिया है उसमें किसीमें भी—दूसरेके दान लाभ भोगोपभोग वीर्यमें विघ्न उपस्थित होता है इम लिये ” और “दूसरेको विघ्न उपस्थित हो ऐसी तरहसे ” ये शब्द डाले नहीं । पं० वंसीधरजीने भी तत्त्वार्थसार ग्रन्थका अर्थ जो दो वर्ष पहिले लिखा है उसमें भी ये शब्द दीखते नहीं हैं । फक्त इस निर्माल्य विनियोग नामके लेखमें ही ये शब्द लगा दिये हैं सो क्या पं० भूषरदासजी, पं० जयचंदजी और पं० सदासुखजीका अज्ञान है ? और उनको शास्त्रोंका अर्थ समझनेमें नहीं आया ऐसा पं० वंसीधरजी कहतें हैं ? खुद पं० वंसीधरजीने दो वर्ष पहिले तत्त्वार्थसारका जो अर्थ लिखा उस वक्त शास्त्रका अर्थज्ञान उनके समझनेमें नहीं आया और अब आया ऐसा पंडितजी कबूल करेंगे ?

यदि उपर्युक्त चारों पंडितोंका लिखा हुआ अर्थ बराबर है तो उस अर्थके अनुसार ऐलक मन्नालाळ महाराज, क्षुल्लक मन्नालाळ महाराज, पं० श्रीलाळजी अलीगढवाले, पं० सेठ मेथारामजी खूर्नावाले, ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी इत्यादि कहतें हैं—कि निर्माल्य द्रव्य पुनारी—उपाध्यायको देकर उसके बदलेमें उनके हाथसे पगवान्की पूजा कराना पाप है ऐसा कहते हैं सो शास्त्रका अर्थ समझे नहीं है ऐसा पंडितजी कहते हैं ? अथवा लोभ वषायके वश हो कर ऐसा कहते हैं ऐसा पंडितजी कहेंगे ? लोभ कषाय तो निर्माल्य द्रव्य ग्रहण करनेमें है अथवा किसीको देकर बदलेमें मंदिरका काम लेनेमें निर्माल्यका त्याग करनेमें अथवा निर्माल्य कूटमें ढाल कर फफम करनेमें नहीं है ?

यदि पं० वंसीधरजी दो वर्ष पहिले निर्माल्य द्रव्य ग्रहण करनेमें पाप है ऐसा लिख चुके और आज देवसेवा करनेवाले ग्रहण करें तो उनको पाप नहीं ऐसा लिखते हैं । सो कदाचित् लोभ कषायके उन्पन्न

होनेसे ही लिखते होंगे । ऐसा अनुमान हो सकता है । क्योंकि शास्त्रोंका अर्थ जब व्यादमी लोभके वश होता है तब पलट देना है । पंडित वंसीधरजी श्लोकका और धार्तिकका अर्थ समझनेमें अज्ञानी हैं ऐसा हो नहीं सकता । क्योंकि उन्होंने न्यायतीर्थकी परीक्षा दी है । जैसे बसुराजाको "अन्न" शब्दका अर्थ पुराना पान ऐसा बगबर मालूम था तो भी पर्वतके माके शिफारस वास्ते बसुगजाने अन्न शब्दका अर्थ बकरा होता है ऐसा पलटा दिया तो शास्त्रोंका अर्थ कदापिके वश होनेसे बड़े बड़े विद्वान् लोग भी पलटा देने हैं ।

पंडितजी पन ६में लिखते हैं कि—"जब ग्रंथोंमें भक्षणके निषेधका कोई एक शब्द भी कहींपर न मिला तब सचित्त त्याग प्रतिमाके विषयमें कार्तिकेयानुप्रेक्षामेंके एक भक्षण निषेध करनेवाले श्लोकको निर्माल्य भक्षणके निषेध करनेमें जोड़कर उसके भक्षणके निषेधको पुष्ट कर दिया ।"

ठीक लेकिन—"प्रमादाद्देवतावत्तनैवेद्य ग्रहणं तथा" इसमें जो 'ग्रहण' शब्द पड़ा है उसका अर्थ यहां 'भक्षण' होता ही नहीं क्या ? उदाहरणार्थ तत्त्वार्थसारके अर्थमें पत्र २१६में पंडितजीने नोट दिया है कि "देवताको अर्पण कर दी गई मानकी चीजको प्रमादवश होकर ग्रहण करनेवाला अंतर्गत कर्म बांधना है ।" इसमें मानकी चीज ग्रहण करना तो भक्षणके वास्ते ही है । और भी त्रैवर्णिकाचार पृ० ३६६में—"पूग-तावृद्ध पर्णानि गृण्हीवान्गुह्यशुद्धये । अर्ध-नंतर सुखा-च्या शुद्धी करितां ताम्बूल भक्षण करार्वे ।" इस प्रकार पं० ब्रह्मशास्त्रिणोंके 'ग्रहण' शब्दका अर्थ भक्षण करना लिखते हैं और पृ० २२६में लिखते हैं ।

"देवार्चकश्च निर्माल्यभोक्ता जीव विनाशकः । ×

× × × इत्यादि दुष्टसंस्मर्ग सन्त्यजेत्पंक्ति भोजने ॥

अर्थात्-देवपूजा करने उदर निर्वाह कणहारा और निर्माल्य भक्षण करणहारा ये पंक्ति भोजनके अयोग्य हैं । पं० भृगुनरामजी लिखते हैं "देव च्छेदात्तु त्वाहं तिस्रे अन्तराय कर्मका बंध होई इस प्रकार

निर्मात्य मक्षणके निषेधका प्रमाण कई ग्रंथोंमें मिलता है तो फिर ग्रहणका अर्थ मक्षण समझके कृत कारितका समान पाप बतलानेमें स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी सचित्तत्याग विषयकी गाथा प्रमाणमें देनेसे क्या बिगडा सो मालूम नहीं होता ।

अब 'पूजा' शब्दका अर्थ अग्निकी पूजा ऐसा पंडितजी करते हैं सो कैसा होता है ।

अस्मिन्नाग्नित्रये पूजां मंत्रैः कुर्वन् द्विजोत्तमः ।

आहिताग्निरिति ज्ञेयो नित्येज्या यस्य सद्गानि ॥८५॥पर्व ४०॥

“अर्थात्—जो इन तीनों प्रकारकी अग्नियोंमें इन मंत्रोंसे पूजा करता है वह उत्तम द्विज वा ब्राह्मण कहलाता है और जिसके घर ऐसी पूजा नित्य होती है उसे आहिताग्नि अथवा अग्निहोत्री समझना चाहिये । ”

इस प्रकार पंडित लालारामजी उपर्युक्त श्लोकका अर्थ लिखते हैं ।

और पं० बल्लाभा नित्ये भी इस श्लोकका अर्थ—“या अग्नित्रयाचे ठिकार्णी पीठिका मंत्रांनी पूजा करणारा ब्राह्मण श्रेष्ठ होय । ज्याच्या घरी ही पूजा नित्य चालते तो आहिताग्नि समजावा । ”

और पं० दौलतरामजी इस श्लोकका अर्थ इस मुनव लिखते हैं—“इन विषे उत्तम द्विज मंत्रनिकरि होमरूप पूजा करता संता अग्निहोत्री कहिए नित्य है पूजा जाके घर विषे ॥८५॥”

अब पंडितजी अपने मूर्तिपूजा लेख पत्र १३में इस श्लोकका अर्थ ऐसा देते हैं । “इन तीन अग्नियोंकी पूजा जिसके घरमें सदा रहती है और जो उत्तम द्विज मंत्र पृथक् इन तीन अग्नियोंमें पूजा करता है वह आहिताग्नि अथवा अग्निहोत्री कहाता है । ”

इस पं० बनसीधरजीका अर्थ ऊपरके तीन पंडितोंके अर्थोंसे मिलान करेंगे तो—इन तीन अग्नियोंकी पूजा ये शब्द उपरले उन तीनों पंडितोंके अर्थमें नहीं हैं तो फिर पं० बनसीधरजीने यह अर्थ श्लोक किस पदसे



निकाळा सो मालूम नहीं होता है । कोई भी सुरतसे अग्नि का पूजन सिद्ध करनेके वास्ते यह अर्थ पल्लुका लगा दिया ऐसा अनुमान होता है ।

इस श्लोकमें—‘अग्नित्रये’ यह शब्द है उसकी सप्तमी विभक्ति है जिसका अर्थ ‘अग्नियोंमें’ ऐसा अर्थ तो पंडितजीने किया है । अब उसके आगेका शब्द ‘पूजा’ ऐसा है वह किसकी पूजा इसका खुलासा श्लोकमें नहीं है, जिससे पंडितजीने अपने पक्षका शब्द ‘अग्नियोंकी पूजा’ ऐसा लिख डाला । लेकिन उस ‘पूजा’ शब्दके आगे ‘मंत्रैः’ ऐसा शब्द पड़ा है । वह शब्द करणीतृतीयाका है, सो वे मंत्र देखनेसे निश्चय होगा कि यहां पर पूजा अग्निकी है या भगवानकी है ?

वे मंत्र इस मुजब हैं—

सत्यजाताय नमः । अर्हज्जाताय नमः । परमजाताय नमः ।  
परमार्हताय नमः । सर्वज्ञाय नमः । अर्हते नमः । परमेष्ठिने नमोः  
नमः । इत्यादि

इस परसे यह मंत्र भगवानके नामके हैं । अग्निके नामका एक भी मंत्र नहीं है । अग्निके नामके मंत्र होते तो—

अग्नेय नमः । वन्हये नमः । हव्यवाहनाय नमः स्वाहा ।  
वैश्वानरायनमः स्वाहा ।

इत्यादि मंत्र लिखते थे । लेकिन ऐसा एक भी मंत्र नहीं है । इस परसे यहां पर—‘अग्निकी पूजा’ ऐसा अर्थ हो सक्ता नहीं । और किसी पंडितने किया भी नहीं फक्त पं० बंसीधरजीने अपना पक्ष समर्थन करनेके हेतुसे ठीक दिया है ।

अग्निकुण्डोंमें पूजन करनेके दूसरे प्रमाण उत्तरपुराण—पर्व ६७, पृ० ३३८

तथा तीर्थगणाधीश शेषकेवालिसद्रपुः ॥

संस्कार महिताधीद्र मुकुटोत्थाग्निषु त्रिषु ॥ २०४ ॥

परमात्मपदं प्राप्ताग्निजान् पितृ पितामहान् ।

उद्दिश्य भाक्तिका पुष्पगंधाक्षतफलादिभिः ॥ २०५ ॥

आर्षोपासक वेदोक्त मंत्रोच्चारणपूर्वकम् ।

दानादिसत्क्रियोपेता गेहाश्रमतपेस्विनः ॥२०६॥

नित्यमिष्टेन्द्रसामानिकादिमान्यपदोदिताः ।

लौकान्तिकाश्च भूत्वामर द्विजा ध्वस्तकल्मषाः ॥२०७॥

अर्थात्—इसके सिवाय तीर्थंकर गणधर और शेष केवलियोंके उत्तम शरीरके संस्कारसे पूज्य तथा अग्निकुमार इंद्रके मुकुटसे उत्पन्न हुई तीन अग्नियां हैं । उनमें अत्यंत भक्त तथा दान आदि उत्तम उत्तम क्रियाओंको करनेवाले गृहस्थ-तपस्वी परमात्मपदको ( सिद्ध पदको ) प्राप्त हुए अपने पिता पितामह आदिको उद्देश्य कर ऋषिप्रणीत उपासकाध्ययन नञ्के वेदमें कहे हुए मंत्रोंको उच्चारण कर पुष्प, अक्षत, गंध, फल आदिके द्वारा जो सदा आहुति देते हैं वह दूसरा आर्षयज्ञ कहलाता है । इस यज्ञके करनेवाले लोग भी इंद्र सामानिक आदि पूज्य पद पाते हैं तथा देव ब्रह्मण ( लौकान्तिक देव ) होते हैं । और अन्तमें कर्मरूपी पापको नाशकर मुक्त होते हैं ॥ २०४-२०७ ॥

पट् प्रभृत् पर श्रुतसागरकी टीकामें भाव प्राभृत्में पत्र १६३ में वसु, पर्वत, नारद इनकी कथामें लिखा है “ वन्निमुखे देवार्चनं विद्वांसो यज्ञं वदन्ति । ” अर्थात् अग्निमुखसे देव-पूजा करनेको विद्वान् लोग यज्ञ कहते हैं ।

अमरकोष संस्कृत टीका पत्र १७१ में स्वाहा शब्दका और हव्य शब्दका अर्थ लिखा है अग्निमुखेन देवेभ्यो अन्नं दीयते” अर्थात् अग्नि-मुखसे देवोंको अन्न देते हैं ।

पत्र १३में पंडितजी लिखते हैं कि 'वृत्तिलोप' या 'वृत्तिच्छेद' नामका भी एक भयंकर पाप है । जहां पर निर्माल्य ग्रहणका निषेध किया है वहीं पर वार्तिककारने वृत्तिलोप करनेका भयंकर पाप वर्णन किया है । जो निर्माल्यजीवी वर्ग है उसका क्या निर्माल्य जला कर भस्मरूप कर देनेसे आजीविका संबंधी बड़ा साधन नष्ट न होगा ? जिससे कि वृत्तिलोपका पाप लगता है ।

इस कीटिक्रमका विचार करते समय पहले वृत्ति किसको कहिये । और लोप अथवा छेद किसको कहिये सो देखना चाहिये ।

पंडितजी पत्र १२में लिखते हैं कि “ यदि दूसरा उपाध्याय उससे अच्छा न मिलता दीखा तो उस पहिलेकी तनखाह दशकी जगह चारह कर दी जाती है ” इत्यादि । इस पासे उपाध्याय अपनी नौकरी मालिकके पाससे तनखाह अथवा निर्माल्य लेकर करते हैं, और कुछ सत्र होनेसे बदले भी जाते हैं । जैसे मंदिरोंके दूसरे नौकर बदले जाते हैं । कोई भी नौकर एक मालिकसे रखसत पाया तो दूसरे मालिकके पास नौकरी करता है । और तनखाह पाता है । उसके बदलेमें पहला मालिक अपने यहां दूसरा नौकर रख लेता है । कदाचित् नौकरी नहीं मिली अथवा करनेकी इच्छा न हुई तो स्वतंत्र धंदा करके अपनी आजीविका करता है [ जैसा पंडितजीने विशालकीर्तिकी नौकरी छोडकर श्रीधर प्रेस खोल दिया । इसमें किसकी वृत्तिका किसने लोप किया ? इसमें वृत्तिलोप कुछ भी नहीं है । यदि आप कहोगे कि निर्माल्य-द्रव्य उपाध्यायको देते तो उसके ऊपर उसकी आजीविका चलती थी । सो तुमने निर्माल्य-कूटमें जला देनेसे उसकी वृत्तिलोप हुवा या नहीं ? इनका उत्तर ऐसा है कि, हवन क्रिया करनेमें जो पूजनसे बचा हुआ थोडा बहुत भी द्रव्य हवन करनेको आप फमति हैं तो यह द्रव्य हवन न करके उपाध्यायको देते तो उसकी आजीविकामें अथवा वृत्तिमें उसनी अधिक भरती होती थी सो तुमने हवन करनेसे थोडा बहुत तो वृत्तिलोपका पाप बांध लिया । वृत्तिलोपके पापसे आप भी बिलकुल बचे तो नहीं लेकिन इसमें वृत्तिलोप करनेमें कपायका सद्भाव देखना पडता है । यदि निर्माल्य द्रव्य ग्रहण करनेमें पाप है ऐसा माना जाय और उस पापसे छुडानेके हेतुसे उसको निर्माल्य द्रव्य ग्रहण करनेसे कोई छुडाता हो तो इसमें वृत्तिलोपका पाप बिलकुल नहीं है । जैसे मामटा लोक हमेशा चोरीसे ही अपनी आजीविका करते हैं उनको चोरी करना

छुडवा कर नौकरीमें अथवा खेतीवाडी करके आजीविका करनेमें लगा दिया तो उसमें पाप होगा या पुन्य होगा ? उसकी चोरी करके आजीविका करनेका वृत्तिलोप तो हुवा लेकिन ऐसा वृत्तिलोप करनेमें आचार्योंने पाप बताया नहीं है । कई आचार्योंने चोरी करनेवालेको चोरीसे छुडाया है और न्यायमार्गसे आजीविका करनेका उपदेश दिया है । कईने मांसाहार छुडाया है । एक धीवरकी आजीविका मत्स्य पकड़कर बेचने पर थी उसको उस आजीविकासे एक मुनिने छुडाया सो क्या उन्होंने वृत्तिलोपका पाप किया ? कभी नहीं होता । यहां पर एक दृष्टांत देकर इसको स्पष्ट करेंगे ।

एक गृहस्थके पास एक घोडा था । घोडेके वास्ते उसने एक नौकर रखा । घोडेको चंदी अच्छी मिळती थी । जिससे घोडेकी लीद बेचनेसे पंधरा रुपये महीना उपजते थे । नौकरने मालिकसे करार किया कि, मेरेको नौकरीके बदलेमें घोडेकी लीद दो। मैं तबखा मांगता नहीं। मालिकने कबूल किया। वह नौकर उस लीदको एक गोवालको बेचता था । गोवाल वह लीद अपनी भैंसको खिलाता था । उसी भैंसका दूध यह नौकर लाकर पीता था । एक दिन नौकर बीमार हुवा । वैद्यने उसकी परीक्षा की और कह दिया कि घोडेकी लीद खानेवाली भैंसका दूध पीनेसे तेरेको यह बीमारी हुई है । वैद्यने यह हाल उसके मालिकको कह दिया । मालिकने विचारा कि घोडेकी लीद भैंसे खाती हैं । उसका दूध आदमी पीते हैं । जिससे बीमार होते हैं । सो लीद किसीको देना अच्छा नहीं उसको जलादेना ऐसा विचार कर नौकरको कहा कि तू आगेसे लीद बेचना नहीं जला देना और तेरी नौकरीके बदलेमें तेरेको पंधरा रुपये माहवारी हम देते रहेंगे । नौकरने कबूल किया ।

इस दृष्टांतका तात्पर्य इतना है कि, नौकरकी धृति लीद पर थी, सो मालिकने छुडवाकर उसको पंधरा रुपये माहवारी करदी । इसमें उसका वृत्तिलोप किया था उसका कुछ मला किया ।

पत्र १२में पंडितजी लिखते हैं कि, उत्तर-प्रांतमें निर्माल्य-जीवी वर्ग रहा ही नहीं। दक्षिणमें यह उत्तरकी देवा देवी अनहेलना शुरू हुई है। जिससे कि देवपूजा कर्म नियोगशून्य हो का दुर्गामें पहुंच जायगा, यह दीखता है।

इससे यदि निर्माल्यजीवी पृजारी वर्ग नष्ट हो जयगा तो देव पूजा कर्म बंद हो जायगा और मंदिरोंके ताले लग जायगे ऐसा बड़ी मारी घास्ती पंडितजी बताते हैं। पंडितजीकी जन्म भूमि उत्तर प्रातमें हैं, उनका विद्याध्ययन सब उत्तर प्रांतमें हुआ है उनको उत्तर-प्रातमें अच्छा अनुभव है सो उत्तर प्रातमें निर्माल्योपजीवी पृजारी वर्ग न रहनेसे कौनसे गांवमें कौनसे मंदिरमें देवपूजा बंद हो गई और दक्षिण प्रातसे अधिक दुर्दशा कौनसी हो गई सो पंडितजी बता सकते हैं।

श्री जैनचट्टी और मूडविट्टी तरफ पंडितजी गये थे। वहां पर बहुतसे उपाध्याय पृजारी जिनको इंद्र संज्ञा है ऐसे ही निर्माल्योपजीवी हैं। लेकिन मंदिरमें एक मूडनायक प्रतिमाका प्रक्षाल करते हैं बाकी सैकड़ों प्रतिमा विना प्रक्षाल रहती हैं। ऐसा पंडितजीने देगा होगा। जैनमित्र वीर संवत् २४४७ चैत्र सुदी १४के अंक्रमे मालूम होता है कि, श्रवणवेलगुलके हरएक मंदिरमें उपाध्याय द्वारा प्रतिमाका नित्य प्रक्षाल कराया जाय ऐसा प्रस्ताव ब्र० शीतलप्रसादजी और दौबली शास्त्री-जीको पास करना पड़ा। श्रवणवेलगुलमें विष्णुगिरी पहाड़परकी श्री बाहुबली स्वामीकी बड़ी मूर्तिके चरणोंका रङ्ग काटा पड गया है ऊपरका रङ्ग सफेद सुंदर है। चरणोंका काला रंग ऊपरके याफिक रखनेका भी इन निर्माल्योपजीवियोंसे घनता नहीं है।

दक्षिण कर्नाटक प्रांतके सभी मंदिरोंमें निर्माल्योपजीवी उपाध्याय रहते हैं उनकी रसोई मंदिरमें होती है। उनकी रोटियां रखनेका शिका मंदिरमें रहता है। उनकी गौ बैस भी मंदिरजीमें; गोवरी भी मंदिरजीमें; उनका सभी संसार मंदिरजीमें और मंदिरजीके मालिक आप ही बन

बैठे हैं। श्री स्तवनिधीमें तो उपाध्याय लोगोंने धर्मशालाकी जगा रोक दी है। यात्रियोंको उतरनेमें भी हरकत करते हैं। भगवान्का पूजन हमारे हाथसे ही होगा अन्य श्रावकको करने नहीं देंगे ऐसा कहते हैं। ऐसे लोगोंसे मंदिरका रक्षण होगा ऐसा पंडितजी कहते हैं सो बड़ा आश्चर्य है।

यह निर्माल्योपजीवी पुनारी उपाध्याय वर्ग भारतवर्षमें फकत कर्नाटक प्रांतमें हैं। पंजाब, वायव्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, मारवाड, गुजरात, मध्य प्रांत, बंगाल इत्यादि दिगंबरियोंकी पांच लाख वस्तीमें कहीं भी नहीं है फकत कर्नाटककी लाख डेढ़ लाख वस्तीमें इन लोगोंके दो चारसौ घर हैं। सो क्या फकत कर्नाटक प्रांतमें प्रक्षाल होता है और बाकीके प्रांतोंमें देवपूजा होनी बंद हो गई ऐसा पंडितजी कहेंगे ? यदि तुलनात्मक दृष्टिसे देखा जाय तो दक्षिण प्रांतके मंदिरोंसे उत्तर प्रांतके मंदिरोंकी स्वच्छता विनय, पूजन, प्रक्षाल, शास्त्र स्वाध्याय, उपकरण, रथ-यत्रा इत्यादि बहुत ही बढ़िया नजर आयेगी और ऐसा दक्षिण प्रांतके कई लोग जो उत्तर प्रांतके मंदिरोंके दर्शन करके आये हैं सो कबूल करते हैं।

पत्र ७ में पंडितजी लिखते हैं कि “ निर्माल्य ” शब्दका अर्थ निर्मल है। यद्यपि ‘ निर्मलस्थ भावो निर्मल्य ’ ऐसा निर्मल अर्थमें शब्द बनता है, परंतु इस विशिष्ट प्रकारके निर्मलपनेके अर्थमें निर्माल्य शब्द बन जाता है। विशिष्ट प्रकारकी निर्मलता यद्वा इस लिये है कि देवाधि-देवको वह द्रव्य अर्पित हो चुका है। “ इस भुजब निर्माल्य शब्दके अर्थसे ही अत्यंत पवित्र ऐसा निर्माल्य द्रव्य सप्त घातुमय और विष्टायुक्त अत्यंत अपवित्र ऐसी जो मनुष्यकी जठराग्नि उसमें डालना अविनयकारक और अत्यंत घृगायुक्त समझकर उसका विनियोग पवित्र ऐसे अग्निकुंडोंमें डाल देना ही उचित मानना चाहिए। और इस ही सबवसे उन अग्नि-कुंडोंको निर्माल्यकूट ऐसा पवित्र नाम दिया गया है। भगवानकी मूर्ति

अथवा जिनवाणीकी पुस्तक रखना हो तो पवित्र जगहमें रखेंगे या विष्टा ग्रहमें ? क्या नियोगी पुजारी उपाध्यायकी जठराग्नि अपवित्र विष्टायुक्त नहीं है ऐसा पंडितजी कहेंगे ? वह भी तुम्हारे हमारे माफिक औदारिक शरीरवाला जिसमें अपवित्र सप्त धातु मरी हुई हैं तो फिर अत्यंत पवित्र निर्माल्य द्रव्य अत्यंत अपवित्र जगहमें रखना पंडितजीको पसंद हुआ ये बड़ा आश्चर्य है ! !

पत्र ६ में पंडितजी लिखते हैं कि “ निर्माल्य ग्रहणसे किसीको विघ्न उपस्थित हो तभी वह अंतरायका कारण हो सकता है । अर्थात् ही नियोगी मनुष्यके सिवाय यदि कोई दूसरा उस द्रव्यको ले तो नियोगीके लाभमें विघ्न हुआ माना जायगा; न कि, नियोगीको उसका दोष हो सकता है ” यह भी जो पंडितजीने दिया है सो भी अफलंक-स्वामीके “अनपदिष्ट हेतुकत्वादासना नियम इति चेन्न, स्वभावामिग्यंज-कत्वात्” इस वार्तिकका दिया है । लेकिन वार्तिकमें “नियोगी मनुष्य सिवा यदि कोई दूसरा उस द्रव्यको ले तो नियोगीके लाभमें विघ्न हुआ” इस भावार्थके शब्द कहां हैं ? । ये शब्द हैं ही नहीं । विघ्नकरणत्व हेतु बतानेके लिये ये शब्द पंडितजीने वार्तिकमें तो डाल दिये हैं । लेकिन यदि निर्माल्य द्रव्यपर भगवानका हक है । ऐसा सिद्ध हो गया तो वह द्रव्य भगवानको न पहुंचा कर दूसरा कोई भी लेजायगा तो उसने पूजनमें विघ्न किया ऐसा विघ्न करणत्व हेतु सिद्ध हो जाता है । और निर्माल्य द्रव्य भगवानका है ऐसा पंडितजीके लेखसे ही सिद्ध होता है सो देखिए ।

पत्र ४में पंडितजी लिखते हैं कि, “स्थापनाके आरम्भसे विसर्जन हुए तक पूजनकी क्रिया सञ्जी जाती है । यदि उस पूजा द्रव्यके साथ भोग्य भोजक संबंध देवता माना जाय तो वह संबंध और वह स्वामित्व विसर्जनके बादमें खतम हो जाता है” इससे विसर्जन तक तो भगवानका स्वामित्व रहा यह बात पंडितजीने कबूल की है । अब विसर्जन जो

होता है सो "पूजनके अंतमें जिन अनेक द्रव्योंसे अग्निकुंडोंमें हवन किया जाता है वे द्रव्य शांतिधारा छोड़नेके कारण अंतमें अर्ध दग्ध रह जाते हैं । ऐसा पत्र < में पंडितजी लिखते हैं उस शांति-धाराके बाद होता है । देखिए शांति-धाराका श्लोक—

प्रध्वस्तयातिकर्माणः केवलज्ञानभास्कराः ।

कुर्वतु जगतः शांतिं ऋपभाद्या जिनेश्वराः ॥

ऐसा शांतिधाराका श्लोक कह कर शांतिधारा छोड़े पीछे पुष्पांजलि देकर विसर्जन करते हैं, उसके श्लोक इस मुजब—

आहूता ये पुरादेवा लब्धभागा यथाक्रमात् ।

ते जिनाभ्यर्चनं कृत्वा सर्वे यांतु यथास्थितिं ॥

आव्हाननं न जानामि नैव जानामि पूजनं ।

विसर्जनं न जानामि त्वं सिद्ध परमेश्वर ॥

पंत्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं कृतं मया ।

तत्सर्वं पूर्णतामेतु त्वत्प्रसादाज्जिनप्रभो ॥

ऐसा विसर्जन हुये बाद मूर्तिको उठाकर जहाँकी वहाँ रख देते हैं । और पूजन हवन समाप्त हुवा ऐसा कह कर सब चले जाते हैं, । जैसा समाका काम संपूर्ण होने बाद समा विसर्जन हुई ऐसा समापति कह देते हैं और उठ कर समा मंडपको छोड़कर चलने लगते हैं उस वखत सभी लोग उनके पीछे चले जाते हैं ।

इस मुजब पूजन हवन पूर्ण हुये बाद विसर्जन होता है इतना सिद्ध हुवा, तो फिर निर्माल्य द्रव्य पर भगवान्का हक सिद्ध हो चुका उसको नीचमें कोई लेगा तो उसने देवपूजामें विघ्न किया ऐसा विघ्नकरणत्व हेतु सिद्ध हुवा । कदाचित् विघ्नकरणत्व हेतु सिद्ध नहीं भी हुवा तो भी पूर्व सूत्रमें 'इति' शब्दकी अनुवृत्ति लेकर वार्तिककारने 'द्रव्यपरित्याग' इत्यादि विघ्नकरणत्व हेतु न होनेपर भी अंतराय कर्मके आस्त्रोंके कारणोंमें लिखे हैं । वैसा निर्माल्य ग्रहण करनेमें विघ्नकरणत्व हेतु न होने पर भी उससे अंतराय कर्मके आस्त्रोंके कारणोंमें गिना है, अतः



चोचते सूत्रेनुपात्तः सर्वास्त्रवपंचः कथमेवंगतुं शक्यते ? इत्यत्रोच्यते—  
इति करणानुवृत्तेः सर्वत्रानुक्तसंग्रहः ॥ ३ ॥ इति करणानुवर्तते । क्व  
प्रकृतः २ क्षांति शौचमिति सद्द्वेद्यस्येत्यतः तेनानुक्तार्थ संग्रहः सर्वत्र वे-  
दितव्यः । प्रकारार्थो हि इति कारण इति ।

इस विषयमें पं० बल्लापा निटवे इस मुजब लिखते हैं—अंतराय  
कर्मास्त्रवत्वाला विघ्नकरणत्व हाच जर हेतु असतां तर वार्तिक-  
कारांनी संग्रहीत अंतरायास्त्रवांपैकी 'द्रव्या परित्याग प्राणिदधादि'  
अनेक आस्त्रवांना विघ्नकरणत्व नसताहि अंतरायास्त्रवत्व अभ्युपगत केलें  
आहे तें प्रमादाचें होईल. वरें, द्रव्या परित्य गादि कर्माचें ठायींहि विघ्न-  
करणत्व आहे म्हणावें तर 'विघ्नकरण' या शब्दाने विघ्नकरणत्वा व-  
च्छिन्नाचा संग्रह झाला अमता परंतु 'अत्र चोद्यते' असें म्हणून वार्तिक-  
कारांनी वेद्येच्या आक्षेपाच्या समाधानांत 'इति' शब्दाची अनुवृत्ति  
लिहिण्याचें कारण नव्हते: या करितां असेंच म्हटलें पाहिजे की, विघ्नकर-  
ण कर्म व आचार्यांनी संग्रहीत दुमरीं कर्म ही दोन्ही हि अंतराय कर्म  
निरूपित आस्त्रवा विशिष्ट आहेत. केवळ विघ्नकरणत्वाला आस्त्रवत्वानु-  
भापकत्वही नाही व आस्त्रवक्षणात्वहि नाहीं. तेव्हां निर्मात्यग्रहण  
अनिवेद्य पदार्थग्रहण स्वरूप कर्म असल्यानें अंतराय कर्मास्त्रवच होतें.

आता 'विघ्नकरणमंतरायस्य' या सूत्रात वार्तिककारांच्या लिहि-  
ण्या प्रमाणें 'इति' शब्दाची अनुवृत्ति (क्षांतिः शौचमितिसद्द्वेद्यस्य या  
सूत्रावरून) करावयाची असल्यानें केवळ 'विघ्नकरणत्व' हा हेतु आस्त्रवत्व  
साधक नव्हे. तर 'विघ्नकरण इति' शब्दसंग्रहीत निवेद्यानिवेद्यग्रहणादि-  
कर्मान्यतमत्वं हा हेतुहि आस्त्रवत्व साधक आहे. व तो प्रकृतोद्देश्यभूत  
निर्मात्य ग्रहणात्मक कर्माचें ठायीं असल्यानें दोर्बली शास्त्रीच्या म्हणण्या  
प्रमाणें स्वरूपासिद्ध नांवाचा हेत्वाभास हो। नाही. तसेंच ऊर्ध्व निर्दिष्ट  
हेतु हेच आस्त्रवाचें दक्षण असल्यानें निर्मात्य ग्रहणरूप कर्माचें ठायीं  
त्याची अव्याप्तिहि येत नाही.

इत्यलं विस्तरेणेति विरम्यते ॥

बल्लापा भरमाप्पा निटवे.

इस मुनत्र पं० कल्याण निटवे कर्नाटक देशके होकर भी निर्माल्य द्रव्यके ग्रहणसे अंतरायकर्मके आस्रव होते हैं ऐसा शास्त्रार्थ करके सिद्ध करते हैं। निर्माल्य द्रव्य पुजारी—उपाध्यायको ग्रहण करनेसे और मक्षण करनेसे उनको दोष नहीं है ऐसा स्याद्वाद किसी भी पंडितने स्थापन नहीं किया है। फकत पंडित वनसीधरजीकी ही यह अपूर्व नयविवक्षा है।

पत्र १२ में पंडितजी लिखते हैं कि उपाध्याय वर्गके कुछ लोग देवपूजन करनेसे घृणा करने लगे हैं और अपनी उन्नतिके लिये अनुवंशिक कर्मको छोड़कर वैद्यक व्यापार आदिके व्यवसायोंमें लग रहे हैं।” इत्यादि। इसपरसे पंडितजी ऐसा चाहते हैं कि, उपाध्याय वर्गके पुत्रोंने अधिक कमाईकी विद्या पढना नहीं और अधिक कमाईके व्यवसायमें लगना नहीं—पं० गोपाळदासजी कहते थे कि दक्षिणके उपाध्यायके लड़के जो विना पढ़े देखनेमें आये हैं उनको काबू, व्याकरण, न्याय, जैन सिद्धांत, वैद्यक, गणित इत्यादि विषय पढाओ जिससे दक्षिणका अज्ञान दूर हो क’ वहां भी उत्तरके माफिक शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्रममा, शास्त्रवर्चा गांवगांवमें देखनेमें आ जायगी। इस उपदेशसे ही कोरहापुर, मूढविद्री, म्हासुर, श्रवणवेलगुड इत्यादि जगहमें पाठशालाएं खुली और उनमेंसे कई उपाध्याय मोरेना, बनारस इत्यादि पाठशालामें पढ कर विद्वान् निकले जिसमें वासुदेव शास्त्री, बाह्वृच्छि शर्मा, बल्लाण्या अनंत उपाध्याय, शांतराजय्या, कुमारय्या ये तो फ्याईका और मंदिरमें शास्त्र बाचनेका काम कर रहे हैं। और श्रोपाल वैद्य, आप्पाराव वैद्य, मरमण्णा वैद्य इत्यादि कई पवित्र औषधालय चला रहे हैं। उनको पुजारीपनामें जो कमाई होती थी उससे चौगुनी कमाई हो रही है। सो पंडितजीकी दृष्टिसे समाजका बड़ा नुकसान हुवा होगा। लेकिन सब मारतवर्षके स्त्री पुरुषोंको ज्वरीन विद्या पढ़ाना और उनका दारिद्र्य दूर करना उनको अज्ञानताके पशुपनेसे छुडाना यह बात आज मारतवर्षके मुखिया और जैन समाएं पुकार पुकारके चिल्ला रही हैं सो पंडितजीके हिसाबसे सब अवनति ही है। हां, कई लोग पंडितजीके

माफक कहते देखनेमें आते हैं कि यदि इस वस्तु ही हमको नौकर आदमी मिलते हैं तो फिर सब लोग लिखेपढ़े हो गये पीछे बड़ी मुश्किलीसे नौकर तो मिलेगा ही नहीं और मांटे वर्तन हाथसे मांनना पढ़ेंगे सो बड़ी फिकर आन पड़ेगी ! !

पूजन उपाध्यायके हाथसे कराना या अपने हाथसे करना हम मारेमें शास्त्राज्ञा क्या है सो पंडितजीको बताना चाहिये था । अपने हाथसे पूजन करना चाहिये सो ही सच्ची भक्ति है ऐसी शास्त्राज्ञा जगह जगह देखनेमें आती है । और उपाध्याय पुजारीके हाथसे पूजन कराया सो माडोत्री पूजा है ऐसा श्री ऐलक पत्रालाल महाराज आदि कहते हैं । तो फिर पंडितजी उपाध्यायके हाथसे ही पूजन करानेके लिये इतना महत्व क्यों देते हैं मालूम नहीं होता ।

देवपूजा यह श्रावकोंके नित्यकर्मोंमेंका एक कर्म है । यदि देवपूजा आप न करके उपाध्याय पुजारीके हाथसे कराना चाहिए ऐसा कहोगे तो 'गुरुपास्ति' यह दुजा नित्यकर्म भी दूसरे कोई नियोगीके हाथसे करना पड़ेगा वैसा ही तृतीय नित्यकर्म स्वाध्याय, और चौथा संयम, पांचवां तप और छट्टा दान, ये भी अन्य आदमियोंके हाथसे ही कराने पड़ेंगे । वाहवा ! ये तो बहुत ही अच्छा हुआ !! सभी पट्कर्म परमारे हो चुके ! धर्म कायम रखनेका बहुत सुलभ उपाय मिळ गया !!!

ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी लिखते थे कि, निर्माल्य-द्रव्यकी चर्चा ऊपर पंडित लोग कुछ लिखते नहीं सो खेदकी बात है । लेकिन अब पंडित लोग लिखने लगे यह हर्षकी बात हुई है । पं० ननसीधरजीने संस्कारकूट माने निर्माल्यकूटमें अग्नि होती है यह बात मान्य की है और उसमें पूजनसे बचे हुवे द्रव्यसे हवन करना चाहिये इतना मान्य किया । अब सिर्फ निर्माल्यद्रव्य उस निर्माल्यकूटमें डालना या उपाध्याय, पुजारी, माली, व्यास, गोठी इत्यादि मंदिरोंके नौकरोंको देकर उनके पास मंदिरकी पूजा नौकरी करालेना इनमेंसे कौनसी बात शास्त्र संमत है इतने ऊपर पंडितोंके विचार प्रसिद्ध होनेकी जरूरत है ।

ता० २४-९-२१.

हिराचंद नेमचंद, सोलापुर ।

होता है सो "पूजनके अंतमें जिन अनेक द्रव्योंसे अग्निकुंडोंमें हवन किया जाता है वे द्रव्य शांतिधारा छोड़नेके कारण अग्निमें अर्ध दग्ध रह जाते हैं। ऐसा पत्र ८ में पंडितजी लिखते हैं उस शांति-धाराके बाद होता है। देखिए शांति-धाराका श्लोक—

मध्वस्तयातिकर्माणः केवलज्ञानभास्कराः ।

कुर्वतु जगतः शान्तिं ऋपभाद्या जिनेश्वराः ॥

ऐसा शांतिधाराका श्लोक कह कर शांतिधारा छोड़े पीछे पुष्पां-  
घटि देकर विसर्जन करते हैं, उसके श्लोक इस मुनव—

आहूता ये पुरादेवा लब्धभागा यथाक्रमात् ।

ते जिनाभ्यर्चनं कृत्वा सर्वे यांतु यथास्थितिं ॥

आव्दाननं न जानामि नैव जानामि पूजनं ।

विसर्जनं न जानामि त्वं सिद्ध परमेश्वर ॥

मंत्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं कृतं मया ।

तत्सर्वं पूर्णतामेतु त्वत्प्रसादाज्जिनप्रभो ॥

ऐसा विसर्जन हुये बाद मूर्तिको उठाकर जहांकी वहां रख देते हैं।

और पूजन हवन समाप्त हुवा ऐसा कह कर सब चले जाते हैं,। जैसा समाका काम संपूर्ण होने बाद समा विसर्जन हुई ऐसा समापति कह देते हैं और उठ कर समा मंडपको छोड़कर चउने लगते हैं उस नहन सभी लोग उनके पीछे चले जाते हैं।

इस मुनव पूजन हवन पूर्ण हुये बाद विसर्जन होता है इतना सिद्ध-  
हुवा, तो फिर निर्माल्य द्रव्य पर भगवान्का हक सिद्ध हो चुका उसको बीचमें कोई लेगा तो उसने देवपूजामें विघ्न किया ऐसा विघ्नकरणत्व हेतु सिद्ध हुवा। कदाचित् विघ्नकरणत्व हेतु सिद्ध नहीं भी हुवा तो भी पूर्व सूत्रमें 'इति' शब्दकी अनुवृत्ति लेकर धार्तिककारने 'द्रव्यपरित्याग' इत्यादि विघ्नकरणत्व हेतु न होनेपर भी अंतराय कर्मके आस्रवोंके कारणोंमें लिये हैं। जैसा निर्माल्य ग्रहण करनेमें विघ्नकरणत्व हेतु न होने पर भी उससे अंतराय कर्मके आस्रवोंके कारणोंमें गिना है, अत्र-

चोद्यते सूत्रेणुपात्तः सर्वास्त्रवप्रपंचः कथमेवंगतुं शक्यते ? इत्यत्रोच्यते—  
इति करणानुवृत्तेः सर्वत्रानुक्तसंग्रहः ॥ ३ ॥ इति करणानुवृत्तते । क्व  
प्रकृतः ? क्षांति शौचमिति सद्देवत्येत्यतः तेनानुक्तार्थ संग्रहः सर्वत्र वे-  
दितव्यः । प्रकारार्थो हि इति कारण इति ।

इस विषयमें पं० बल्लाण्या नित्ये इस मुञ्च लिखते हैं—अंतराय  
कर्मास्त्रवत्वात् विघ्नकरणत्व हाच जर हेतु असतां तर वार्तिक-  
कारांनी संग्रहीत अंतरायास्त्रवांपैकी 'द्रव्या परित्याग प्राणिषवादि'  
अनेक आस्त्रवांना विघ्नकरणत्व नसताहि अंतरायास्त्रवत्व अभ्युपगत केलें  
आहे तें प्रमादाचें होईल. बरें, द्रव्या परित्य गादि कर्मांचें ठायींहि विघ्न-  
करणत्व आहे म्हणावें तर 'विघ्नकरण' या शब्दाने विघ्नकरणत्वा व-  
च्छिन्नाचा संग्रह झाला अमता परंतु 'अत्र चोद्यते' असें म्हणून वार्तिक-  
कारांनी केलेल्या आक्षेपाच्या समाधानांत 'इति' शब्दाची अनुवृत्ति  
लिहिण्याचें कारण नव्हते: या करितां असेंच म्हटलें पाहिजे की, विघ्नकर-  
ण कर्म व आचार्यांनी संग्रहीत दुमरीं कर्म ही दोन्ही हि अंतराय कर्म  
निरूपित आस्त्रवता विशिष्ट आहेत. केवळ विघ्नकरणत्वाला आस्त्रत्वानु-  
मापकत्वही नाही व आस्त्रवलक्षणत्वहि नाही. तेव्हां निर्मास्यग्रहण  
अनिवेद्य पदार्थग्रहण स्वरूप कर्म असल्यानें अंतराय कर्मास्त्रवच होतें.

आता 'विघ्नकरणमंतरायस्य' या सूत्रात वार्तिककारांच्या लिहि-  
ण्या प्रमाणें 'इति' शब्दाची अनुवृत्ति (क्षांतिः शौचमितिसद्देवत्यस्य या  
सूत्रावरून) करावयाची असल्यानें केवळ 'विघ्नकरणत्व' हा हेतु आस्त्रत्व  
साधक नव्हें. तर 'विघ्नकरण इति' शब्दसंग्रहीत निवेद्यानिवेद्यग्रहणादि-  
कर्मान्यतमत्व' हा हेतुहि आस्त्रत्व साधक आहे. व तो प्रकृतोद्देश्यभूत  
निर्मास्य ग्रहणात्मक कर्मांचे ठायीं असल्यानें दोर्बली शास्त्रीच्या म्हणण्या  
प्रमाणें स्वरूपासिद्ध नांवाचा हेत्वाभास होत नाही. तसेंच ऊर्ध्व निर्दिष्ट  
हेतु हेच आस्त्रवाचें दक्षण असल्यानें निर्मास्य ग्रहणरूप कर्मांचे ठायीं  
त्याची अव्याप्तिहि येत नाही.

इत्यं विस्तरेणेति विरम्यते ॥

बल्लाण्या मरमाण्या नित्ये.

इस मुजब पं० कल्लापा निटवे कर्नाटक देशके होकर भी निर्माल्य द्रव्यके ग्रहणसे अंतरायकर्मके आस्रव होते हैं ऐसा शास्त्रार्थ करके सिद्ध करते हैं। निर्माल्य द्रव्य पुजारी—उपाध्यायको ग्रहण करनेसे और भक्षण करनेसे उनको दोष नहीं है ऐसा स्याद्वाद किसी भी पंडितने स्थापन नहीं किया है। फकत पंडित बनसीधरजीकी ही यह अपूर्व नयविवक्षा है।

पत्र १२ में पंडितजी लिखते हैं कि उपाध्याय वर्गके कुछ लोग देवपूजन करनेसे घृणा करने लगे हैं और अपनी उन्नतिके लिये अनुवंशिक कर्मको छोडकर वैद्यक व्यापार आदिके व्यवसायोंमें लग रहे हैं।” इत्यादि। इसपरसे पंडितजी ऐसा चाहते हैं कि, उपाध्याय वर्गके पुत्रोंने अधिक कमाईकी विद्या पढना नहीं और अधिक कमाईके व्यवसायमें लगना नहीं—पं० गोपालदासजी कहते थे कि दक्षिणके उपाध्यायके लड़के जो विना पढ़े देखनेमें आये हैं उनको काव्य, व्याकरण, न्याय, जैन सिद्धांत, वैद्यक, गणित इत्यादि विषय पढाओ जिससे दक्षिणका अज्ञान दूर हो क’ वहां भी उत्तरके माफिक शास्त्र स्नाध्याय, शास्त्रसमा, शास्त्रवर्चा गांवगांवमें देखनेमें आ जायगी। इस उपदेशसे ही कोल्हापुर, मूडविद्री, म्हासुर, श्रवणबेलगुड इत्यादि जगहमें पाठशालाएं खुली और उनमेंसे कई उपाध्याय मोरेना, बनारस इत्यादि पाठशालामें पढ दर विद्वान् निकले जिसमें वासुदेव शास्त्री, बाहुत्रि शर्मा, कल्लाप्पा अनंत उपाध्याय, शांतराजग्या, कुमारग्या ये तो पढाईका और मंदिरमें शास्त्र बावनेका काम कर रहे हैं। और श्रोपाल वैद्य, आप्पाराव वैद्य, भरमण्णा वैद्य इत्यादि कई पवित्र औषधालय चला रहे हैं। उनको पुनारीपनामें जो कमाई होती थी उससे चौगुनी कमाई हो रही है। सो पंडितजीकी दृष्टिसे समाजका बड़ा नुकसान हुवा होगा। लेकिन सब भारतवर्षके स्त्री पुरुषोंको जन्नीन विद्या पढाना और उनका दारिद्र्य दूर करना उनको अज्ञानताके पशुपनेसे छुडाना यह बात आज भारतवर्षके मुखिया और जैन समाएं पुकार पुकारके चिल्ला रही हैं सो पंडितजीके हिसानसे सब अवनति ही है। हां, कई लोग पंडितजीके

भाफक कहते देखनेमें आते हैं कि यदि इस वस्तु ही हमको नौकर आदमी मिलते हैं तो फिर सब लोग लिखेपढे हो गये पीछे बड़ी मुश्किलीसे नौकर तो मिलेगा ही नहीं और भांडे बर्तन हाथसे मांजना पढ़ेंगे सो बड़ी फिकर आन पड़ेगी ! !

पूजन उपाध्यायके हाथसे कराना या अपने हाथसे कराना इस बारेमें शास्त्राज्ञा क्या है सो पंडितजीको बताना चाहिये था । अपने हाथसे पूजन करना चाहिये सो ही सच्ची मक्ति है ऐसी शास्त्राज्ञा जगह जगह देखनेमें आती है । और उपाध्याय पुजारीके हाथसे पूजन कराया सो माडोत्री पूजा है ऐसा श्री ऐलुक पन्नालाल महाराज आदि कहते हैं । तो फिर पंडितजी उपाध्यायके हाथसे ही पूजन करानेके लिये इतना महत्व क्यों देते हैं मालूम नहीं होता ।

देवपूजा यह श्रावकोंके नित्यकर्मोंमेंका एक कर्म है । यदि देवपूजा आप न करके उपाध्याय पुजारीके हाथसे कराना चाहिए ऐसा कहोगे तो 'गुरूपास्ति' यह दुजा नित्यकर्म भी दूसरे कोई नियोगीके हाथसे करना पड़ेगा वैसा ही तृतीय नित्यकर्म स्वाध्याय, और चौथा संयम, पांचवां तप और छट्टा दान, ये भी अन्य आदमियोंके हाथसे ही कराने पढ़ेंगे । वाहवा ! ये तो बहुत ही अच्छा हुवा !! सभी षट्कर्म परमारे हो चुके ! धर्म कायम रखनेका बहुत सुलभ उपाय मिल गया !!!

ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी लिखते थे कि, निर्माल्य-द्रव्यकी चर्चा ऊपर पंडित लोग कुछ लिखते नहीं सो खेदकी बात है । लेकिन अब पंडित लोग लिखने लगे यह हर्षकी बात हुई है । पं० बनसीधरजीने संस्कारकूट माने निर्माल्यकूटमें अग्नि होती है यह बात मान्य की है और उसमें पूजनसे बचे हुवे द्रव्यसे हवन करना चाहिये इतना मान्य किया । अब सिर्फ निर्माल्यद्रव्य उस निर्माल्यकूटमें डालना या उपाध्याय, पुजारी, माडी, व्यास, गोठी इत्यादि मंदिरोंके नौकरोंको देकर उनके पास मंदिरकी पूजा नौकरी करालेना इनमेंसे कौनसी बात शास्त्र संमत है इतने ऊपर पंडितोंके विचार प्रसिद्ध होनेकी जरूरत है ।

ता० २४-९-२१.

हिराचंद नेमचंद, सोलापुर ।

( ३७ )

## अग्निकुण्डांत पूजन करण्याविषयी दुसरा आधार.



[ प्रगति आणि जिनविजय—आपाढ वद्य १ शके १८४२ ]  
( ता. २ जुलै सन १९२० )

श्रीयुत संपादक ' प्रगति आणि जिनविजय ' यांस—  
जयजिनेंद्र वि० वि०—खाळील मजकूर येत्या अंकी प्रसिद्ध  
करण्याची मेहेरवानी करणें.

तथा तीर्थगणाधीशशेषकेवलिसद्रूपः ।

संस्कारमाहिताग्नींद्रमुकुटोत्थागिषु त्रिषु ॥ २०४ ॥

परमात्मापदं प्राप्तान्निजान् पितृपितामहान् ॥

उद्दिश्य भाक्तिकाः पुष्पगंधाक्षतफलादिभिः ॥ २०५ ॥

आर्षोपासक वेदोक्तमंत्रोच्चारणपूर्वकम् ॥

दानादि सत्क्रियोपेतागेहाश्रम-तपस्विनः ॥ २०६ ॥

नित्यमिध्वेद्र सामानिकादिमान्यपदोदिताः ॥

लौकांतिकाश्च भूत्वामरद्विजाध्वस्तकल्पयः ॥ २०७ ॥

अर्थः—तीर्थकर गणघर आणि शेष केवळी यांच्या उत्तम देह-  
संस्कारामुळे पूज्य व अग्निकुमारेंद्रांच्या मुकुटापासून उत्पन्न झालेले तीन  
अग्नि आहेत. ह्या अग्नींत महाभक्त व दान वगैरे उत्तम क्रिया करणारे  
गृहस्थ=तपस्वी क्षणजे परमात्मपदास ( सिद्धपदास ) पोहोचलेले जे  
आपले पिता पितामह त्यांना उद्देशून ऋषिप्रणीत उपासकाध्ययन नांवाच्या



( ३६ )

वेदांत सांगितलेल्या मंत्रांचा उच्चार करून पुष्पगंधमसतक ' इत्यादि कार्यां जी नेहमी आहुती देणे याला दुसरीं आर्घ्य-यज्ञ ह्मणतात.

असा यज्ञ करणारे लोक इंद्र, सामानिक आदि पूज्यपदास नातात. तसेच ते देवब्राह्मण-लौकातिकदेव-होतात, आणि शेवटी कर्मरूपी पाप नाश करून मुक्त होतात.

( उत्तरपुराण सार्थ हिंदी पर्व ६७ पृ० ३३८ )

ता. १२ जून  
सन १९२०

राजजी सखाराम दौशी  
सोलापूर.



## निर्मास्य-द्रव्य-चर्चा ।

[ जैनमित्र-दि० श्रावण वदी ६ वीर सं. २४४६ ]

( ता. ५ आगस्ट १९२० )

निर्मास्य द्रव्य ग्रहण करना पाप है ऐसा जैन शास्त्रमें कहा हुआ आपको मान्य है क्या ? ऐसा प्रश्न पं० बनसीधर उदयलालको किया था जिसका उत्तर उन्होंने दिया कि—ऐसा जैन शास्त्रमें कहा नहीं है ।

लेकिन तत्त्वार्थ सार अ० ४ पृ० २१५ में अंतराय कर्मके आसव हेतु कहते हुवे— “ प्रमादाद्देवतादत्त नैवेद्य ग्रहणं तथा० ” इस श्लोकका अर्थ पं० बनसीधर उदयलाल लिखते हैं कि “ नैवेद्य देवको समर्पण कर देनेपर फिर वह लोभवश होकर उठलेना + + + + ये सब कार्य अंतराय कर्मके आसव कारण हैं । ” और समर्पण शब्दपर नोट देकर आप लिखते हैं । “ देवताको समर्पण कर दी गई खानेकी चीजोंको प्रमादवश होकर ग्रहण करनेवाला अंतराय कर्मको बांधता है ऐसा इस ग्रंथमें लिखा । परन्तु राजवार्तिकमें अर्पित अनर्पित दोनोंको ही लेनेवाला अंतरायकर्मका भागी लिखा है । और वह भी नैवेद्यही नहीं किंतु कोई भी चीज हो । अर्पणका अर्थ पूजा है । अर्पण न की हुई—देवद्रव्य—वह समझनी चाहिये कि जो देव देवालयके उपयोगके लिये जमान या घर, संपत्ति इकट्ठी की जाती है । ” ऐसा तत्त्वार्थ सारके श्लोकोंका अर्थ खुद्द पं० बनसीधरजी उदयलालने लिखा है । और श्रीसकलकीर्ति आचार्य कृत सद्भाषितावलीमें निर्मास्यत्यजन वर्धन नामक प्रकरणमें “ देवशास्त्र गुरुणांभो निर्मास्यं स्वीकरोति यः ॥ अंशच्छेदं परिप्राप्य सपश्चाद्गतिं व्रजेत् ॥ ” इत्यादि पाच सात श्लोक निर्मास्य ग्रहणका पाप नतानेवाले जगताहिर हो कर भी पंडितजी कहते हैं कि “ ऐसा जैन शास्त्रमें कहा नहीं है ” इसका सबब क्या ?

राजजी सखाराम दोशी, झोलापुर ।

## निर्माल्य-विक्रियोग चर्चा.

( जैनसिद्धान्त-आषाढमास वीर.सं. २४४७, जुलाई १९२२ )

निर्माल्यके विषयमें जो हमने एक लेख प्रकाशित किया था उस-  
पर श्रीयुक्त सेठ हिराचंद, नेमचंद सोलापूरवालोंने कुछ प्रश्न किये हैं  
उनका सविस्तर उत्तर आगामी अंकमें प्रकाशित करेंगे परंतु यहांपर एक  
दो जरूरी बातोंपर विचार प्रकाशित करते हैं.

सेठजीने एक आक्षेप यह किया है कि-तत्त्वार्थसारका जो अर्थ  
कुछ दिन पेस्तर इन्होंने लिखा था उसमें और अबके इनके लेखमें जो  
उसकी एक कारिकाका अर्थ लिखा गया है उन दोनोंमें परस्पर फर्क  
पढगया है. यह सेठजीका क्लिना पक्षपात मात्र है. हमारे अर्थ तिस-  
नेमें बिल्कुल फर्क नहीं पडा.

बात यह है कि तत्त्वार्थसारमें अंतरायके कारणोंका जहां प्रकरण  
है वहां अंतरायका मुख्य कारण विघ्न करना बताया है. यह लक्षण  
ऐसा सामान्य है कि अंतरायके चाहे जिस विशेष कारणमें विघ्न करना  
किसी कारणसे सिद्ध होता न हो तो वह अंतरायका कारण कभी नहीं  
होसकता. मूल लक्षण दिखानेवाले श्रीतत्त्वार्थसूत्रजीमें भी इसी गरजसे  
अंतरायका लक्षण विघ्न करना लिखा है. इसलिये यह सिद्ध हुआ कि  
इसके पेटेकी जितनी कलमें होगी वे सब विघ्न करनेवाले लक्षणको  
जरूर रखेंगी.

इस अंतरायके पेटेकी एक कलममें बताया है कि निर्माल्य प्रह-  
णसे अंतरायक्रमका बंध होता है. इस पेटेकी कलमका ऐसा अर्थ कौन  
न करेगा कि यह कलम पेटेकी है इसलिये विघ्न करनेरूप अंतरायका  
सामान्य लक्षण इसमें भी गर्भित है. यह बात सेठजीको मालूम है कि  
पेटेकी कलमोंमें त्रिरेके खतेका नाम खोलनेकी जरूरत नहीं पडती तो

भी देखनेवाला सिरिके खातेको उस पेटेमें समझ जरूर लेता है. यह बात तब होसकती है जब कि पूरा खाता सामने मौजूद हो. जब पूरा खाता सामने न हो किंतु पेटेकी एक कलमकी रकम ही किसीको लिखकर बतानी हो तो वहां खातेका खुलासा नाम भी बताना पडता है इसी तरह जब तत्त्वार्थसार हमने पुरा लिखा था तब अंतरायका खाता सिरपर बटाकर पेटेकी कलममें विघ्न करनेरूप खातेका नाम पुनः न लिखकर फक्त यह लिख दिया था कि निर्मात्य ग्रहणसे अंतरायका बंध होता है. परंतु जब लेखमें खाता सामने नहीं था तब उस फारिकाक, अर्थ बताते हुए खाता भी बतादिया कि निर्मात्य ग्रहणसे तभी अंतराय कर्म बंधेगा जब कि किसीको उससे विघ्न होना संभव हो.

पाठक विचार करें कि इस प्रकार हमारे दोनोवारके लेखमें फर्क या विरोध क्या पडगया ? सेठजीको ऐसा अर्थका विपर्यास करना मुनासिब नहीं है.

दूसरी बात इस विषयमे यह कहनी है कि सेठजी जो हमको इस निर्मात्यके लेखके कारण कपाय पुष्ट किया बताते हैं सो ठीक नहीं है. अपने दोषको दूसरेपर ढालना ठीक नहीं है. हम द्रव्य पूजाके समर्थक होनेसे थोडा तो भी द्रव्य पूजामें खर्च करेगे परंतु सेठजी निषेधक होनेसे अग्नि कुंहका उन्हें जन्मभरमें एक दो बार ही मौका मिला होगा इसलिये सेठजी बिलकूल ही सूखा नसस्कार करनेवालोमेंसे एक हैं. इसलिये सरासर अपनेपरका मिथ्या आक्षेप हमारे उपर करनेका सा- इस सेठजी आयंदेसे न करें तो ठीक है.

## निर्माल्य विचार.

[ जैनसिद्धांत-श्रावणमास वीरसं. २४४७ आगष्ट १९२१ ]

हमने निर्माल्य द्रव्यका क्या किया जाय इस प्रश्नका उत्तर अपने-निर्माल्य विनियोग लेखमें किया था, उसपर सोलापूरके श्रीयुत सेठ हिरालंद नेमचंदजी-कुछ आक्षेप करते हैं. हमारा अभिप्राय यह था कि देवस्थानोंमें जो लोग निरंतर काम कर रहे हैं और उनकी आजीविकाका दूसरा कोई साधन नहीं है उन्हें निर्माल्य द्रव्यपर पेट भरके इस काममें लगे रहना चाहिये या नहीं; एवं, यदि वे उसमें लगे रहें और निर्माल्यपरसे पेट भरा-तो उन्हें जैनधर्मो न कहकर पातकी-कहना चाहिये या उस अवस्थामें वे जैनधर्मसेवी होसकते हैं ? यह एक प्रश्न हुआ.

दूसरा प्रश्न यह कि यदि निर्माल्यपर पेट भरनेवाला अधर्मी समझा जाता है ऐसा समझकर देवस्थानके कामको वे लोग छोड़ दें और दूसरा भी कोई इसी कारण वह काम न करे तो वह काम कैसे हो ? इसीसे लगता तिसरा प्रश्न यह है कि क्या उस कामको करने-वालेकी उपजीविका किसी दूसरी तरहसे निर्विघ्न सदा चल सकती है जिससे कि उस उपजीविकासे निराकुलताके साथ निर्वाह कर वह मनुष्य देवकार्यमें लगा रहे और काममें विघ्न न पड़े ?

इन प्रश्नोंके उत्तरमें हमने अपने लेखमें यह बताया था कि निर्माल्य ग्रहण करनेसे वह पापी नहीं होजाता. पापीका अर्थ हिंसा, झूट, चोरी मैथुन व इतर वस्तुओंमें उत्कट लालसा रखना है. संक्षेपमें पाप समझना हो तो अन्यायका नाम पाप है. उसी अन्यायके झूट चोरी आदिपांच भेद हैं. निर्माल्य ग्रहण जो देवस्थानकी सेवाके बंदके है वह अन्याय नहीं है. " धर्मो दयार्द्रवृत्तित्वमन्यायः प्राणिमारणं " ऐसा

अन्यायका संक्षेप संगवज्जिनसेनने बताया है; इसका भी वही तात्पर्य है. क्योंकि अन्यायसे दूसरेका अहित होता है. और अपनी निन्दुर वृत्ति होनेसे अपना भी अहित होता है. यह धर्मशास्त्रकी अपेक्षा अर्थ है और व्यवहारकी अपेक्षासे राजनियमविरुद्धको अन्याय कहते हैं.

उक्त सेठजीने भी पांच पापोंका यह तात्पर्य बताया है कि सबसे बड़े ये ही पाप हैं और इनके छोड़नेसे मनुष्य किसी प्रकारके राजदंडमें भी फस नहीं सकता; इससे मालूम होता है. कि सेठजी भी मुख्य पाप पांच ही मानते हैं. अब सवाल यह होजाता है कि निर्मात्यग्रहणको यदि पाप मानें जैसा कि ग्रंथकारोंने बताया है तो उसे उक्त पांच पापोंमें गभित करनेचा चाहिये या नहीं ? धर्मशास्त्रोंका उपदेश देखनेसे पता लगता है कि पांचके सिवा छद्म पाप कोई नहीं है; तो फिर इसे भी किसीमें गभित करना ही होगा. इसीलिये हमने अपने लेखमें बताया था कि राजन्यासिककारके कथनानुसार अंतराय—विघ्नकारण होनेसे चोरीमें इसे गभित करना चाहिये. यदि यह विघ्न करनेका कारण है तो किसीका विघ्न हो तभी चोरीमें इसे सामिल किया जाय, नहीं तो नहीं. इसीसे नियोगी मनुष्य चोरीके दोषसे बच जाता है, यह हमने दिखाया था.

इस मार्मिक बातपर एक भी अक्षर न लिखकर इंदोरसे गोवाजी कोसने लगे और आपने स्वयं इसके विषयमें एक भी वृत्ति न देकर केवल यह सर्टिफिकेट दे दिया कि ये इनकी कुयुक्ति हैं. गोवाजीको और सेठजीको मालूम होना चाहिये कि हमने जो चोरीमें गभित करते हुए नियोगीको उससे छुटादिया है वह विना आगमयुक्तिके कोसने और सर्टिफिकेट देनेसे संदित नहीं हो जायगा. जिसमें हिंमत हो उन्हें चाहिये कि पांच पापोंमेंसे किसीमें गभित करके दिखायें और हमारे समर्थनको प्रदोष ठहरावे 'उपाध्यायपुनारीनिवेद्यानिवेश' लिखकर सेठजी विद्वानोंमें हसी कराते हैं और यह पता लगजाता है कि

सेठजीकी शब्दोंका परस्पर फारकसंबंध बिल्कुल मालूम नहीं है. क्या हमारे लेखका यह तात्पर्य है कि उपाध्यायको द्रव्य अर्पण किया जाता है?

जिसे हम कूड़ा समझते हैं वह त्यागयोग्य होजानेसे उसे दूसरा कोई लेले तो हमारी उसने कोई चोरी नहीं की, इसी प्रकार देवताको अर्पित द्रव्य बादमें देवकी अपेक्षासे कूड़ा है—त्याज्य है; इसलिये उस देवत्याज्यको जो अपने काममें लेलेता है. वह देवकी चोरी करनेवाला नहीं कहा जासकता ऐसी हालतमें उसे किसका विघ्न करनेवाला कहें इसका शेठजी और गोधानी उत्तर दें. यह भी वे उत्तर दें कि विघ्न करनेका अर्थ न ठहरता हो तो भी क्या अंतरायका उसके ग्रहणसे बंध होगा ही ? इसे जो अंतरायका कारण बताया है वह क्या बिना ही हेतुके बताया है ? क्या अंतरायका सामान्य लक्षण इसमें नहीं घटता ? नहीं घटता तो क्यों ' विघ्नकरणमंतरायस्य ' इसी सूत्रकी व्याख्यामें इसे लिखा है ? विघ्न होता है तो किसका और कैसे ? यह सब उत्तर देना सेठजीकी तर्फ है.

शेठजीने कुछ श्लोक इस बातके उद्धृत करके दिखाये हैं कि जुदे जुदे देव भगवानकी पूजा भक्तिके नियोगी हैं परंतु वे निर्माल्य ग्रहण नहीं करते. इसका उत्तर यह है कि विना भोजनकी फिक्र किये देव नियोगी होसकतै हैं परंतु मनुष्य नहीं होसकते मनुष्य पेटका नियोग पेस्तर करता है. पीछे दूसरी बात यदि पेटकी चिंता किये विना-भी मनुष्य इतर नियोगमें लग सकता होता तो आसि मसि आदि नियत नियोग करनेकी जरूरत ही न पडती. मुनियों तकको दान लेनेकी जरूरत पडती है. कुछ लोग धर्मके लिये दान देते हैं और कुछ लोग लेनेके योग्य होते हैं; यह विधि मार्ग है और कर्तव्य धर्मका स्वरूप है. परंतु जिन्हें कोई पात्र भी मानता नहीं है और देवकी सेवा करना अपना कर्तव्य जिन्होंने वंशपरंपरासे समझही रक्खा है वे उस कर्तव्यसे

विपुत्र हो जाय वह अच्छा या निर्मल्यसे निर्वाह करके सेवामें लगे रहें यह अच्छा ?

हम समझते हैं कि निर्मल्यसे निर्वाह करके भी जो आनु-वंशिक धर्मको छेड़ने नहीं है वह अच्छा है अपन गृहस्थ लोग कृपण होगये इनलिये उनको सत्कारके साथ देकर निर्वाह भी नहीं करानेकी फिकर करते हैं और उधर वे बिचारे निर्मल्यपर निर्वाह करके भी सेवामें लगे रहे हैं, इस बातको उनकी निरा करते हैं यह आपनेलिये भूषण कह नहीं है ये वे गृहस्थ हैं जि-नको कि भरत महाराजने धनदानमें पूजा कर इल धर्ममें दृढ़ किया था. आज हमारी यह कुतर्क और कृपणता उनको मदत तो दमडीकी नहीं ही करने देती परंतु यथावथा वे उन अपने नियोगमें लगसहे हैं उनका उनमें विपुत्र करहालनेका हम प्रयत्न करते हैं जहां ये लोग नहीं है ऐसे पांतीमें पूजाका वारवाग कैसा फजिहता होता है सो अलुभय क-नेसेही मालूम होसकता है.

इस वक्त भावना चाहै जमी हो परंतु वस्तुस्थिती ऐसी है कि ये लोग पूजा करें और अपन इनकी गृहस्थीका निर्वाह चलाने योग्य दान दें तथा घरद्वार कायम करते रहें. अपन हम बातको भूषणये भगतचक्रानें धर्मा समा समझ उनको धनधान्य नहा दिया जो कि राजा महाराजा थे किंतु यज्ञ पूजामें जो लगे रहनेके कारण उदरनिर्वाहकी जुगी सटपट नहीं कर सकते थे उन्हें निर्वाहके योग्य सब कुछ दिया बिचार करनेकी बात है कि जिनके हजारो दाहन हों ऐसे राजाओंको वाइन दिया दिये जायगे और वेभी धर्मकी रक्षाके हेतु । इससे स्पष्ट होता है कि जो धर्ममें आसक्ति रहनेके कारण अपना निर्वाह स्वयं नहीं कर सकते थे उन्हींको भरतने सब कुछ दिया और प्रजास दिलानेकी रिवाज हालदी आज उनके हम जैन बहानेवाले रहा ठहा भी छुहा केना चाहते हैं. तभी तो धर्मकी यह दशा है !



जब वे लोग पूजा करनेके नियोगी हैं तो इस पूजाकी सामग्रीपर उनका हक भी सुतरां होजाता है कि वे चाहे सो उसका करें जब उन्हें श्रावक लोग पूजते थे तब वे इस सामग्रीका चाहे सो करते होंगे पांतु जब श्रावकोंसे निर्वाह न होसका तबसे वे उस सामग्रीको अपने काममें लाने लगे. कोई समय ऐसा भी बीता है जब कुछ श्रावकोंने उन्हें पूजना भी छोड़दिया हो और सामग्री स्वयं लेना चांहा हो; उस समय 'श्रावकोंको उसका अधिकार नहीं.' ऐसा निषेध किया गया हो और निर्माल्य ग्रहणसे अंतरायका बंधन होना बताया गया हो नहीं तो अंतरायके बंधका कारण होना किस प्रकार संभव होगा, वह सेठजीको बताना चाहिये. नियोगीका अर्थ सेठजीकी समझमें नहीं आया इसलिये हमने यह बताया है. अपने मनसे नियोग नहीं ठहरता, भरत और आदिनाथ महाराजने उन्हें और आपनेको जो कर्म करना बताया है वह उसका नियोग है.

## निर्माल्यद्रव्य-चर्चा.

( श्रगति आणि जिनविजय-मार्ग शु० १ वीर  
सं० २४४८, ता. ३०।११।२१. )

पुष्कल दिवसापासून निर्माल्यद्रव्यचर्चा चालू आहे; परंतु याचा विनियोग ( उपयोग ) कसा करावा याचा निकाल अद्यापि लागलेला नाही. तथापि हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा होऊन बसला आहे. यासंबंधी एक लेख पं० वंशीधर यांनी जैनासिद्धांत मासिक वीर सं. २४४६ भाद्र-पदमास अंक २ मध्ये 'निर्माल्यका विनियोग' या नांवाने प्रकाशित केला आहे. त्यातील अभिप्राय असा आहे की, निर्माल्यग्रहण करण्याचा हक फक्त उपाध्यायवर्गास आहे. कारण देवाची पूजा केल्यानंतर श्रावकांचा मोक्षदला हाणून हे द्रव्य त्यास दिले जाते. व त्यांचे घेणे हे

न्यायास अनुसरून आहे. नियोगीशिवाय ( उपाध्यायाशिवाय ) इतरांस वेण्याचा अधिकार नाही. ग्रहण केलें असतां दुर्गति प्राप्त होते. पूर्वपरंपरेस अनुसरून उपाध्यायवर्ग निर्मात्य ग्रहण करीत असतां, स्वामध्ये जो कोणी विघ्न करील त्यास अंतराय कर्माचें आसन येतात.

पवित्रजिनीं नियोगी याचा अर्थ देवसेवा करणारा उपाध्यायवर्ग असा केला आहे. तर देवाची सेवा करणारे उपाध्यायलोकच आहेत, इतरां नाहीत काय ? अर्थात् सर्व देवसेवा करणारे आहेत. मग सर्वांनी निर्मात्य भक्षण करावें काय ? देवसेवेचा अधिकार फक्त उपाध्यायास दिला आहे असें शास्त्रांत कोठेहि सांपडत नाही व तो मानीत असण्यास पवित्रजिनीं प्रसिद्ध करावा अशी त्यांन आमची सविनय सूचना आहे.

केवळ रूढीवरून देवसेवेचा मक्ता उपाध्यायास देणें कधीहि योग्य होणार नाही असें कोणीहि समजत माणूय कडू करील. कारण पूजा नाचे कार्य स्वतः केल्याने जितकी फलप्राप्ती होते तितकी दुसऱ्याच्या हातून केलेली पूजा ( भाडोत्रीपूजा ) फलदायक होत नाही ही ग्राह्य सूर्य प्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे.

वास्तविक पाहता आपल्या समाजांत अज्ञान जास्त असल्यामुळे लोकांना पूजा कशी करावी व त्याचा विधि कसा आहे हें समजत नाही, अथवा प्रपंचामध्ये सेवक होत नसल्यामुळे उपाध्यायाकडून पूजा करविण्याचा प्रघात पडला असावा असें आत्मांस वाटतें. अद्याप देखील कित्येकांस द्वापुढें नीट अर्घ्यसुद्धां देतां येत नाही ही शोचनीय स्थिती सर्वत्र दृष्टीत पडत आहे हा प्रघात जर असाच चालू राहील तर यापेक्षां पूजनाविषयी जास्त अज्ञान वाढणचा संभव आहे. याकरितां प्रत्येकांन स्वतः पूजा केली पाहिजे. कारण श्रावकांची सहा कर्तव्य शास्त्रांत सांगितली आहेत, त्यापैकी जिनपूजा हें पहिलें कर्तव्य आहे व तें पाळणें अशक्य झाल्यास बाकीचीं कर्तव्ये कशी पाळणार ? याकरितां प्रत्येकांन पूजा करावयास शिकणें अत्यंत जरूर आहे अशी सर्वास आमची नम्र

प्रार्थना आहे या योगाने उपध्यायाचे सुद्धां श्रम वांचनील. पूजा कर-  
ण्याचे सामर्थ्य असने असने काही दिवसांनी समाजाच्या अंगी आल्या-  
वर उपध्यायाच्या पिढीनाद् हक्कावर मात्र गदा योगास याची वाट काय !  
याचे उत्तर असे आहे की, देवळातल्ले सुनिर्मलान्न काण्याचें काम  
उपाध्यायाने निर्मल्या ऐवजी पणार देऊन कळून घ्यावें त्या योगाने  
निर्मल्य भक्षणच्या पासारामून उपध्यायाचा वचाव होईल पंडित-  
जींनी असे ह्मटले आहे की, 'निर्मल्य द्रव्य सर्वान् न्याज्य आहे परंतु  
नियोगी ह्मणजे पुत्रत्यास त्याज्य नाही. ज्याप्रमाणे सर्प सर्वांस भयकर  
आहे परंतु गण्डास नाही.

पंडितांनी पुतारी केकाय गण्डाचा दृष्टान दिव्या आहे; परंतु  
तो येथे वेगवेगळ्या पद्धत नाही हें एकदा संत विचार केला असतां  
सहन समजण्यासारखे आहे गण्ड आणि सर्प यांचा नैसर्गिक स्वभाव  
अगदी भिन्न आहे या दोघांच्या स्वभावामध्ये वदक करवा असे कोणी  
सनातन आगिन्यास ते होणें अशक्य केलीतील आहे. कारण निसर्गामध्ये  
केव्हाहि वदक होत नाही असा सृष्टिग्राह्याचा नियम आहे. त्याप्रमाणें  
पुजाच्याचा पूजन करणें हा नैसर्गिक धर्म वदक कारण त्याचा गुण  
उपाध्यायाशिवाय इतरांच्या अंगीदेखील असतो. देवमेवा हा गुण स-  
र्वान साध्य होण्यासारखा आहे जसे गण्डाचें सामर्थ्य सर्पाच्या अंगी  
येत नाही त्याचप्रमाणें पुजनाचें सामर्थ्य दुपण्याच्या अंगी येणार  
नाहीं ह्मणूनच की काय उपाध्यायाने निर्मल्य त्याज्य नाही असे वि-  
धान केले आहे परंतु हे नियम कोणत्या जाणान् लिहिले आहे.  
याचा तुगाता पंडितजींनी करवयाचा होता ह्मणजे त्याचें ह्मणणें आ-  
ह्वास पटले असे.

देवळ सुकाने कोणत्याहि गोष्टी विधानास पत्र होत नसतात,  
त्यास जाल व याची आवश्यकता असत दुपण्यांनी अघार दाखविला  
असतां तो याना पद्धत नाही. कारणेच त्याचा विपर्यास करतात.

सोलापूर येथील सुप्रसिद्ध पुढारी गुरुवर्य शेट हिराचंद नेमचंद मानी 'निर्माल्यद्रव्यचर्चा' या पुस्तकामध्ये कुंकुदाचार्य, उमास्वामी, अकलंकदेव, अमृतचंद्राचार्य आणि सकलकर्ति वगैरे आचार्यांच्या शास्त्रातील प्रमाणे दाखविणी आहेत ती पंडितजींना मान्य आहेत. शेवटी त्यांनी असे सिद्ध करून दाखविले आहे की, निर्माल्य भक्षण करणे महापाप आहे. ते स्वतः खाऊ नये व दुसऱ्यास देऊ नये. कारण निर्माल्य भक्षण करणाऱ्या मनुष्याम चोरीचा दोष लागतो आणि त्यास अंतरायकर्मचे आश्रय येतात, वगच्छेद होऊन शेवटी त्यास दुर्गति प्राप्त होते याकरिता निर्माल्यद्रव्य अग्निकुंडात भस्म केले पाहिजे. याचप्रमाणे पंडितजींनी निर्माल्यद्रव्य नियोगीशिवाय इतरांनी भक्षण करू नये अशी शास्त्राची आज्ञा दाखवून आपले मत प्रदर्शित करावे अशी त्यांस पुन्हा एकदा नम्र विनंति करून हा लेख संपवितो.

ता. १०-१०-२१.

आपला नम्र,

माणिक गोविंद कटक, सोलापूर.

## निर्माल्यद्रव्य-चर्चा.

जुलाई सन १९३१ के जैन मित्रातमें प० बनसीधरजी लिखते हैं कि, तत्त्वार्थ सारका अर्थ लिखा है उसमें और इम लेखमें फरक पडा ऐसा जो आक्षेप किया है सो बराबर नहीं है भिराने रकम और पेटेकी रकम देखनेसे फर्क नहीं है एना मालुम हांगा. इपका उत्तर ऐसा है कि तत्त्वार्थ सारके 'विघ्नकरणमतशायस्य' इयसूत्रका अर्थ अथमे इति तरु कोई भी देखेगा तो म लुप होगा कि, उसमें देवमेवा करनेवाला नियोगी यदि निर्माल्यग्रहण करेगा उसको अतराय कर्मके आश्रय नहीं होगा ऐसा लिखाही नहीं है. ग्रहण करनेवालेको आश्रय होत है ऐसा लिखा है.

फिर भी अशुभनाम कर्मके आस्रवोंमें भी लिखा है.

चैत्यस्य च तथागन्धमार्यधूयादि मोषणम् ॥

× × × × × +

अशुभस्येति निर्दिष्टा नाम्न आस्रव हेतवः ॥ ४७ ॥

अर्थात्:—प्रतिमाके गंध, माला, घूप इत्यादि चीजोंकी चोरी करना वगैरह अशुभ नामकर्मके आस्रव दिखाया है.

( तत्त्वार्थमार अ० ६ श्लो. ४७ )

निर्मास्यद्रव्य ग्रहणको चोरी समान गिना है. सो इस मुजब—

क्षेत्रे ग्रामे खले घोषे पत्तने काननेऽध्वनि

विस्मृतं पतितं नष्टं निहितं स्थापितं स्थितम् ॥ ४९ ॥

अदत्त न परद्रव्यं स्वीकुर्वन्ति महाधिपः ॥

निर्मास्यमिव पश्यन्तः परत्तापविभीरवः ॥ ५० ॥

अर्थात्:—खेतमें गांवमें खलियानमें ( खटमें ) गौशालामें पत्त-  
नमें ( नगरमें ) वनमें और मार्गमें भूके हुये, गिरे हुये, हराये हुये, गड़े  
हुये, रखे हुये, वा स्थापन किये हुये, विना दिये हुये ( माटिककी आ-  
ज्ञाके विना ) पर द्रव्यको निर्मास्यकी समान देखतहुये परत्तापसे भीत  
मुद्धिवान्पुरुष कदापि ग्रहण नहीं करते

( पं० पन्नालालजी बाकलीवालकृत—धर्मपरीक्षा उचरार्थ सार्थ  
पृ० २७०।२७१ )

अब विघ्नकरणत्व हेतुके ऊपर पंडितजीका जो बहोत जोर है.  
उसका उत्तर हम दे चुके हैं कि,—भगवानको अर्पण किया हुआ द्रव्य  
निर्मास्यकूटमें ढाला जाता है तबतक वह पूजाही है इस कार्यके पहिलेही  
जो कोई उठालेगा उसने पूजनमें विघ्न किया यह बात सिद्धही है. नि-  
र्मास्यकूटमें निर्मास्यद्रव्य ढालना चाहिये यह बात पंडितजी कबूल कर  
चुके है. तो फिर उसके पहिलेही कोई उठाले जायगा तो उसने पूजनमें  
विघ्न किया अथवा चोरी किई ऐसा कहनाही पड़ेगा. विघ्नकरणत्व हेतु

सिवाय इतर केई बातोंसे अंतरायकर्मके आसब होते हैं ऐसे वाक्य आचार्योंके लिखे हुवे हम बता चुके हैं उनको कैसे छोड सकोगे ? यदि नियोगी-पुजारी निर्मास्य ले जायगा तो निर्मास्यकूटमें क्या ढालोगे? इस प्रश्नपर पंडितजी अर्भातक निरुत्तर हैं.

पंडितजीने निर्मास्यका त्याग करनेवालेपर लोभ कषायका दोष दिया था. उसका उत्तर देते समय-लोभ कषायका दोष निर्मास्य त्याग करनेवालेपर होता नहीं निर्मास्य ग्रहण करनेवालेपर होता है ऐसा हमने लिखा है सो योग्यही है. त्यागधर्मका अर्थ लोभ कषायका अस्तित्व ऐसा पंडितजी करेगे तो क्या माननाही पडेगा ?

पंडितजी लिखते हैं " हम द्रव्यपूजाके समर्थक होनेसे थोडा तो भी द्रव्यपूजामें स्पर्च करेंगे. परंतु शेटजी निषेधक होनेसे अग्नि-कुंडका उन्हें जन्मभरमें एक दो बारही मोका मिला होगा. इसलिये शेटजी बिरकूलही सूखानमस्कार करनेवालोंमेंसे एक हैं. " इत्यादि इसका उत्तर ऐसा है कि, हम द्रव्यपूजाके निषेधक हैं ऐसा जो पंडितजी कहते हैं सो बिरकूल असत्य है. हमने द्रव्यपूजाका निषेध नहीं किया है, ऐसा पंडितजीके लेखपरसेही सिद्ध होता है. हमने अग्निकुंडमें एक दो बारही पूजन किया ऐसा पंडितजी लिखते हैं यदि अग्निकुंडमें पूजन होता है सो द्रव्यपूजनही है तो फिर द्रव्यपूजनका निषेधक अग्निकुंडमें पूजन कैसा करेगा ? इसमें हमारे ऊपरका द्रव्यपूजनके 'निषेधक' नामका दोषारोप पंडितजीके वाक्योंसे ही खंडित होता है हम निर्मास्यके निषेधक है और पंडितजी निर्मास्य ग्रहणके प्रतिपादक है. पंडितजी थोडा तो भी द्रव्यपूजामें स्पर्च करते हैं वैसे हम भी थोडासा हररोज द्रव्यपूजामें स्पर्च करते हैं. पंडितजी दो लवंगसे अथवा तीन चावलसे द्रव्य पूजा करते होंगे. हम दो अगरवत्तीसे करते हैं. सो भी द्रव्य पूजन कहा जाता है. हम सूखानमस्कार करनेवालेमेंसे एक हैं ऐसा पंडितजी लिखते हैं. सो कोई वखत पंडितजीके खीसेमें लवंग न होनेसे पंडितजी

कू भी सूखानमस्कार करना पन्ता है ऐसा हमको भी अगरवत्ती बर्जाक न होनेसे अथवा सलगानेकी कामनी न हानेमे सूखानमस्कार भी करना पडता है. और ऐसा सूखानमस्कार द्वातेपे श्रावक करते देखनेमें आते है इममें कोई पाप है ऐसा पडेतजीने दत्तया भी नहीं. सूखानमस्कार करने की तो गाल्ज्जा—“ द्रवो विप्रह संकोत्तो द्रव्य पुजा निगद्यते ” इस अभितगतिश्रावकाचारसे मिलती है लेकिन द्रव्यपुजनमें द्रव्य अर्पण करके उन निर्माल्य द्रव्यको देवमेवाके बदलेमें उठाकेनेको शास्त्राज्ञा जनधर्ममें नहीं है.

पांडितर्जा पत्र ३४ में लिखते है कि,—“ अब सवाल यह हो- जाता है कि, निर्माल्य ग्रहण को यदि पाप माने जैसा कि ग्रंथकारोंने बताया है तो उसे उक्त पाच पापोंमें गभित करलेना चाहिये या नहीं? धर्मशास्त्रोंका उपदेश देखनेसे पता लगता है कि पाचके सिवा छुड़ा पाप कोई नहीं है, तो फिर इमे भी किमीमें गभित करनाही होगा. इसीलिये हमने अपने लेखमें बनायाथा कि राजवार्तिक कारण कथनानुसार अंत- राय—विप्रका कारण होनेसे चोरीमें इमे गभित करना चाहिये.” इत्यादि.

इसपरसे देखना चाहिये कि पाचके सिवा छुड़ा पाप कोई नहीं है यह कैसा कह सकते? धर्मशास्त्रमें कर्मकी एकमो अडतालीस प्रकृति कही है उसमें एकलौ प्रकृति पाप बंधकी उताई है उस पाप प्रकृतियोंमें ही अंतरायकर्म है यदि पांचमेंही गभित करना चाहो तो भी आपने निर्माल्य ग्रहणको चोरीके पापमें गभित करलिया है निर्माल्यद्रव्य ग्रहण करनेमें पाप है ऐसा श्रीबुद्धुदाचार्य, श्रीअकलंकाचार्य, श्रीअमृतचंद- सूरि, श्रीसकलकीर्ति आचार्यके ग्रंथोंमें लिखा आप भी बतारहे है तो फिर सवाल काहे का? देवमेवा करनेके बदलेमें निर्माल्यद्रव्य उठाके उसको पाप नहीं है ऐसा कोई श्लोक अथवा सूत्र अथवा वार्तिक है ही नहीं. केवल आपकी कल्पना है. उमका कारण पुजारियोंका पेठ कैसा भरेगा और यदि निर्माल्य उनको नहीं मिलेगा तो मंदिरजीमें पुजा

होना बंद होजायगी इस फिजूल भयसे आप उनको निर्मात्यके पापसे छुड़ाना चाहते हैं. लेकिन डरनेका कुछ काम नहीं है. उनोंने निर्मात्य ग्रहण करना छोड़ दिया तो उनको आजीविका पुरती तनखा मंदिरजी बनानेवाले और प्रतिष्ठा करानेवाले दे सकते हैं. श्रीकुंथलगिरीमें दस मंदिर हैं उनमें पूजा करनेवाले निर्मात्य नहीं लेते हैं. उनको तनखा मिलती है. बन्हाड, मध्यप्रात, बंगाल, उत्तर हिंदुस्थान इत्यादिमें पूजन करनेवाले निर्मात्य नहीं लेते हैं उनको तनखा मिलती है जिससे पूजनका काम बराबर चला है. सोलापूरमेंभी सेतवालके मंदिरमें भगवानका प्रक्षाल करनेवाला निर्मात्य नहीं लेता है उसको पंधरा रुपये तनखा मिलती है. मुख्य देवसेवा तो प्रक्षाल करनेकी है. निर्मात्य लेजानेवाला जो उपाध्याय है सो प्रक्षाल समाप्त हुयेबाद साडेनऊ बजे आता है. और एक प्रतिमा पीठमें रखकर दूधका अभिषेक करता है और दोचार अर्घ्य देता है. इतना काम तो इतर श्रावक भी करते हैं. लेकिन उपाध्याय तो निर्मात्य सब एकत्र कर गठडी बांधकर घटे देडघंटेमें चला जाता है. बड़े मंदिरजीमें जब क्षुल्लक मन्नालालजी आयेथे उस वखत उनोंने निर्मात्य ग्रहण करनेवालेके हातसे पूजा नहीं करानी चाहिये ऐसा कहा, तब शेट हिराचंद अमीचंदने अकेलेने पंधरा रुपये महावारी देना फबूल कियाथा. इससे अनुमान होता है कि पंडितजीका डर फिजूल है. जो आदमी दसवीस हजार रुपये खर्च करके मंदिर बनायगा अथवा प्रतिष्ठा करायगा उसको दस पाच रुपये महिनेका खर्चा पूजाके वास्ते क्या नहीं मिलेगा? लाखों रुपये धर्म काममें श्रावक लोक खर्च करते है तोभी पंडितजी उनके ऊपर कृपणताका ही दोषारोप रखते हैं. निर्मात्यके बदलेमें उपाध्याय वर्गको तनखा मिलेगी तो क्या वे धर्म मार्गमें लगे नहीं रहेंगे? क्या निर्मात्य खानेसेही धर्म मार्गमें आदमी लगा रहता है?

निर्मात्य खानेवालेकी मादोत्री पूजा हो जानेसे श्रावकोंका बड़ा भारी जुकसान हुवा है. बन्हाड मध्यप्रातमें निर्मात्य भक्षकोंके हातसे



पूजा नहीं कराते आप खुद करते हैं जिससे उनका पूजाका पाठ सब कंठगत है. जहां निर्माल्य भोजीके हातमे पुजा होती है वहाके श्रावकोंको ' उदकचंदन तंदुक ' इतनाभी पाठ आता नहीं. उनको उपाध्याय कहता है "तुम बाहार बैठो और झागट वजाओ मैं सब पुजा करलेता हौं." पंडितजी कहते हैं भगवतचक्राने और आदिनाथ तीर्थकरने इनको पुजा करनेको और निर्माल्य लेनेको नियत किया है. परंतु ऐसा कोई वाक्य पंडितजीने बताया नहीं. भरतचक्राने अन्य वर्णमेंसे ब्राह्मणवर्ण बनाया सो चौथे कालके अंततक ठीक चलेगा पंचम कालमें अष्ट होजायगा ऐसा श्रीआदिनाथ महाराजने कहा है. देखो आदि पुराण पर्व ४१ में पं. लालारामजी लिखते हैं.

“ भरतचक्रेश्वर भगवानसे इस प्रकार निवेदन करने लगा ॥ कि हे भगवन् ! मैंने आपके द्वारा कहे हुये उपासकाध्याय सूत्रके अनुसार चलनेवाले और श्रावकोंके आचरण करनेमें निपुण ऐसे ब्राह्मण निर्माण किये हैं ॥३०॥ हे प्रभो इन्हें मैंने ग्यारह प्रतिमाओंके विभागसे ब्रतोंके चिन्हरूप एकसे लेकर ग्यारहतक यज्ञोपवीत दिये हैं । हे देव ! समस्त धर्मरूपी सृष्टिको साक्षात् उत्पन्न करनेवाले ऐसे आपके होते हुये भी मैंने अपनी बड़ी मूर्खतासे यह काम किया है ॥ ३२ ॥ हे नाथ इस ब्राह्मणोंकी रचनामें क्या दोष है और क्या गुण है तथा इनकी रचना योग्य हुई अथवा अयोग्य हम तरहके झूठमें मेरा चित्त झूठ रहा है. आप इसका निश्चयकर इस मेरे मनको स्थिर कर दीजिये ॥३३॥

भगवान कहने लगे हे वत्स ! तेने जो साधुओंके समान धर्मात्मा द्विजोंका पूजन किया है सो बहुतही अच्छा किया है, परंतु इसमें कुछ दोष है उसे तू सुन ॥ ४५ ॥ हे चिरजीव ! तेने जो इन गृहस्थोंकी रचना की है सो जबतक चौथाकाल है तबतकतो ये अपने योग्य आचरणोंका पालन करते रहेंगे ॥ ४६ ॥ परंतु जब कलियुग समीप आजायगा तब ये अपनी ब्राह्मण जातिके अभिमानसे अपने सदाचारसे अष्ट

होकर इस श्रेष्ठ मोक्षमार्गके विरोधी बन जायेंगे ॥ ४७ ॥ पंचम कालमें ये लोग “ हमें सब लोगोंसे बड़े हैं ” इस प्रकार ब्राह्मण जातिके अभिमानसे फंसकर केवल धनकी इच्छासे मिथ्याशास्त्रोंके द्वारा सब लोगोंको मोहित करते रहेंगे ॥ ४८ ॥ ” इत्यादि.

इसपरसे अनुमान होता है कि, उपाध्याय वर्ग तुवरके दालका, चनेके दालका अभिपेक करते हैं वर प्राप्तीके वहानेसे क्षेत्रपाल पद्मावति आदिके पूजनका बंड शास्त्राज्ञाविरुद्ध उन्होंने बढ़ाया ऐसा जैनबोधकार लिखते हैं. और एकही पीठमें अर्हतकी प्रतिमा और पद्मावतीको रखकर अभिपेक शास्त्राज्ञाविरुद्ध करते है. ऐसा पंडित जिनदास लिखते है. सो सब भरतचक्रकीके स्वर्णोंका भविष्य श्री आदितीर्थकरने अपने दिव्यध्वनीमें बताया सो ही देखनेमें आता है.

निर्मात्यपर निर्वाह करनेवाले उपाध्याय वर्ग बड़े पवित्र है उनको अपवित्र कहनेवाले मूर्ख है ऐसा पंडितजी कहते है. परंतु इनके पवित्र ताकी योग्यता कितनी है इस विषयमें इनके श्रद्धेय भट्टारक सोमसेनने अपने त्रैवर्णिकाचारमें देवार्चक ( देवसेवानियोगी ) और निर्मात्य-भोजी ये हतर पातकी समान पंक्तिभोजनस्याज्य है ऐसे कहा है यह ग्रंथ पं० कल्लुप्पा भरमप्पा निटवेने सार्थ मराठीमें लिखा है वे पृ० ३२६। ३२७ लिखते है कि—

भोजनपंगतमें अयोग्य अनुष्य ये हैं—

पंक्त्ययोग्यं ततोवक्ष्ये विजातीयो दुरात्मकः ॥  
 मलयुक्ताम्बरोऽस्नातश्छिन्नांगः परिनिन्दकः ॥ १५४ ॥  
 श्वासीकासी व्रणी कुप्री पीनसच्छर्दिरोगिणः ॥  
 मिथ्यादृष्टिर्विकारीच उन्मत्तः परिहासकः ॥ १५५ ॥  
 असंतुष्टश्च पाखण्डी लिंगी भ्रष्टः कुवादिकः ॥  
 सप्तव्यसनसंयुक्तो दुराचारी दुरासयः ॥ १५६ ॥  
 चतुष्कपायिको दीनो निर्घृणांगोऽभिमान्यपि ॥

अतिबालोऽतिवृद्धश्चातिश्यामोऽतिमतिभ्रमः ॥ १५७ ॥

षण्दश्च पश्चिमद्वारी पंचभिश्च वहिष्कृतः ॥

देवार्चकश्च निर्माल्यभोक्ता जीवविनाशकः ॥ १५८ ॥

राजद्रोही गुरुद्रोही पूजापीडनकाकरः ॥

वाचालोऽतिमृषावादी वक्रांगश्चातिवामनः ॥ १५९ ॥

इत्यादि दुष्टसंसर्गं सन्त्यजेत्पंक्तिभोजने ॥

श्वानसूकरचाण्डालम्लेच्छर्हिसकृदर्शनम् ॥ १६० ॥

अर्थात्—अब भोजन पंक्तिमें अग्राह्य कौन कौन है सो कहते हैं. अपने जातसे भिन्न मानव, दुष्ट अतःकरणका, मलीन वस्त्र धारण करणहारा, स्नान न किया हुआ, जिसका कोई अवयव टूटगयाहो ऐसा, लोगोंकी निंदा करणहारा; श्वास, कास, त्रण, कुष्ठ, पीनस और बमन इनमेंसे कोई भी बीमारी जिसको हो गई हो, सतत बीमार हुआहो, मिथ्याद्वेषि, निष्कारण शरीर झुकावनेवाला, उन्मत्त हुआ हो, हमेशा बिनोद करनेवाला, असंतुष्ट मनका, पाखण्डी, शरीरपर मुद्रा बगैरह चिन्ह धारण करनेवाला, अष्ट हुआ, विसंवाद करनेवाला, सप्तव्यसनोमेंसे कोई भी व्यसन जिसने ग्रहण किया हो, दुराचरण करनेवाला, अपने मनमें दुष्ट भाव धारण करनेवाला, चतुष्कषाय धारण करनेवाला, दरिद्री, निर्दय, अभिमानी ऐसे मानवोंको भोजनपंगतमें न लेना चाहिये.

और ऐसेही अतिछोटा बच्चा और अति बुद्धा मानव इनकोभी पंक्तिमें नहीं लेना. अतिश्यामवर्णवाला और जिसके बुद्धीको भ्रम हुआ हो ऐसा पंगतमें नहीं लेना. नपुंसक, गुदद्वारको प्रतिबंध न करनेवाला, पंक्तोंसे वहिष्कृत हुआहो, सतत देवपूजाकरके अपना उदरनिर्वाह करनेवाला, निर्माल्यभक्षण करनेवाला, जीवोंका घात करनेवाला, राजद्रोह, गुरुद्रोह करनेवाला, पूजामें विघ्न करनेवाला, व्यर्थ बकवाद करनेवाला, झूठ बोलनेवाला, जिसके अवयव टूटा हो ऐसा, और अतिवामन, ऐसे मानवोंको पंगतमें नहीं लेना चाहिये.

इस परसे निर्मास्यपर आजीविका करके पूजन करनेवालोंका दुर्भाग्य कितना हलका बताया है सो विचारना चाहिये. पंक्तोभोजनमें जिसको वर्ज किया उसके हाथसे भगवानका पूजन नहि करना ऐसा श्री० ऐल्लक पन्नालालजी और मन्नालालजी कहते हैं सो योग्य है.

पंडितजी कहते हैं—अर्हतकी पूजाकरके उनका विसर्जन हुये बाद अर्हतका स्वत्व निर्मास्यपरसे हट जाता है. परंतु अर्हत भगवानका विसर्जन होताही नहीं है, वह शासन देवताओंका होता है. ऐसे जैनबोधकार अपने जानेवारी १९२२ के अंकमें लिखते है. और इनका यह मत श्री० अम्पाशास्त्री व कल्लप्पा अनंतशास्त्री इन दोनों पंडितोंने तो जैनसिद्धांता-नुसार मानलिया है. ऐसे जैनबोधक १९२२ फरवरीके अंक पृ० २३६ में ज्ञात होता है. यदि अर्हत भगवानका विसर्जन नहीं होता ऐसा मानें तो फिर निर्मास्यद्रव्यपर उनका स्वत्व बना रहा; और वह कोई उठा लिया तो उसने भगवानकी चोरी किई. इससे विघ्नकरणत्व हेतु सिद्ध हो चुका.

पंडितजी कहते हैं पूजाके काममें लगे हुये जैन उपाध्यायको निर्मास्य ग्रहण करनेमें दोष नहीं है. इधर श्रीयुत चवरे वकील फेवहवारी १९२२ के जैनबोधकमें लिखते हैं—“ निदान परधर्मा व पूजा वगैरे न करणाच्या माल्याला निर्मास्यद्रव्य घेऊं देण्यांत कांहीं दोष येतो असे वाटत नाही. + × + निर्मास्यद्रव्य जैन लोकानी व पूजा करणाऱ्यांनी कोणत्याही स्वरूपानें स्वतःचे उपयोगांत आणू नये, असा निर्बंध उपर हिंदुस्थानांत व मध्यप्रांतांत आहे व तो अत्यंत योग्य आहे ” इत्यादि इससे ज्ञात होता है कि यदि जैन धर्माको निर्मास्य नहीं ग्रहण करना चाहिये तो फिर अन्य धर्मा मालीको देना चाहिये ऐसा कैसा कहा जा-सगा ? क्या मालीकेवास्ते पाप पुण्य न्यारा है ? पापपुण्यतो सभीको एकही है. यदि माली पाप नहीं समझता हो तो उसको समझाना नहीं चाहिये ? मालीभी जैनधर्मके श्रद्धानी हो सकते हैं. उनकोभी पापसे

छुड़ाना चाहिये. यदि मालीभी पाप समझकर निर्मात्यलेना छोड़देगा तो क्या करोगे ? मंदिरमें अशोककुंड रखना अव्यवहार्य है अशक्य है ऐसा श्रीयुत चवरे लिखते हैं. सो मंदिरजीमें हवन क्रिया होती है सो अशोककुंड संस्कारकूट निर्मात्यकूट बिना कैसे होगी ? हवन क्रियाको पंडित बनसीधरजीभी मानते हैं. पूजाके समय मंदिरजीमें तीन अशोककुंड होना चाहिये ऐसा आदिपुराणमें लिखा है तो फिर अव्यवहार्य और अशक्य कैसा कहते हैं ? क्या इस समय मंदिरजीमें अशोककुंड देखनेमें नहीं आता है जिससे अशोककुंड अव्यवहार्य और अशक्य होगया ? पचास बरस पहले जैनीयोंमें कोई बी. ए. बी एल देखनेमें आता नहीं था उस वखत बी. ए का पढना अव्यवहार्य समझा जाताथा. अब दरसाल जैनीयोंमें दसबीस बी ए. पास होने लगे हैं सो व्यवहार्य बात होगई ! दो बरस पहले बड़े आदमी कोई खादीकी टोपी और कोट पहैरता नहीं था उसवखत वह बात अव्यवहार्य कही जातीथी. अब हजारो आदमी पहैरते देखनेमें आते हैं. जिससे वही अव्यवहार्य बात व्यवहार्य होगई ! पचास बरस पहले कई गांवमें भगवानका रथ निकालना अथवा पालखी निकालनी अशक्य बात थी अब गांवगांवमें निकलती है सो बात शक्य होगई. वैसाही धर्मपुस्तक छपाना, बोर्डिंग खोलना, पाठशाळा खोलना ये बातें अव्यवहार्यथी सो व्यवहार्य हो गई हैं. जब माली लोक निर्मात्य खाना बंद करेगे उस वखत आप निर्मात्यको क्या करोगे ? क्या ढेढ चमारोंकी देगे ? निर्मात्यको अति पवित्र मानते है उसको अत्यंत पवित्र ऐसे अशोककुंड अथवा निर्मात्यकूटमें रखना सोही योग्य स्थान है.

देवसेवा करनेवाले उपाध्यायने यदि पं० वंशीधरजीको निर्मात्य वस्तु—दूध केला बादाम लवंग या सुपारी आदि खानेकेवास्ते दिये तो बे अन्यमतीके माफक उस निर्मात्यको प्रसाद ( पवित्र ) मानकर भक्षण करेंगेही, कारण पंडितजीकेमतसे वह निर्मात्य वस्तु एकतो निर्मल याने पवित्र है और दूसरे यहा विघ्नकरणत्व हेतुका असंभव होनेसे पापभी नहीं लगेगा. ऐसाहि इनके “निर्मात्यविनियोग” नामक लेखसे निष्कर्ष निकरता है.

ता. ८।१।२२

हिराचंद नेमचंद सोलापूर.

## निर्माल्यद्रव्य-चर्चा.

जैनबोधक जानेवारी १९२२ च्या अंकांत कीर्तनकार चोपडेबुवा यांचा एक लेख 'निर्माल्य द्रव्य चर्चा' या मथळ्याचा आहे त्यांत श्री० चोपडेबुवा झणतात—“गंधोदक किती जरी प्यालें तरी त्यापासून अपाय होणार नाही.” परंतु घागरमर गंधोदक पिऊन पाहा मडाभट्ट उलट्या होतात की नाही. ? तेंच घागरमर गंधोदक अंगावर ओतल्याने कांहीं अपाय होणार नाही. गंधोदक प्राशन केल्याने रोग बरे झाले असते तर तशी उदाहरणे म्हात सांपडली असती.

श्रीयुत शांतारामानी व श्री० चोपडेबुवांनी श्रीपाल राजांचें उदाहरण अंगाला गंधोदक लावण्याचें जसे दिलें तसे तें अमक्याने प्राशन केले व त्याचा अमुक अमुक रोग बरा झाला असे उदाहरण दाखव्यास पाहिजे होतें. श्री० शांतारामानी श्री समंतमद्राचार्यांचें उदाहरण त्यांनी महादेवाच्या देवळातील नैवेद्य त्राच्याचें व त्या योगानें त्यांचा भस्मक व्याधि-रोग-बरा झाल्याचें दिलें आहे त्याबद्दल श्रीयुत कीर्तनकार चोपडे लिहितात की, तें उदाहरण—“शेठ हिराचंद नेमचंद यांस पटल्याचें दिसत नाही असे वाटतें.” तेव्हां ह्यावरून तें उदाहरण कीर्तनकार चोपडे यास पटलें असावें असे अनुमान निघतें. व ज्याअर्थी महादेवाचा नैवेद्य खाल्ल्याने श्री समंतमद्राचार्यांचा रोग नाहीसा झाला तर मग अर्हत मगवानाचा नैवेद्य त्राच्याने श्रावकाचे आणि मुनीचे रोग बरे झालेच पाहिजेत अशी कीर्तनकार बुवांची समजूत आहे. त्याप्रमाणें त्यांनी लोकांना उपदेश केल्यास लोक लागलीच टाळ्या वाजवितील व निर्माल्य द्रव्यावर आजारी लोकांच्या मडाभट्ट उलट्या पडतील. मग उपाध्यायाला व माळ्याला देण्याचा प्रश्नच उरणार नाही. चोपडे बुवांनी फार चांगला शास्त्राधार काढला !!

गंधोदक प्राशन केल्याने रोग बरे होतात असे शास्त्राधार श्री

चोपडे बुवांनी दाखवावयांस पाहिजे होते परंतु दाखविलें नाहींत. त्यावरून तसे आधार नाहीतच असें ज्ञानाचें कागेल, अंगाला गंधोदक अथवा नुसती भगवंताची चरणधूलि लावल्यानें पोटातील मोठमोठे रोग बरे होतात असे भक्तांमर स्तोत्रांत द्यातलें आहे.—

उद्धृतभीषणजलोदरभारभग्नाः ॥

शोच्यांदशामुपगताश्च्युतजीविताशाः ॥

त्वत्पादपंकजरजोऽमृतदिग्घटेहा ॥

मर्त्याभवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः ॥ ४५ ॥

अर्थः—ज्यांस भयंकर जळोदर झालें आहे, व त्यांच्या भारीं जे केवळ भय झाले आहेत, आणि त्यामुळें शोचनीय अवस्थेप्रत प्राप्त होऊन ज्यांनी आपल्या जीवाची आशा सोडली आहे, असेहि कोणी असले तरी, त्यांच्या शरीरास तुझ्या चरण कमलांची धूली हेंच कोणी अमृत, त्या अमृतानें माखिलें असतां, ते मदनासारखे सुंदर होतात. ( पं० कल्लप्पा भरमप्पा निटवे कृत—सार्थ भक्तांमर. )

ज्ञात ' दिग्घटेहा ' असें पद आहे त्याचा अर्थ शरीराका माखणें, कावणें, चोपडणें असाच होतो. तोंडानें प्राशन करणें असा होत नाही. व जळोदर हा पोटातील रोग आहे. तो बरा करण्यासाठीं प्राशन न करतां नुसते अंगास लावल्यानें बरा कसा होईल हा चोपडे बुवांचा तर्क आहे. परंतु जिनवाणीची आज्ञा अंगाला लावण्याची आहे. इकडे चोपडेबुवांनी रक्ष घावें. कारण येंथें श्रीमानतुंगाचार्यांनीं भगवंताच्या चरणेरजास सर्वोत्कृष्ट पेय पदार्थाचें ( अमृताचें ) जरी रूपक दिलें आहे तरी त्यांनीं पोटातील रोगावर सुद्धा तें प्राशन करण्याविषयीं न सांगतां मुद्दाम अंगाला लावण्यासच सांगितलें आहे. याचें कारण तरी हेंच कीं—निर्माल्य हें कोणत्याहि प्रसंगीं कोणाच्याच भक्षण करण्यांत येऊं नये ही जिनावांचालविषयाविषयीं आचार्यांनीं घेतलेली पूर्ण स्वरुदारीच होय, असें वावरून स्पष्ट सिद्ध होत आहे.

यावरून पोटातील रोगशमनार्थ ते गंधोदक वगैरे (निर्माल्य) भक्षण केलेंच पाहिजे असें जें चोपडे बुवांचें क्षणें आहे तें निराधार आहे असें ठरते.

अंगाला लावणें तसेंच नाकानें फुडाचा वास घेणें आणि, तोंडानें नैवेद्य भक्षण करणें हे सगळें चोपडेबुवा क्षणतात—“ माझ्या मतानें इंद्रियांच्या घर्माप्रमाणें देवाच्या वस्तु सेवन करण्यांत पापपुण्य सारखेंच वाटलें जाईल. ” तेव्हां हें एक मोठेंच कोडें त्यांनी पुढें माहलें आहे. परंतु हें कोडें त्यांच्याच लेखातील एका वाक्यानें सहज उलगडलें जात आहे. पहा, पत्र २०१ मध्ये चोपडेबुवा लिहितात कीं, “ ज्यानें परमेश्वरापुढें जी वस्तु ठेवली ती पुनः त्यानेच घेऊं नये आणि याला शेटजींनी निर्माल्य स्नाणारा यांस काय फळ मिळतें याचा श्लोकाधार दिला आहे तोच श्लोक आमच्या वरील अनुमानाला आधार भूत झाला आहे. ”

“ पुत्तकलत्तविहीणो दारिद्र्यं पंगमूरु बहिरंधो ॥

चांडालाङ्कुजादो पूजादाणाइ दव्वहरो ॥ ”

“ अर्थः—पूजा, दान, इत्यादिकांचें द्रव्य जो घेतो तो पुत्रविहीन स्त्रीविहीन, पांगळा, मुका, आंधळा असा होऊन नीच कुळांत जन्म घेतो. ” ( श्रीरयणसार—कुंदकुंदाचार्य. )

छांत “ ज्यानें परमेश्वरापुढें जी वस्तु ठेवली ती पुनः त्यानें घेऊं नये. ” असें जे चोपडे बुवांचें क्षणें आहे तेंच ह्या फोड्याचें उत्तर आहे. कारण कां घेऊं नये असा प्रश्न केल्यास घेतल्यानें पाप लागतें असें कुंदकुंदाचार्यांनी सांगितलें आहे “ तें बचन प्रमाण आहे त्याच्यावर पूर्ण भरंवसा ठेवला पाहिजे ” असें चोपडे बुवाच क्षणतात. तेव्हां त्यांनीच प्रश्नाचें उत्तर दिलें असून दुसऱ्याना काय क्षणून विचारतात ? कडेवर मूल असून गावभर हुडकती माझे मूल कोठें गेलें ? ह्या नमुन्याचा चोपडे बुवाचा हा प्रश्न आहे !

पुढें चोपडेबुवा लिहितात—“ पण वरील श्लोकाप्रमाणें उपाध्याय वर्गावर कोणताच परिणाम झालेला दिसत नाहीं. श्लोकात क्षटलें आहे



की, निर्मास्य भक्षकाचा जन्म नीच कुळांत होतो पण उपाध्यायचें कुळ नीच आहे असें कोणीच क्षणणार नाही." वगैरे. ह्यावरून चोपडे बुवांची अशी समजूत दिसते की, नीच कुळांत जन्म होण्यासाठीं जें गोत्रकर्म बांधावें लागतें तें निर्मास्य खाणें सुरू करण्याच्या आधींच पूर्व जन्मी बांधावें लागतें. कारण उपाध्याय वर्ग निर्मास्य खातो तो ह्या जन्मी, तेव्हां त्याचें फळ क्षणजे कूळ पूर्वजन्मी कसें बांधालें गेलें ?

ह्या जन्मीच्या पापपुण्याचें फळ ह्या जन्मी नाही मिळालें तर पुढच्या जन्मी मिळेल. परंतु उलटें मागच्या जन्मी तें कसें जाईल ? क्षणून उपाध्यायवर्गाचें ह्या जन्मांतील कूळ जें आहे तें मागच्या जन्माचें बांधलेलें आहे. ह्या जन्माचें कूळ फसलें बांधलें जाईल तें पुढच्या जन्मी समजेल. तेव्हां चोपडेबुवांनी उपाध्यायांच्या हल्लीच्या कुळाचा चांगलेपणा जो वर्णन केला तो काय उपयोगाचा ? तसेंच " उपाध्यायवर्ग अनादिकाळापासून निर्मास्य खात आला आहे, मग सारेच अंध पंगू झाले असते. स्त्रीविहीन झाले क्षणाचें तर सर्वांच्या वायका आहेत त्याकरितां बरीक श्लोकाधारें असेंच ठरते की, जे श्रीमंत आहेत त्यांना हें बरीक आचार्यांचें वचन लागूं आहे क्षणजे त्यांनीं एकदां जी वस्तु किंवा जें धन देवार्पण केलें किंवा देवाच्या नावाने काढून ठेवेलें तर त्यांनीं तें पुनः परत घेऊ नये वगैरे ह्यावरून श्रीमतांनीं मात्र निर्मास्य खाऊं नये गरीबांनीं खाल्ल्यास त्यांना पाप लागणार नाही असें कर्तितनकाराचें क्षणणें आहे. क्षणजे गरीवाला इन्कम्टॅक्स लागत नाही क्षणून त्यांना निर्मास्याचेंही पाप लागत नसावें कीं काय ? बरें, निर्मास्य खाणारे उपाध्ये अंध, पंगु, स्त्रीविहीन झालेले दिसत नाहीत असें चोपडेबुवा लिहितात तर मग श्रीमंत लोक जे निर्मास्य खातात व देवाचें धन हरण करतात. त्यांतील तरी किती जण अंध, पंगु, स्त्रीविहीन असे चोपडे बुवांच्या दृष्टीस पडले क्षणून श्रीमतांनीं निर्मास्य खाऊं नये असा अभिप्राय त्यांनीं दिला ? जेथें प्रत्यक्ष प्रमाण सांपडत असेल तेथें आगमप्रमाण मान्य करण्याची जरूरी नाही असें चोपडेबुवांचें क्षणणें दिसते. व जरी आगमप्रमाणाविषयी

ते लिहितात कीं, कुंदकुंदाचार्यांच्या श्लोकावर भरवंसा ठेवता पाहिजे तरी त्याचा निर्माल्य खाण्याचा जो दोष आहे त्याचा अर्थ तरी निराळा करावा.' असे ते पत्र २०२ मध्ये लिहितात. त्यांनी 'पुत्रकण्विहीणो' या गाथेचा अर्थ देतांना 'दारिद्र्यो' 'बहिचांडाळाई' ह्या शब्दाचा अर्थ गाळून टाकला आहे. शेठजींच्या 'निर्माल्यद्रव्यचर्चा' नामक पुस्तकातील पान ५ वरून चोपडेबुवांनी ही गाथा घेतली असे दृष्टी आहे तर त्या पांचव्या पानांत गाथेच्या खाली दारिद्र्यो वगैरे शब्दांचा अर्थ दिलेला आहे तो येथे कां गाळला हें समजत नाही कदाचित गरीबी आणि दारिद्र्य हे सारखेच शब्द असल्यामुळे निर्माल्य खाण्याने दारिद्र्य येते असे दिसल्यास गरीबांला निर्माल्य खाण्यास मोकळीक राहणार नाही. ह्यावरून श्रीकुंदकुंदाचार्यांच्या गाथेचा अर्थ बदरण्याकडे चोपडे बुवांचा रोख दिसतो. गरीबांना निर्माल्य खाण्याचे पाप लागू नये असा अर्थ झाल्यास त्यांना पाहिजे आहे. तसेच उपाध्याय वर्गालाही निर्माल्य खाण्यापासून पाप लागू नये असा अर्थ " देवतानिवेद्यानिवेशग्रहणं " ह्या राजवार्तिकातील वार्तिकाचा करावा अशी त्यांची इच्छा आहे. ते दखतात, " अर्थात् जो घनिक श्रावक देवासाठी रक्कम अर्पण करतो किंवा करण्यासाठी काढून ठेऊन पुन्हां त्यांत मन दाखवितो त्याला अंतराय कर्माचे आस्रव होतील. उपाध्याय वर्गाचा यांत कांहींच संबंध येत नाही. " " हें वाक्य उपाध्याय वर्गासाठी आहे कां घनिक श्रावकांसाठी आहे याचा विचार वाचकच करोत. " असे जें दृष्टी आहे त्याचा आशय कसे तरी करून गरीबांला अथवा उपाध्याय लोकांना निर्माल्य खाण्याने पाप लागू नये असा अर्थ राजवार्तिकातील वार्तिकाचा व कुंदकुंदाचार्यांच्या गाथेच केल्यास बरे होईल अशी चोपडे बुवांची इच्छा आहे. परंतु ती पार पाडणे मात्र वाचकांच्या मर्जावर आहे.

श्रीकुंदकुंदाचार्यांच्या गाथेचा व राजवार्तिक काराच्या वार्तिकाचा अर्थ फिरविण्याची इच्छा न ठेवतां सरळ अर्थ जशाचा तसा घेण्याचे चोपडेबुवांनी मनांत आणल्यास व श्रीकुंदकुंदाचार्यांची 'जिण्णुद्वार पदहा

नांघची त्याच पांचव्या पानातील गाथा डोक्यापुढे ठेवल्यास नाकाने वास घेणे, कानाने भजन ऐकणे, अगाला गंधोदक लावणे नदीचे पाणी फुकट पिणे, महावल्गेश्वराची हवा फुगट खाणे वंगरेपासून निर्मात्याच्या दोषाचे तर्कशास्त्र उर्फ नुक्तेवैनी रढवीत वसण्याची जल्दरी राहात नाही. त्यानी फक्त भक्षण करण्यापासून व अपशर करण्यापासूनच महान पाप घडते असेच सांगितले आहे. पहा “ जो भुजइ सो मुजइ जिणुद्धिइ णिरयगइ दुख्ख ॥३१॥ ” झणजे जिनमदिरादिकाचा जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा, जिनपूजा, तीर्थवंदना त्या संघाचे द्रव्य जो भक्षण करतो तो नरकगतीचे दुःख भोगतो, असे जिनेश्वरानी सांगितले आहे. ” झणून झटले आहे. नाकाने वास घेण्यापासून अथवा अगाला गंधोदक लावल्यापासून पाप घडत असते तर त्यानी तसे सांगितले असते. आचार्यांच्या वाक्यावर भरं वसा ठेवला पाहिजे असे तर झणावयाचे परंतु त्यातून निसटण्यासाठी एखादी पळवाट काढण्याचाही प्रयत्न करावाच. ही गंमत आहे!

श्रीयुत चोपडेचुवानी कबूल केले आहे की, जी वस्तु परमेश्वरापुढे अर्पण केली ती वस्तु त्याने पुनः घेऊ नये असे जर आहे तर मग ती वस्तु त्याने दुसऱ्याम देता कशी येईल ? आपण घेणे काय आणि घेऊन दुसऱ्याला देणे काय सारखेच आहे. “ न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्योदुपारमण ॥ ” हे जे समतभद्रस्वामीचे अचौर्य अणुत्रताचे लक्षण आहे त्याप्रमाणे पाहिले झणजे आपण अदत्तादान घेऊं नये व ते घेऊन दुसऱ्यालाहि देऊ नये. कृत कारित हे सारखेच जैनधर्मात मानले आहे.

श्रीयुत चोपडेचुवा अशिकुंडात पूजन करण्याच्या संघाने व निर्मात्यद्रव्य जाळण्याच्या संघाने अडचण दाखविताना की, नारळ, फळे, नैवेद्य, असत, हीं अर्पण केलेली जाळतां येतील, परंतु दोन हात आणि तिसरे मस्तक अर्पण केलेले त्यांचे काय करणार ? तेव्हा हे ही एक मोठेच कोडे श्रीयुत चुवानी पुढे टाकले आहे. परंतु याचे उत्तर एकाच ‘ अर्पण ’ शब्दात आहे अर्पण करावयाचे जे पदार्थ असतात

ते पुन्हां घ्यावयाचे नाहीत ही गोष्ट श्रीयुत चोपडेबुवा कबूल करून चुकले आहेतच व त्याप्रमाणे अक्षत, नैवेद्य, फळ वगैरे देवाला अर्पण केलेले अग्निकुंडांत भस्म होऊन जातात व जाळूनही टाकतां येतात. श्रीयुत बुवाना अडचण वाटत नाही. अडचण काय ती फक्त दोन हात आणि तिसरें मस्तक अर्पण करणाऱ्याची राहिली तेव्हां येथें श्रीयुत बुवाना असा प्रश्न करता येईल की, अर्पण ह्या शब्दाचा अर्थ आपण काय करता ? दाखवून परत घेणें असा अर्थ करता कां जसें लिखांतून बदाम काढून किंवा तपकडात नैवेद्य टेवून तो देवा पुढें ठेवता तसा त्याचा सर्वस्वी वियोगपर क्रिया काण्याचा अर्थ करतां ? दाखवून परत घेणें असा अर्पण शब्दाचा अर्थ कोणीहि करणार नाही. कारण अशा क्रियेला फणवणूक झगजात. तेव्हां अर्पण झगजे त्या पदार्थाचा सर्वस्वी त्याग करणें असाच अर्थ ग्रंथकारांनीं केलेला आहे. त्याप्रमाणे दोन हात आणि तिसरें मस्तक अर्पण करणाऱ्यानें ते तिन्ही अवयव आपल्या घडापासून वेगळे करूनच देवापुढें ठेवावे लागतील तेव्हांच त्याला अर्पण केलें असें झणता येईल व असें ज्यावेळीं वेगळे करून देवापुढें ठेवाल त्याच वेळीं त्याला कोणीहि उपाध्याय अथवा गरीब मनुष्य घेण्यासाठीं पुढें न येतां त्या अवयवाना लवकर जाळून टाका असेंच झणेल. इतकेंच नाही तर वार्ताचें उरलेलें रक्तवांवाळ झालेलें घडही देवळातून लवकर काढून टाका व जाळून टाका असेंच उपाध्याय लोक झणतील. तेव्हां श्रीयुत बोवाच्या कोळ्याचें उत्तर त्याच्या एका अर्पण शब्दामध्येच आहे कीं नाही ? पहा विचार करा, देवाला हात व मस्तक कोणी अर्पण करीत नसतो. हात जोडतो व मस्तक नमवितो. मस्तक अर्पण करण्याचे शब्द अन्यमती लोकांत त्रापरले जातात व त्यांतून एखादा आपलें मस्तक कापून देवाला अर्पण करतो. पंतु जैन ससें करीत नाहीत. असली आत्महृत्येची मत्ति करणें महान पाप आहे असें जैन समजतो.

उपाध्याय वर्गाचें कूळ फार उंच असल्याबद्दल श्री० चोपडेबुवा

लिहितात्. पत्र २०२ मध्ये ते लिहितात् कीं,— “ आज जैनांमध्ये सर्व क्रिया विधियुक्त क्षणजे संध्या, मौजीबंधन, पूजा अर्चा, यज्ञोपवीत धारण करणे, पुनर्विवाह विरोधी, सोंवळें शुचिर्भूतपणा इत्यादि सर्व गुण जैनांमध्ये बहुतेक यांच्या इतके दुसरे ठिकाणी मिळणें कठीण पडेल. + + उपाध्यायाचें कुल नीच आहे असें कोणाच क्षणणार नाही.” वगैरे वगैरे.

आतां ज्या त्रैवर्णिकाचारग्रथाच्या आधारांने उपाध्यायलोक सदरील सर्व क्रिया करित असतात त्याच ग्रंथांत सांगितलेल्या पंक्तीभोजनाला घेण्यास अयोग्य माणसांमध्येच उपाध्यायाची गणना केली आहे. पहा.—

पंक्तीला घेण्याला अयोग्य मनुष्ये—

पंक्ययोग्यं ततोवक्ष्ये विजातीयो दुरात्मकः ॥  
 मलयुक्ताम्बरोऽस्नाताश्छन्नांगः परिनिन्दकः ॥ १५४ ॥  
 श्वासी कासी व्रणी कुष्ठी पीनसच्छर्दिरोगिणः ॥  
 मिथ्यादृष्टिर्विकारीच उन्मत्तः परिहासकः ॥ १५५ ॥  
 असंतुष्टश्च पाखण्डी लिंगीभ्रष्टः कुवादिकः ॥  
 सप्तव्यसनसंयुक्तो दुराचारो दुराशयः ॥ १५६ ॥  
 चतुष्कषायिको दीनो निर्घृणांगोऽभिमान्यपि ॥  
 अतिबालोऽति वृद्धश्चातिश्यामोऽतिमतिभ्रमः ॥ १५७ ॥  
 षण्ठश्च पश्चिमद्वारी पञ्चभिश्चवद्विष्कृतः ॥  
 देवार्चकश्च निर्माल्यभाक्ता जीवविनाशकः १५८  
 राजद्रोही गुरुद्रोही पूजार्पीडनकाकरः ॥  
 वाचालोऽतिमृषावादी वक्रांगश्चातिवामनः ॥ १५९ ॥  
 इत्यादिदुष्टसंसर्गं सन्त्यजेत्पंक्तिभोजने ॥  
 श्वानसूकरचाण्डालम्लेच्छार्हिसकदर्शनम् ॥ १६० ॥

( सोमसेनकृत त्रैवर्णिकाचार सार्थ पृ. ३२६ )

या श्लोकांचा अर्थ पं. कलुष्पा निटवे यानीं केला आहे तो असा—  
 अर्थः—आतां पंक्तीस घेण्याला अयोग्य कोण कोण आहेत ते

सांगतात—आपल्या जातीहून निरानिःश्रया जातीचा मनुष्य, दुष्टमनाचा,

मळकट वस्त्रे अंगावर घेणारा, स्नान न केलेला, ज्याचा कोणता तरी अवयव तुटलेला आहे असा, लोकाची निंदा करणारा, श्वास, खोकला, त्रण, कुष्ठ, पेनसी आणि ओकारी ह्यांपैकी कोणताही रोग ज्याला असेल तो, नेहमी रोगी असलेला, मिथ्यादृष्टि, उर्गाच अंगहळविणारा, उन्मत्त झालेला, नेहमी थट्टा करणारा, असंतुष्ट मनाचा, पाखण्डी, अंगावर मुद्रा बाँरे चिन्हें धारण करणारा, अष्ट झालेला, दुष्टवाद करणारा, सात प्रकारच्या व्यसनपैकी कोणतेही एखादे व्यसन ज्याला आहे असा, दुराचार करणारा, मनांत दुष्टभाव धरणारा, चार कषाय ज्याला आहेत असा, दरिद्री, निर्दय, अभिमानी अशा मनुष्यांना पंक्तीस घेऊं नये. अगदीं लहान मूढ आणि अतिशय वृद्ध मनुष्य ह्यांना पंक्तीस घेऊं नये. अतिशय काळा असलेला मनुष्य, ज्याच्या बुद्धीला अम झाला आहे असा मनुष्य पंक्तीस घेऊं नये. नपुंसक, गुद्दाराला प्रतिबंध नसलेला, पंचांनी ज्याला बहिष्कृत केले आहे असा, नेहमी देवपूजा करून उदरनिर्वाह करणारा, निर्माल्य खाणारा, जीवाचा घात करणारा, राजद्रोह गुह्यद्रोह करणारा, पूजेला निम्न करणारा, उर्गाच बढवडणारा, खोटें बोलणारा, ज्याचे अवयव वांकडे आहेत असा, आणि फारच गिबुा असलेला, अशा मनुष्यांना पंक्तीस घेऊं नये. भोजनाचे वेळीं कुतरे डुकर, चाण्डाल, म्लेंच्छ आणि हिंसा करणारे ह्यांचें दर्शन करूं नये.

ह्यावरून उपाध्यायाच्या कुळाचा विचार करतांना हे श्लोकही विचारांत घ्यावेत अशी आमची सूचना आहे.

सोलापूर,  
ता. २०।२।२२. }

वापूचंद जेठीराम  
सोलापूर.

**निर्माल्यद्रव्यावर अनेकांच्या वेगवेगळ्या उध्या.**

निर्माल्यद्रव्य देवसेवा करणाऱ्या पूजाग्यांनी ध्यावें असें पं० बनसीधरजी क्षणतात. श्रीयुत नवरे वकील क्षणतात कीं,— तें जैनांज

दृष्ट्यांत पाप आहे अजैन असलेल्या माळ्याला घावें. श्रीयुक्त कर्तनकार चोपडे बुवा झणतात. निर्माल्य खाण्याने पोटांतील रोग बरे होतील. परंतु तें श्रीमंतानीं खाऊं नये गरीबानें व उपाध्यायानें खावें त्याप्रमाणें निर्माल्यद्रव्यावर अनेकांच्या वेगवेगळ्या उध्या दिपतात. त्यावरून एक दृष्ट्यांत आठवतो तो असा— एका स्वरूपवान वेश्पेदे प्रेत स्मशानांत आणले होते तेथें एक कुतरे, एक कामी पुरुष आणि एक धार्मिक मनुष्य असे उभे होते कुतरेच्याने त्या प्रेताकडे पाहून मनांत झटले की, हें प्रेत मला खावयास मिळालें तर माझी मूक शमून मला आनंद होईल. कामी पुरुष झगता की, अशा स्वरूपवान ती भोगण्यास मिळाली तर केवढी बहार होईल तो धार्मिक मनुष्य झगला की, असे उत्तम शरीर ह्या लोका मिळालें असून तिने त्याचा तपश्चरणादि सत्कार्यांत उपयोग न करिता तें व्यर्थ धाऊंवेळें, जाळून टाका. अशा तऱ्हेने आपआपल्या करणेंपमाणें त्यानीं वेगवेगळे अभिराय दिष्टे. तसेंच हल्लीही निर्माल्यद्रव्य कोणाला तरी देऊन बदला त्याच्याकडून देवाच्या पूजेची अथवा देवळातील झाडलोट करण्याची कामगिरी करून घ्याची, निदान रोग बरे करण्यासाठीं औषध झणून त्याचा उपयोग करावा अशा सूचना होत आहेत. अशा करणा लुचण्याचें कारण अन्यमती लोकांत निर्माल्यद्रव्य खाण्यात पाप काही नानीत नसून तें प्रसाद झणून खाण्यांत येतें. तर मग जैनांनीच तें खाण्यांत पाप कशासाठीं मानावें ? असा समज बहुपुरुषेच्या सहवासानें होणें साहजिक आहे. परंतु जैनांनी लक्षात ठेवावें की, जैनाचार्यांनी निर्माल्य ग्रहण करण्याचें फार पातक सांगितल्यामुळेच जैनांनी देवळें व्यवस्थापकांच्या मालकीचा झाली नाहीत व बडवे, सेवाधारी, पुजारी बगैरे सारखे देवळांचे तटेबळेदेहि कोर्टांत गेले नाहीत.

सोलापूर  
ता० २८/१२/२२

}

आपला,  
शंकर पंढरीनाथ रणदिवे.

	कि.	रु.	आ.
श्रीसमंत मद्रा० चरित्र	०	४	
विधवा विवाह खडन....	०	४	
प्रतिमा पूजन	....	०	४
जैनधर्माचे प्राचीनत्व	....	०	८
जैनधर्माचा प्राचीन इतिहास	४		
धर्मपरीक्षा मराठी	....	१	८
स्वयंस्तोत्र सार्थ	....	२	८
पापपुण्याची कारणे	....	०	१
अशौचनिर्णय चर्चा	....	०	४
शासनदेवतापूजन चर्चा	०	४	
सुभाषितावली	...	१	४
हिंदी भाषाके ग्रंथ			
भगवती आराधना	....	४	०
ज्ञानार्णव	....	४	०
गोमटसार कर्मकांड	....	२	०
पद्मपुराण	....	६	०
हरिवंशपुराण	....	५	०
पादकपुराण	....	२	१२
तेहरद्वीपविधान	....	२	१२
आत्मरुखाति समयसार	४		०
सर्वाश्रिसिद्धि	....	४	०
त्वाद्वादमंजरी	....	४	०
प्रदुम्नचरित्र	....	२	१२
समयसार नाटक	....	२	८
आनकधर्मसंग्रह	....	२	४
प्रवचनमार प्ररमागम	३		०
धर्मसंग्रह श्रावकचार	....	०	०
मोक्षमार्ग प्रकाश	....	१	१२
श्रेणिक चरित्र	....	१	१२
भक्तामरकथा यंत्रमंत्रकी	१		४
पुरुषार्थ सिद्धयुपाय	....	१	४
स्वामिकार्तिकेयानुपेक्षा	१		८
चर्चा शतक	....	०	१२

	कि.	रु.	आ.
चोवीस तीर्थकरपूजा ....	०	१२	
भाषापूजा संग्रह ....	०	८	
नित्यनेम पूजा ....	०	४	
द्रव्यसंग्रह ....	०	४	
रत्नकरंड ....	०	४	
जैनपद संग्रह भाग १.	०	४	
जैनपदसंग्रह भाग २....	०	४	
” ” ३....	०	४	
” ” ४....	०	८	
भूषर जैनशतक	...	०	१०
क्रियाकोश	....	१	८
हिराचंद अमोलिकची पर्दे	०		९
दर्शनकथा छंदवंदी	....	०	६
अकलंकस्तोत्र	....	०	३
जिनशतक हिं. अर्थ.	....	०	१२
वृषावन पूजा	....	०	१२
पार्श्वनाथ चरित्र छंदवंदी	१		७
भाषापूजा	....	०	८
चोवीसठाण चर्चा	...	०	१
बृहद्द्रव्यसंग्रह	....	२	०
सिद्धांतप्रवेशिका	....	०	३
मृत्युमहोत्सव	...	०	३
यशोधर चरित्र हिं. अर्थ	....	२	०
नरकाचित्रादर्श	....	०	१०
नित्यपाठसंग्रह हिंदी	....	०	८
रत्नकरंड श्रावकचार	...	४	०
बनारसिविलाम छंद	....	१	८
शिलरजी महात्म्य	....	०	१
आलोचना सामायिक	....	०	३
छहढाला	....	०	१
निर्वाणकांड	....	०	२
पंचकल्याणिक रूपचंदकृत	०		१
धर्मविकास	....	०	६



क्रि. द. भा.

स्वाहाद् मंजरी	...	४	०
जैनशतक	....	०	३
जैनसिद्धांत संग्रह	....	२	८
षट्पाहट	....	१	०
उपमिति भवप्रपञ्च	....	१	०
धर्मपरोक्षा	...	१	०
भद्रबाहूचरित्र	....	१	०
ज्ञानसुर्योदय नाटक	...	८	०
अजना सुंदरी नाटक	....	०	८
समाधिमरण	....	०	१
आवकषनिताबोधिनी	....	०	६
नागकुमार चरित्र	....	०	६
पद्मिनी चरित्र	....	०	८
सृष्टिकर्तृत्वभीमासा	....	०	१
आराधनाकथासार कोश	३	८	
स्वानुभवदर्पण	....	०	४
अनुभव प्रकाश	....	०	४
भट्टारक-बर्चा	....	०	१
सार्वधर्म	...	०	१
सप्ततत्त्व विचार	....	०	१
जैनधर्माचे सौंदर्य	....	०	०॥
जैनधर्माची माहिती	....	०	२
जैनार्णव	....	१	४
धर्मप्रश्नोत्तर	....	२	०

संस्कृत पुस्तके.

कातल व्याकरण	....	१	०
दशरुद्राक्षणिक पुजा	...	०	१०
जैनकथाद्वाविंशति	....	०	२
प्रमेयकमळमार्तंड	....	४	०
आत्ममीमांसा समंतभद्राचार्य	....	१	०

कृत

क्रि. द. भा.

आत्मपरोक्षा	....	१	०
समयमाभूत कुंदकुंदा- चार्यकृत	....	१	४
समयमाभूत द्वितीयखंड	....	१	०
समयमाभूत चतुर्थखंड	....	१	४
धर्मरत्नोद्योत	....	१	०
अलंकार चिंतामणी	....	०	१२
देवशास्त्रगुरुपूजा	....	०	४
पंचस्तोत्र मूळ	....	०	२
नित्यपाठ संग्रह	....	०	६
नंदीश्वर भाक्ति	....	०	३
सनातन जैनग्रंथमाला	....	१	१
पचाध्यायी	....	०	१३
पार्श्वाम्युदय काव्य	....	०	१२
गोष्मटसार मूळगाथा	....	०	६
परीक्षासुल	....	०	१२
विश्वलोचन कोश	....	१	८
भक्त्यामरमूळ	....	०	१
न्यायदीपिका	....	०	१२
जैनप्रक्रिया संग्रह	....	०	१२
सागारधर्माभूत	....	३	०
राजवातिक	....	१	०

गुजरायी पुस्तके.

रामविधी	....	०	२
सुकुमाल चरित्र	....	०	८
सल्लेखना मृत्युमहोत्सव	....	०	४
अनित्यपंचाशत	....	०	२
जैनीक्षम इन्टोडक्शन इ.	....	०	८

